

**परिशिष्ट 1.1**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1 पृष्ठ 1)**  
**राज्य प्रोफाइल**

| राज्य प्रोफाइल |  | आंकड़े                             |                    |
|----------------|--|------------------------------------|--------------------|
| क.             | सामान्य डाटा   |                                    |                    |
| 1              | क्षेत्र  | 44,212 वर्ग कि.मी.                 |                    |
| 2              | जनसंख्या   |                                    |                    |
|                | क 2001 की जनगणना के अनुसार   | 2.11 करोड़                         |                    |
|                | ख 2011 की जनगणना के अनुसार   | 2.54 करोड़                         |                    |
| 3              | जनसंख्या घनत्व <sup>1</sup> (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)           | 573 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मीटर     |                    |
| 4              | गरीबी रेखा <sup>2</sup> से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=29.50 प्रतिशत)                       | 12.50 प्रतिशत                      |                    |
| 5              | साक्षरता <sup>3</sup> (2011) (अखिल भारतीय औसत=73.00 प्रतिशत)                                   | 75.55 प्रतिशत                      |                    |
| 6              | शिशु मृत्यु - दर <sup>4</sup> (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=39 प्रति 1000 सजीव जन्म) | 36                                 |                    |
| 7              | जन्म <sup>4</sup> पर जीवन प्रत्याया (अखिल भारतीय औसत=67.5 वर्ष)                                | 67.6 वर्ष                          |                    |
| 8              | गिनी सहकारी कारण <sup>5</sup>  |                                    |                    |
|                | क ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.29)  | 0.29                               |                    |
|                | ख शहरी (अखिल भारतीय= 0.38)   | 0.38                               |                    |
| 9              | वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सराध.ज.) 2015-16 <sup>6</sup>                       | ₹ 4,92,657 करोड़                   |                    |
| 10             | प्रति व्यक्ति सराध.ज. सी.ए.जी.आर. (2006-07 से 2015-16)   | हरियाणा 14.19 प्रतिशत              |                    |
| 11             |  | सामान्य श्रेणी राज्य 14.27 प्रतिशत |                    |
| 12             | सराध.ज. सी.ए.जी.आर. (2006-07 से 2015-16) <sup>7</sup>  | हरियाणा 16.08 प्रतिशत              |                    |
| 13             |  | सामान्य श्रेणी राज्य 15.75 प्रतिशत |                    |
| 14             | हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2006 से 2015)  | 15.91 प्रतिशत                      |                    |
| 15             | सामान्य श्रेणी राज्यों की जनसंख्या <sup>8</sup> वृद्धि (2006 से 2015)                          | 12.24 प्रतिशत                      |                    |
| ख              | वित्तीय आंकड़े   |                                    |                    |
| विवरण          |  | आंकड़े (प्रतिशत में)               |                    |
| सी.ए.जी.आर     |  | 2006-07 से 2014-15                 | 2014-15 से 2015-16 |
|                |  | सामान्य श्रेणी राज्य               | हरियाणा            |
| क              | राजस्व प्राप्तियों का  | 14.74                              | 10.81              |
| ख              | स्वयं के कर राजस्व का  | 15.08                              | 12.30              |
| ग              | कर - भिन्न राजस्व का   | 10.20                              | 0.06               |
| घ              | कुल व्यय का  | 16.71                              | 13.88              |
| ड              | पूँजीगत व्यय का  | 13.21                              | 5.46               |
| च              | शिक्षा पर राजस्व व्यय का   | 17.08                              | 19.12              |
| छ              | स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का  | 18.70                              | 21.20              |
| ज              | वेतन एवं मजदूरियों का <sup>9</sup>   | 15.49                              | 16.87              |
| झ              | वेंशन का <sup>9</sup>  | 18.59                              | 18.63              |
|                |  |                                    | 11.79              |
|                |  |                                    | 17.62              |

<sup>1</sup> जनगणना सूचना भारत 2011 अंतिम जनसंख्या कुल।

<sup>2</sup> निर्धनता के माप के लिए पद्धति आयोजना आयोग (जून 2014) कार्यप्रणाली की समीक्षा के लए विशेषज्ञ दल (रंगराजन) की रिपोर्ट।

<sup>3</sup> सितंबर 2014 की सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली बुलेटिन (भारत के महारजिस्ट्रार)।

<sup>4</sup> भारत का आर्थिक सर्वे तालिका 9.1

<sup>5</sup> 2015 - 16 के लिए योजना आयोग डाटा।

<sup>6</sup> सारियकी विश्लेषण निदेशालय हरियाणा।

<sup>7</sup> सी.एस.ओ. (एच.टी.टी.पी./एस.ओ. एस.पी.आई. निक.इन/मोसपी-न्यू/साईट/ईनर एस. पी. एक्स? एम.टी. यू.एस.-3 एंड मैन्यू-आई.डी.=82) (असम, छत्तीसगढ़, गोआ, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद संबंधित प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों से प्राप्त किया गया है)

<sup>8</sup> भारत तथा राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2001 - 2026 (संशोधित दिसंबर 2006)। जनसंख्या तालिका - 14 पर जनसंख्या राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपणों पर तकनीकी ग्रुप की रिपोर्ट।

<sup>9</sup> दिल्ली को छोड़कर।

## परिशिष्ट 1.2 (संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

### भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप

**सरकारी लेखे का ढांचा:** राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।

**भाग I: समेकित निधि:** इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण (मार्किट ऋण, ब्रॉडस, केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन शामिल होते हैं। भारतीय सविधान द्वारा प्रावधान किए गए प्रयोजनों के लिए तथा पद्धति में कानून के अनुसार के अतिरिक्त कोई धन इस फंड से विनियोजित नहीं किया जा सकता। व्यय की निश्चित श्रेणियां (उदाहरणर्थ – सर्वेधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण पुनर्भुगतान इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर भार संघटित करती है (भारित व्यय) तथा विधायिका द्वारा मत के अध्यधीन नहीं होती। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा वोट किए जाते हैं।

समेकित फंड में दो सैक्षण शामिल होते हैं: राजस्व तथा पूँजीगत (ऋण सहित)। ये आगे ‘प्राप्तियां’ तथा ‘व्यय’ के अंतर्गत श्रेणीबद्ध हैं। राजस्व प्राप्तियां सैक्षण तीन सैक्टरों अर्थात् ‘कर राजस्व’, ‘कर भिन्न राजस्व’ तथा सहायतानुदान तथा अंशदानों में बांटा हुआ है। ये तीन सैक्टर आगे सब-सैक्टरज में जैसे ‘आय तथा व्यय पर कर’ ‘राजकोषीय सेवाएं’ आदि में विभाजित हैं। पूँजीगत प्राप्तियां सैक्षण में अन्य कोई सैक्टर या सब-सैक्टर नहीं है। राजस्व व्यय सैक्षण चार सैक्टरज में विभाजित है अर्थात्, ‘सामान्य सेवाएं’, ‘सामाजिक सेवाएं’, ‘आर्थिक सेवाएं’ तथा ‘सहायतानुदान एवं अंशदान’। राजस्व व्यय सैक्षण से ये भाग आगे उप भागों में विभाजित हैं ‘जैसे राज्य के अंग’, ‘शिक्षा’, ‘खेल’, ‘कला तथा संस्कृति’ आदि। पूँजीगत व्यय सैक्षण आठ भागों में उप विभाजित है, अर्थात् ‘सामान्य सेवाएं’, ‘सामाजिक सेवाएं’, ‘आर्थिक सेवाएं’, ‘सहायतानुदान तथा अंशदान’ ‘लोक ऋण’, ‘ऋण तथा अग्रिम’, ‘अंतर्राजीय समायोजन’ तथा ‘आकस्मिक निधि को ट्रांसफर’।

**भाग II: आकस्मिक निधि:** यह निधि अग्रदाय के रूप में होती है जो राज्य विधायिका द्वारा कानून द्वारा स्थापित है तथा अप्रत्याशित व्यय, जो राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकार के लिए लम्बित हो, को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले अग्रिमों हेतु राज्यपाल की डिस्पोजल पर रखा जाता है फंड की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष को व्यय द्वारा डैबिट कर के की जाती है। 2015 - 16 के लिए हरियाणा सरकार की आकस्मिक निधि ₹ 200 करोड़ है।

**भाग III: लोक लेखा:** अन्य सभी पब्लिक धन जो सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त किया जाता है, जिसमें सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में काम करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। पब्लिक अकाउंट में पुनर्भुगतान योग्य जैसे लघु बचतें तथा भविष्य निधियां, डिपोजिट्स (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिम, रिजर्व फंड्स (ब्याज वाले तथा बिना ब्याज वाले) प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (जिनमें से दोनों ही ट्रांजिटरी शीर्ष हैं फाइनल बुकिंग के लिए लबिट है) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध नेट कैश बैलेंस भी पब्लिक अकाउंट में शामिल है। लोक लेखे में छ: सैक्टर यानि ‘लघु बचतें, भविष्य निधि आदि’, ‘रिजर्व फंड’, ‘जमा तथा अग्रिम’, ‘उचंत तथा विविध’, ‘प्रेषण’ तथा ‘कैश बैलेंस’ शामिल हैं। ये सैक्टर आगे उप भागों में विभाजित हैं। पब्लिक अकाउंट विधायिका की वोट के अध्यधीन नहीं है।

| परिशिष्ट 1.2 भाग - ख: वित्त लेखाओं का विन्यास   |  |
|---|--|
| विवरणी  | विन्यास  |
| वित्त लेखे दो खंडों में प्रस्तुत किए जाते हैं। खंड - I में भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का सर्टिफिकेट, वित्त लेखाओं की गाइड, 13 विवरणियां जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन - देनों पर संक्षेपित सूचना, लेखाओं पर टिप्पणियां तथा लेखाओं की टिप्पणियों पर एक परिशिष्ट शामिल होता है। खंड - I में 13 विवरणियों के विवरण नीचे दिए गए हैं: |  |
| विवरणी सं. 1  | <b>वित्तीय स्थिति की विवरणी:</b> यह विवरणी राज्य सरकार की परिसंपत्तियों तथा देयताओं के संचयी आंकड़े चित्रित करती है, क्योंकि वे वर्ष के अंत में विद्यमान हैं तथा गत वर्ष की वित्तीय स्थिति से तुलना किए गए अनुसार हैं।   |
| विवरणी सं. 2  | <b>प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी:</b> यह विवरणी, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की सभी तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा में सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों का चित्रण करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के कैश बैलेसिज (निवेशों सहित) के वैकल्पिक चित्रण को दिखाते हुए इसमें एक परिशिष्ट शामिल है। परिशिष्ट भी सरकार की अर्थोपाय स्थिति को विस्तार से प्रकट करता है। |

| परिशिष्ट 1.2 भाग - ख: वित्त लेखाओं का विन्यास  |  |
|--|--|
| विवरणी   | विन्यास  |
| विवरणी सं. 3   | <b>प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि):</b> यह विवरणी राज्य सरकार की राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों तथा उधारों को शामिल करती है। यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड - 2 में विस्तृत विवरणी 14, 17 तथा 18 के अनुरूप है।  |
| विवरणी सं. 4   | <b>व्यय की विवरणी (समेकित निधि):</b> वित्त लेखाओं के लघु शीर्ष स्तर के सामान्य चित्रण के अतिरिक्त, यह विवरणी, गतिविधि की प्रकृति द्वारा (व्यय के उद्देश्य) व्यय का विवरण भी देती है। यह विवरणी खंड - 2 में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप है।  |
| विवरणी सं. 5   | <b>प्रोग्रेसिव पूँजीगत व्यय की विवरणी:</b> यह विवरणी भाग - II में विस्तृत विवरणी 16 के अनुरूप है।  |
| विवरणी सं. 6   | <b>उधारों तथा अन्य देयताओं की विवरणी:</b> सरकार की उधारों में इसके द्वारा उठाए गए बाजार ऋण (आंतरिक डेब्ट) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य देयताओं में लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि 'रिजर्व फंड' तथा 'डिपोजिट्स शामिल हैं। विवरणी में ऋण की सेवा पर एक टिप्पणी भी शामिल है तथा भाग - II में विस्तृत विवरणी - 17 के अनुरूप है।         |
| विवरणी सं. 7   | <b>सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विवरणी:</b> यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणों जैसे सांवधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिए गए सभी ऋणों तथा अग्रिमों को चिह्नित करती है। यह विवरणी भाग - II में विस्तृत विवरणी - 18 के अनुरूप है।       |
| विवरणी सं. 8   | <b>सरकार के निवेशों की विवरणी:</b> यह विवरणी सांवधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की इक्विटी में राज्य सरकार के निवेशों को चिह्नित करती है। यह विवरणी भाग - II में विस्तृत विवरणी - 19 के अनुरूप है।  |
| विवरणी सं. 9   | <b>सरकार द्वारा दी गई गारंटीयों की विवरणी:</b> यह विवरणी सांवधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उठाए गए ऋणों पर मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटीयों का संक्षिप्त व्यौरा प्रदान करती है। यह विवरणी भाग - II में विस्तृत विवरणी - 20 के अनुरूप है।   |
| विवरणी सं. 10  | <b>सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी:</b> यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ग्रांट प्राप्त करने वालों जैसे सांवधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता को दिए गए सभी प्रकार के सहायता अनुदानों को चिह्नित करती है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थाओं के विवरण प्रस्तुत करता है। |
| विवरणी सं. 11  | <b>दत्तमत तथा भारित व्यय की विवरणी:</b> यह विवरणी विनियोजन लेखाओं में प्रकट होने वाले सकल आंकड़ों के साथ वित्त लेखाओं में प्रकट नेट आंकड़ों के एग्रीमेंट में सहायता करती है।   |
| विवरणी सं. 12  | <b>राजस्व लेखे से पृथक व्यय हेतु निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की विवरणी:</b> यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अलग किया जाना अपेक्षित है जबकि वर्ष के लिए पूँजीगत व्यय राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में नकद शेष तथा उधारों से वहन किया गया है।   |
| विवरणी सं. 13  | <b>समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सार:</b> यह विवरणी लेखाओं की परिशुद्धता प्रदान करने में सहायता करती है। विवरणी भाग - II में विस्तृत विवरणी - 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप है।   |
| <b>खंड - II में दो भाग शामिल हैं - भाग I में 9 विस्तृत विवरणियां तथा भाग II में 13 परिशिष्ट हैं जैसा कि नीचे दिए गए हैं:</b> |  |
| <b>खंड - II का भाग - I</b>   |  |
| विवरणी सं. 14  | <b>लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड - I में सार विवरणी - 3 के अनुरूप है।   |
| विवरणी सं. 15  | <b>लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी जो खंड - I में सार विवरणी 4 के अनुरूप है, प्लान (स्टेट प्लान, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा केंद्रीय प्लान स्कीमें) तथा नॉन प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व व्यय को चिह्नित करती है। भारित तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाएं जाते हैं।   |

| परिशिष्ट 1.2 भाग - ख: वित्त लेखाओं का विन्यास  |  |
|--|--|
| विवरणी   | विन्यास  |
| विवरणी सं. 16  | लघु शीर्षों तथा उपशीर्षों द्वारा पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो इस खंड के भाग - I में सार विवरणी 5 के अनुरूप है, प्लान (स्टेट प्लान, केंद्रीय प्रयोजित स्कीमें तथा केंद्रीय प्लान स्कीमें) तथा नॉन-प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार के पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) चित्रित करती है। भारित तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए गए हैं। महत्वपूर्ण स्कीमों के संबंध में लघु शीर्ष स्तर पर पूँजीगत व्यय के विवरण निरूपित करने के अतिरिक्त यह विवरणी उपशीर्ष स्तरों पर भी विवरण चित्रित करती है।   |
| विवरणी सं. 17  | उधारों तथा अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी: इस विवरणी में जो इस खंड के भाग - I में सार विवरणी - 6 के अनुरूप है, राज्य सरकार (मार्किट ऋण, बॉडस, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत फंड आदि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) द्वारा उठाए गए सभी ऋणों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों के सारे विवरण शामिल हैं। यह विवरणी तीन श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों पर सूचना प्रस्तुत करती है। (क) व्यक्तिगत ऋणों के विवरण (ख) मैच्योरिटी प्रोफाइल यानि विभिन्न वर्षों में ऋणों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में भुगतान योग्य राशियां, तथा (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर प्रोफाइल। |
| विवरणी सं. 18  | सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी भाग - I में विवरणी - 7 के अनुरूप है।  |
| विवरणी सं. 19  | सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी विवरणी 16 तथा 19 के मध्य कमियों, यदि कोई हो, के मुख्य एवं लघु शीर्ष-वार विवरण तथा इक्विटी-वार निवेश चित्रित करती है। यह विवरणी भाग - I में विवरणी - 8 के अनुरूप है।  |
| विवरणी सं. 20  | सरकार द्वारा दी गई गारंटीयों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी सरकारी गारंटी के एनटिटी वार विवरण प्रदान करती है। यह विवरणी भाग - I में विवरणी - 9 के अनुरूप है।   |
| विवरणी सं. 21  | आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर पर आकस्मिक निधि के अंतर्गत अप्रतिपूरित राशियों के विवरण, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग - I में विवरणी - 13 के अनुरूप है।  |
| विवरणी सं. 22  | चिन्हित शेषों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी रिजर्व फड़ों (लोक लेखा) से निवेशों के विवरण चित्रित करती है।  |
| <b>खंड - II भाग - III</b> में मुख्य केंद्रीय स्कीमों तथा स्टेट प्लान स्कीमों आदि के संबंध में स्कीमवार व्यय, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, सहायता अनुदान, सबसीडियों, वेतनों सहित विभिन्न मदों पर 13 परिशिष्ट शामिल है। ये विवरण उप-शीर्ष स्तर या नीचे (अर्थात् लघु-शीर्ष स्तर से नीचे) अकाउंट्स में प्रस्तुत है तथा इसीलिए सामान्य तौर पर वित्त लेखाओं में चित्रित नहीं किए जाते हैं। परिशिष्ट की एक विस्तृत सूची खंड - 1 या 2 में 'सूचकांक' पर प्रकट है। परिशिष्टों के साथ पठित विवरणियां राज्य सरकार के वित्तों की स्थिति का एक पूर्ण चित्र देती हैं। |  |

### परिशिष्ट 1.3

**(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)**

#### राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति

राज्य सरकार द्वारा उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम के अन्तर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित अन्य विवरणियों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों तथा वित्तीय योगों के स्थापन हेतु इसके प्रक्षेपणों सहित चयनित वित्तीय परिवर्ती हेतु बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएं, मुख्य वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि स.रा.घ.उ. राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की उत्तम सूचक है, कर तथा कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा वित्तीय घटाए जैसे मुख्य वित्तीय योगों, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। स.रा.घ.उ. द्वारा निरूपित आधार के संदर्भ में उचित वित्तीय परिवर्ती हेतु उत्पावकता सह-दक्षताएं भी यह निर्धारित करने हेतु परिकलित की गई है, कि संसाधनों का संघटन, व्यय की पद्धति इत्यादि आधार में परिवर्तन की गति के साथ रखे जा रहे हैं अथवा ये वित्तीय योग स.रा.घ.उ. से अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित हैं।

गत पांच वर्षों हेतु स.रा.घ.उ. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं:

#### चालू दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में प्रवाह

|                                      | 2011-12  | 2012-13  | 2013-14  | 2014-15  | 2015-16  |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) | 3,00,756 | 3,50,407 | 3,95,748 | 4,41,864 | 4,92,657 |
| स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर               | 15.40    | 16.51    | 12.94    | 11.65    | 11.50    |

स्रोत: निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण, हरियाणा

राजकोषीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त चयनित शब्दावली की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

| शब्दावली   | गणना के आधार   |
|--|--|
| पैरा मीटर की उत्पावकता   | पैरामीटर की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि  |
| अन्य पैरा मीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्पावकता | पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर   |
| वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)  | [ (चालू वर्ष राशि / गत वर्ष राशि) - 1 ] * 100  |
| विकास व्यय   | सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं   |
| कुल व्यय   | राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम   |
| राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज                                 | ब्याज भुगतान / [(गत वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं) 2] * 100   |
| ब्याज फैलाव  | स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर  |
| प्रमात्रा फैलाव  | ऋण स्टॉक * ब्याज फैलाव   |
| बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज                 | प्राप्त ब्याज [(ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक + अन्त शेष) 2] * 100   |
| राजस्व घाटा  | राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय   |
| राजकोषीय घाटा  | राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूँजीगत प्राप्तियां   |
| प्राथमिक घाटा  | वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान  |
| चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)                                 | राजस्व प्राप्तियां घटा सभी योजनागत अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर योजनेत्तर राजस्व व्यय - ऋण के परिहार की कटौती हेतु विनियोजन |

**परिशिष्ट 1.4**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3; पृष्ठ 8)**

**राज्य सरकार के वित्तों पर सभ्य क्रम डाटा**

(₹ करोड़ में)

| वर्ष   | 2011-12     | 2012-13      | 2013-14            | 2014-15            | 2015-16      |
|--|-------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>भाग - क प्राप्तियां</b>                               |             |              |                    |                    |              |
| 1. राजस्व प्राप्तियां                                    | 30,558      | 33,634       | 38,012             | 40,799             | 47,557       |
| (i) कर राजस्व  | 20,399(67)  | 23,559(70)   | 25,567(67)         | 27,635(67)         | 30,929 (65)  |
| विक्रियों, व्यापार आदि पर कर                             | 13,384(66)  | 15,377(65)   | 16,774(66)         | 18,993(69)         | 21,060 (68)  |
| राज्य उत्पाद शुल्क                                       | 2,832(14)   | 3,236(14)    | 3,697(14)          | 3,470(13)          | 4,371 (14)   |
| वाहनों पर कर   | 740(4)      | 887(4)       | 1,095(4)           | 1,192(4)           | 1,401 (5)    |
| स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस                            | 2,793(14)   | 3,326(14)    | 3,203(13)          | 3,109(11)          | 3,191 (10)   |
| भू-राजस्व  | 11          | 13           | 12                 | 15                 | 15           |
| माल एवं यात्रियों पर कर                                  | 429(2)      | 471(2)       | 498(2)             | 527(2)             | 554 (2)      |
| विजली पर कर एवं शुल्क                                    | 166         | 192(1)       | 219(1)             | 240(1)             | 257 (1)      |
| अन्य कर  | 44          | 57           | 69                 | 89                 | 80           |
| (ii) कर-भिन्न राजस्व                                     | 4,722(15)   | 4,673(14)    | 4,975(13)          | 4,613(13)          | 4,753 (10)   |
| (iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा         | 2,682(9)    | 3,062(9)     | 3,343(9)           | 3,548(9)           | 5,496 (12)   |
| (iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान                 | 2,755(9)    | 2,340(7)     | 4,127(11)          | 5,003(13)          | 6,379 (13)   |
| 2. विविध पूँजीगत प्राप्तियां                             | 9           | 11           | 10                 | 19                 | 30           |
| 3. ऋणों एवं अधिग्रामों की वसुलियां                       | 294         | 349          | 262                | 273                | 328          |
| 4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूँजीगत प्राप्तियां (1+2+3)    | 30,861      | 33,994       | 38,284             | 41,091             | 47,915       |
| 5. लोक ऋण प्राप्तियां                                    | 10,767      | 15,213       | 17,604             | 18,859             | 37,998       |
| आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)        | 10,669(99)  | 15,162 (100) | 17,263(98)         | 18,728(99)         | 37,901 (100) |
| अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन | -           | -            | -                  | -                  | 0            |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम                              | 98(1)       | 51           | 341(2)             | 131(1)             | 97           |
| 6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)                 | 41,628      | 49,207       | 55,888             | 59,950             | 85,913       |
| 7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां                              | 168         | -            | -                  | -                  | 63           |
| 8. लोक लेखे प्राप्तियां                                  | 19,260      | 22,709       | 26,548             | 28,064             | 29,056       |
| 9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)                      | 61,056      | 71,916       | 82,436             | 88,014             | 1,15,032     |
| <b>भाग - त्व व्यय/संवितरण</b>                            |             |              |                    |                    |              |
| 10. राजस्व व्यय  | 32,015      | 38,072       | 41,887             | 49,118             | 59,236       |
| योजनागत  | 7,792(24)   | 9,456(25)    | 10,152(24)         | 12,760(26)         | 18,561 (31)  |
| योजनेतर  | 24,223 (76) | 28,616(75)   | 31,735(76)         | 36,358(74)         | 40,675 (69)  |
| सामान्य सेवाएं (व्याज भुगतानों सहित)                     | 10,220 (32) | 11,897(31)   | 13,597(32)         | 16,765(34)         | 18,713 (32)  |
| आर्थिक सेवाएं  | 9,054 (28)  | 11,557(30)   | 12,740(30)         | 13,088(27)         | 18,691 (32)  |
| सामाजिक सेवाएं   | 12,641 (39) | 14,516(38)   | 15,414(37)         | 19,120(39)         | 21,539 (36)  |
| सहायता अनुदान एवं अंशदान                                 | 99          | 102          | 136(1)             | 145                | 293          |
| 11. पूँजीगत व्यय   | 5,372       | 5,762        | 3,935              | 3,716              | 6,908        |
| योजनागत  | 4,354 (81)  | 4,191(73)    | 5,067(129)         | 4,837(130)         | 6,624 (96)   |
| योजनेतर  | 1,018 (19)  | 1,571(27)    | (-) 1,132<br>(-29) | (-) 1,121<br>(-30) | 284 (4)      |
| सामान्य सेवाएं   | 235 (5)     | 251(4)       | 282(7)             | 291(8)             | 460 (7)      |
| आर्थिक सेवाएं  | 3,770 (70)  | 4,065(71)    | 1,829(46)          | 1,527(41)          | 4,908 (71)   |
| सामाजिक सेवाएं   | 1,367 (25)  | 1,446(25)    | 1,824(46)          | 1,898(51)          | 1,540 (22)   |
| 12. ऋणों एवं अधिग्रामों का वितरण                         | 627         | 522          | 776                | 843                | 13,250       |
| 13. कुल (10 + 11 + 12)                                   | 38,014      | 44,356       | 46,598             | 53,677             | 79,394       |
| 14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान                                | 4,037       | 5,951        | 7,968              | 8,227              | 7,215        |
| आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)        | 3,812 (94)  | 5,825(98)    | 7,800(98)          | 8,073(98)          | 7,039 (98)   |
| अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन | -           | -            | -                  | -                  | -            |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम                              | 225 (6)     | 126(2)       | 168(2)             | 154(2)             | 176 (2)      |
| 15. आकस्मिक निधि के विनियोजन                             | -           | -            | -                  | -                  | -            |
| 16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13 + 14 + 15)        | 42,051      | 50,307       | 54,566             | 61,904             | 86,609       |
| 17. आकस्मिक निधि संवितरण                                 | 168         | -            | -                  | -                  | 63           |
| 18. लोक लेखे संवितरण                                     | 17,051      | 21,074       | 24,560             | 25,609             | 28,650       |
| 19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16 + 17 + 18)              | 59,270      | 71,381       | 79,126             | 87,513             | 1,15,322     |
| <b>भाग ग- घाटा/आधिक्य</b>                                |             |              |                    |                    |              |
| 20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)                     | (-) 1,457   | (-) 4,438    | (-) 3,875          | (-) 8,319          | -11,679      |
| 21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(4-13)                   | (-) 7,153   | (-) 10,362   | (-) 8,314          | (-) 12,586         | -31,479      |
| 22. प्रथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)                  | (-) 3,152   | (-) 5,618    | (-) 2,464          | (-) 5,658          | -23,195      |

|  | 2011-12   | 2012-13   | 2013-14   | 2014-15   | 2015-16   |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>भाग - घ अन्य डाटा</b>   |           |           |           |           |           |
| 23. व्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)                      | 4,001     | 4,744     | 5,850     | 6,928     | 8,284     |
| 24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता                        | 3,306     | 4,648     | 4,540     | 6,106     | 10,766    |
| 25. अर्थोपाय अधिग्रहण (अ.ज.)/प्राप्त जोवर इफ्ट (दिनों में)       | 974(11)   | 347(12)   | 109 (4)   | -         | 0         |
| 26. अ.ज./जोवर इफ्ट पर व्याज                                      | 1.51      | 0.78      | 0.03      | -         | 0         |
| 27. सकल राज्य धरूल उत्पाद (स.रा.घ.ज.) <sup>10</sup>              | 3,00,756  | 3,50,407  | 3,95,748  | 4,41,864  | 4,92,657  |
| 28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)                    | 54,540    | 64,818    | 76,263    | 88,446    | 1,20,718  |
| 29. व्याज तथा गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में) | 5,608     | 21,124    | 27,309    | 30,389    | 16,886    |
| 30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या                                  | 8         | 14        | 40        | 14        | 18        |
| 31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी (₹ करोड़ में)            | 186       | 48        | 398       | 62.19     | 98.65     |
| <b>भाग - ई राजकोषीय स्थिति सूचक</b>                              |           |           |           |           |           |
| <b>I संसाधन संधटन</b>  |           |           |           |           |           |
| स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.ज.                                     | 0.068     | 0.067     | 0.065     | 0.063     | 0.063     |
| स्वयं का कर - भिन्न राजस्व/स.रा.घ.ज.                             | 0.016     | 0.013     | 0.013     | 0.010     | 0.010     |
| केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.ज.                                       | 0.009     | 0.009     | 0.008     | 0.008     | 0.011     |
| <b>II व्यय प्रबन्ध</b>   |           |           |           |           |           |
| कुल व्यय/स.रा.घ.ज.   | 0.126     | 0.127     | 0.118     | 0.121     | 0.161     |
| कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां                                      | 1.244     | 1.319     | 1.226     | 1.316     | 1.669     |
| राजस्व व्यय/कुल व्यय   | 0.842     | 0.858     | 0.899     | 0.915     | 0.746     |
| सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय                                  | 0.368     | 0.360     | 0.370     | 0.392     | 0.291     |
| आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय                                   | 0.337     | 0.352     | 0.313     | 0.272     | 0.297     |
| पूँजीगत व्यय/कुल व्यय  | 0.141     | 0.130     | 0.084     | 0.069     | 0.087     |
| सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय               | 0.135     | 0.124     | 0.078     | 0.064     | 0.081     |
| <b>III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्ध</b>                         |           |           |           |           |           |
| राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.ज.                                   | -0.005    | -0.013    | -0.010    | -0.019    | -0.024    |
| राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.ज.  | -0.024    | -0.030    | -0.021    | -0.028    | -0.064    |
| प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.ज.                                 | (-) 0.010 | (-) 0.016 | (-) 0.006 | (-) 0.013 | (-) 0.047 |
| राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा   | 0.204     | 0.428     | 0.466     | 0.661     | 0.371     |
| प्राथमिक राजस्व शेष/स.रा.घ.ज.                                    | (-) 0.012 | (-) 0.018 | (-) 0.017 | (-) 0.025 | (-) 0.033 |
| <b>IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध</b>                            |           |           |           |           |           |
| राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.ज.                                       | 0.18      | 0.18      | 0.19      | 0.20      | 0.25      |
| वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां                               | 1.785     | 1.927     | 2.006     | 2.168     | 2.538     |
| <b>V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक</b>                               |           |           |           |           |           |
| निवेश पर रिटर्न  | 1.64      | 7.05      | 6.49      | 5.80      | 15.89     |
| चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)                                 | 4977      | 3741      | 4406      | 1161      | 4510      |
| वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं                                   | 0.78      | 0.75      | 0.74      | 0.68      | 0.67      |

**परिशिष्ट 1.5 भाग - क  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 2)**

**वर्ष 2015 - 16 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार**

(₹ करोड़ में)

| प्राप्तियां   |                  |                 |                  | संवितरण  |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2014-15          |                 | 2015-16          |  | 2014-15          | नॉन - प्लान      | प्लान            | कुल              |
| <b>भाग क: राजस्व</b>  |                  |                 |                  |  |                  |                  |                  |                  |
| I. राजस्व प्राप्तियां   | <b>40,798.66</b> |                 | <b>47,556.55</b> | I. राजस्व व्यय   | <b>49,117.87</b> |                  |                  | <b>59,235.70</b> |
| कर राजस्व   | 27,634.57        | 30,929.09       |                  | सामान्य सेवाएं   | <b>16,764.73</b> | <b>18,585.59</b> | <b>127.74</b>    | <b>18,713.33</b> |
| कर भिन्न राजस्व   | 4,613.12         | 4,752.48        |                  | सामाजिक सेवाएं   | <b>19,120.56</b> | <b>10,172.68</b> | <b>11,366.18</b> | <b>21,538.86</b> |
| संधीय करों का राज्य का हिस्सा                                 | 3,548.09         | 5,496.22        |                  | शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति  | 9,293.18         | 6,170.85         | 3,745.68         | 9,916.53         |
| नौन प्लान अनुदान  | 1,723.20         | 3,744.39        |                  | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  | 2,173.86         | 994.60           | 1,495.10         | 2,489.70         |
| राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान                               | 2,815.36         | 2,268.18        |                  | जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास                                  | 3,021.12         | 1,785.70         | 1,856.48         | 3,642.18         |
| केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रयोजित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान  | 464.32           | 366.19          |                  | सूचना एवं प्रसारण  | 101.33           | 42.45            | 62.72            | 105.17           |
|   |                  |                 |                  | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 270.00           | 146.63           | 186.97           | 333.60           |
|   |                  |                 |                  | श्रम एवं श्रम कल्याण   | 289.71           | 181.07           | 125.43           | 306.50           |
|   |                  |                 |                  | समाज कल्याण एवं पोषण   | 3,964.80         | 842.76           | 3,893.8          | 4,736.56         |
|   |                  |                 |                  | अन्य   | 6.56             | 8.62             | 0                | 8.62             |
|   |                  |                 |                  | आर्थिक सेवाएं  | <b>13,088.00</b> | <b>11,623.48</b> | <b>7,066.88</b>  | <b>18,690.36</b> |
|   |                  |                 |                  | कृषि एवं सहायक गतिविधियां  | 2,011.92         | 942.12           | 1,353.02         | 2,295.14         |
|   |                  |                 |                  | ग्रामीण विकास  | 1,843.44         | 677.47           | 1,173.2          | 1,850.67         |
|   |                  |                 |                  | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण   | 1,159.14         | 1,066.80         | 338.58           | 1,405.38         |
|   |                  |                 |                  | ऊर्जा  | 5,244.67         | 6,325.85         | 3,894.07         | 10,219.92        |
|   |                  |                 |                  | उद्योग एवं खनिज  | 145.68           | 35.97            | 58.81            | 94.78            |
|   |                  |                 |                  | परिवहन   | 2,567.01         | 2,515.84         | 79.34            | 2,595.18         |
|   |                  |                 |                  | विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण                                     | 21.65            | 8.43             | 25.10            | 33.53            |
|   |                  |                 |                  | अन्य सामाज्य आर्थिक सेवाएं   | 94.49            | 51.00            | 144.76           | 195.76           |
|   |                  |                 |                  | सहायता अनुदान तथा अंशदान   | <b>144.59</b>    | <b>293.15</b>    | <b>0</b>         | <b>293.15</b>    |
| II. भाग ख को अग्रनीत राजस्व घटा                               | <b>8,319.21</b>  |                 | <b>11,679.15</b> | भाग ख को अग्रनीत राजस्व आधिकार्य                                       |                  |                  |                  |                  |
| <b>योग भाग क</b>  | <b>49,117.87</b> |                 | <b>59,235.70</b> |  | <b>49,117.87</b> | <b>40,674.90</b> | <b>18,560.80</b> | <b>59,235.70</b> |
| <b>भाग ख - अन्य</b>   |                  |                 |                  |  |                  |                  |                  |                  |
| III. स्थानी अधिग्राहों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष | <b>6,007.18</b>  | <b>6,507.52</b> |                  | III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट                          |                  |                  |                  |                  |
| IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां                                 | 18.74            | 29.98           |                  | IV. पूंजीगत परिव्यय  | <b>3,715.53</b>  | <b>283.77</b>    | <b>6,624.56</b>  | <b>6,908.33</b>  |
|   |                  |                 |                  | सामान्य सेवाएं   | <b>290.70</b>    | <b>0</b>         | <b>460.56</b>    | <b>460.56</b>    |
|   |                  |                 |                  | सामाजिक सेवाएं   | <b>1,897.56</b>  | <b>0</b>         | <b>1,539.99</b>  | <b>1,539.99</b>  |
|   |                  |                 |                  | शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति  | 186.06           |                  | 202.16           | 202.16           |
|   |                  |                 |                  | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  | 64.87            |                  | 35.20            | 35.20            |
|   |                  |                 |                  | जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास                                   | 1,418.25         |                  | 1,133.51         | 1,133.51         |
|   |                  |                 |                  | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण  | 1.25             |                  | 2.24             | 2.24             |
|   |                  |                 |                  | समाज कल्याण एवं पोषण   | 56.84            |                  | 57.45            | 57.45            |
|   |                  |                 |                  | अन्य   | 170.29           |                  | 109.43           | 109.43           |

| प्राप्तियां   |                          |                          |           | संवितरण  |  |   |  |           |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------|--|--|---|--|-----------|
|   | 2014-15                  |                          | 2015-16   |  | 2014-15  | 2015-16   |  |           |
|   |                          |                          |           |  | नॉन - प्लान  | प्लान   | कुल  |           |
| V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां  | 272.82                   |                          |           | आर्थिक सेवाएं<br>कृषि एवं सहायक गतिविधियां<br>सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण<br>ऊर्जा<br>उद्योग एवं खनिज<br>परिवहन<br>सामान्य आर्थिक सेवाएं        | 1,527.27<br>(-) 1,053.03<br>965.33<br>66.94<br>1.22<br>1,516.96<br>29.51 | 283.77<br>283.55<br>117.35<br>876.21<br>1,597.50<br>0.01<br>2,010.99<br>21.95 | 4,624.01<br>400.9<br>876.21<br>1,597.50<br>0.01<br>2,011.21<br>21.95 | 4,907.78  |
| विजली परियोजनाओं से सरकारी कर्मचारियों से अन्यों से                                     | 25.95<br>217.65<br>29.22 | 61.94<br>244.48<br>21.86 | 328.28    | V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम  | 842.87   | 275.2   | 12,975.09  | 13,250.29 |
| VI राजस्व आधिक्य नीचे लाया गया  | -                        |                          |           | विजली परियोजनाओं हेतु सरकारी कर्मचारियों को अन्यों को VI. राजस्व घाटा नीचे लाया गया  | 8,319.21   |   |  | 11,679.15 |
| VII. लोक ऋण प्राप्तियां बाह्य ऋण<br>अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्रॉफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण | 18,858.75                |                          | 37,998.43 | VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान बाह्य ऋण<br>अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्रॉफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण   | 8,227.41   |   |  | 7,214.68  |
| अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल संपादन   | --                       |                          |           | अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल संपादन  | --   | --  |  |           |
| केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम  | 130.76                   | 97.24                    |           | केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान  | 153.74   | 176.14  |  |           |
| VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन  |                          |                          | 63.22     | VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन   | -  | -   |  | 63.22     |
| IX. आकस्मिक निधि से अंतरित राशि   |                          |                          | 63.22     | IX. आकस्मिक निधि से व्यय   | -  | -   |  |           |
| X. लोक लेखा प्राप्तियां लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.                                  | 28,064.30<br>2,747.69    | 2,967.99                 | 29,055.78 | X. लोक लेखा संवितरण लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि.  | 25,609.25  |   |  | 28,649.81 |
| आरक्षण निधियां  | 1,257.10                 | 698.81                   |           | आरक्षण निधियां   |  |   | 1,709.62   |           |
| उचन्त एवं विविध   | 453.48                   | 562.53                   |           | उचन्त एवं विविध  |  |   | 544.51   |           |
| प्रेषण  | 6,514.21                 | 7,193.95                 |           | प्रेषण   |  |   | 7,213.1  |           |
| निषेप एवं अग्रिम  | 17,091.82                | 17,632.50                |           | डिपोजिट्स एवं अग्रिम   |  |   | 17,263.23  |           |
| XI. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से संबरण ओवरड्रॉफ्ट   |                          |                          |           | XI. समाप्ति पर नकद शेष   | 6,507.52   |   |  | 6,217.73  |
|   |                          |                          |           | कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद रिजर्व बैंक के साथ निषेप स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित विभागीय नकद शेष नकद शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निवेश |  | 0.54<br>-733.94<br>2.79<br>6,948.34   |  |           |
| योग भाग - ख   | 53,221.79                |                          | 73,983.21 | योग  | 53,221.79  |   |  | 73,983.21 |

**परिशिष्ट 1.5 भाग ख**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.2; पृष्ठ 30)**

**31 मार्च 2016 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति**

(₹ करोड़ में)

| 31 मार्च 2015 को | देयताएं   | 31 मार्च 2016 को  |
|------------------|---|---|
| 68,797.47        | आन्तरिक ऋण<br>52,650.52 ब्याज युक्त बाजार ऋण<br>2.31 ब्याज रहित बाजार ऋण<br>1.41 जीवन बीमा निगम से ऋण<br>3,904.06 अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण<br>12,239.17 केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिशूलियां | 99,660.13<br>65,818.85<br>2.28<br>0.62<br>20,587.10<br>13,251.28    |
| 2,127.83         | केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम<br>1984 - 85 से पूर्व के ऋण<br>47.16 योजनेत्तर ऋण<br>2,074.33 स्टेट प्लान स्कीमों हेतु ऋण<br>- केन्द्रीय प्लान स्कीमों हेतु ऋण<br>6.34 केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों हेतु ऋण             | 2,048.92<br>45.28<br>1,997.3<br>0<br>6.34                           |
| 200.00           | आकस्मिक निधि  | 200   |
| 11,157.68        | लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि  | 12,206.32   |
| 6,046.33         | डिपोजिटस  | 6,415.6   |
| 4,173.52         | आरक्षण निधियां  | 3,162.71  |
| --               | उचन्त तथा विविध शेष   |   |
| 143.35           | प्रेषण शेष  | 124.2   |
| 92,646.18        |   | 1,23,817.88   |
| 31 मार्च 2015 को | परिसम्पत्तियां  | 31 मार्च 2016 को  |
| 52,145.68        | स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय<br>7,500.22 कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश<br>44,645.46 अन्य पूंजीगत परिव्यय  | 59,024.03<br>9,372.44<br>49,651.59                                  |
| 4,572.29         | ऋण एवं अग्रिम<br>1,025.62 विजली परियोजनाओं हेतु ऋण<br>2,727.87 अन्य विकास ऋण<br>818.80 सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण  | 17,494.3<br>13,230.51<br>3,414.28<br>849.51                         |
| 0.72             | अग्रिम  | 0.72  |
| 193.99           | उचन्त एवं विविध शेष   | 175.97  |
| -                | प्रेषण शेष  |   |
| 6,507.52         | नकद<br>0.54 कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण<br>75.53 रिजर्व बैंक में डिपोजिटस<br>3.07 विभागीय नकद शेष<br>0.11 स्थायी अग्रिम<br>2,571.52 नकद शेष निवेश<br>3,856.75 आरक्षण निधि निवेश<br>सरकारी लेखाओं पर घाटा              | 6,217.73<br>0.54<br>-733.94<br>2.68<br>0.11<br>4,173.12<br>2,775.22 |
| 29,225.98        | 8,319.21 (i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा<br>20,906.77 (ii) गत वर्ष तक संचित घाटा  | 40,905.13<br>11,679.15<br>29,225.98                                 |
| 92,646.18        | कुल   | 1,23,817.88   |

**परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी:** आगे विवरणियों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखाओं में टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़े जाने हैं। सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है, नकद आधार पर स्थिति सूचित करता है जो वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विरुद्ध है। परिणामतः, देय अथवा प्राप्य मदें अथवा स्टाक आंकड़ों में हास अथवा भिन्नता जैसे मदें लेखे में लेखाबद्ध नहीं होती। उचन्त एवं विविध शेषों में, जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए गए चैक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए गए तथा “भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप” के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2016 को सूचित किए गए आंकड़ों में ₹ 2.57 करोड़ (जमा) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (अगस्त 2016)।

**परिशिष्ट 1.6**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 2)**

वर्ष 2015 - 16 के लिए चौदहवें वित्त आयोग तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के अन्तर्गत निर्धारण / प्रक्षेपणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

| विवरण                       | चौ.वि.आ. द्वारा निर्धारण   | म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपण |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| स्वयं का कर राजस्व          | 38,049                     | 33,249.40                   |
| स्वयं का कर - भिन्न राजस्व  | 4,111                      | 6,885.39                    |
| स्वयं की राजस्व प्राप्तियां | 42,160                     | 40,134.79                   |
| योजनेतर राजस्व व्यय         | -                          | 43,208.62                   |
| योजनागत राजस्व व्यय         | -                          | 18,661.00                   |
| कुल राजस्व व्यय             | 44,514                     | 61,869.62                   |
| वेतन                        | -                          | 17,060.56                   |
| ब्याज भुगतान                | 7,582                      | 8,563.75                    |
| पेंशन                       | 4,950                      | 5,900.00                    |
| सबसिडी - विद्युत            | -                          | 5,624.92                    |
| राजस्व घाटा                 | -                          | 9,557.52                    |
| राजकोषीय घाटा               | स.रा.घ.उ. का 3.25 प्रतिशत  | स.रा.घ.उ. का 3.14 प्रतिशत   |
| बकाया ऋण                    | स.रा.घ.उ. का 19.28 प्रतिशत | 98,842.62                   |

**परिशिष्ट 1.7**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.3; पृष्ठ 27)**

वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को आंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति

| क्र.<br>सं. | सरकारी कम्पनियां   | निवेश           | संचित<br>हानि    | लेखा<br>वर्ष |
|-------------|--|-----------------|------------------|--------------|
|             |  | (2015 - 16 तक)  | (₹ करोड़ में)    |              |
| 1.          | हरियाणा पिछ़ड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड | 37.26           | 10.62            | 2011-12      |
| 2.          | हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड                          | 10.89           | 35.32            | 2014-15      |
| 3.          | हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड                                   | 2,776.81        | 281.77           | 2014-15      |
| 4.          | उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड                                 | 1,780.49        | 16,309.78        | 2014-15      |
| 5.          | दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड                                | 1,421.77        | 12,719.03        | 2014-15      |
| 6.          | हरियाणा वित्तीय निगम   | 201.98          | 108.77           | 2014-15      |
| 7.          | हरियाणा मिनरल्ज लिमिटेड  | 0.24            | 12.40            | 2014-15      |
| 8.          | यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड                                       | 0.01            | 0.05             | 2014-15      |
| 9.          | हरियाणा मॉस रेपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़              | 2.54            | 40.29            | 2013-14      |
| <b>कुल</b>  |  | <b>6,231.99</b> | <b>29,518.03</b> |              |

**परिशिष्ट 1.8**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.4; पृष्ठ 27)**

**विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्थ-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय  
विवरणी**

(₹ करोड़ में)

| क्र.<br>सं. | उपक्रम<br>का नाम  | लेखाओं<br>की<br>अवधि | गत स्वाते<br>के अनुसार<br>नियोजित<br>पूंजी | साधन<br>सरकारी<br>पूंजी | हास गूल्य<br>पर ब्लाक<br>परिसम्पत्तियाँ | वर्ष के<br>दौरान<br>किया गया<br>हास<br>प्रावधान | टर्नओवर         | निवल<br>लाभ/<br>हानि | पूंजी<br>पर<br>ब्याज | कुल रिटर्न<br>(9+10) | पूंजी<br>पर<br>रिटर्न<br>प्रतिशतता |
|-------------|---|----------------------|--|-------------------------|---|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1           | 2   | 3                    | 4  | 5                       | 6                                       | 7   | 8               | 9                    | 10                   | 11                   | 12                                 |
| 1           | कृषि विभाग<br>(बीज डिपो<br>स्कीम)                       | 1988-89              | -  | -                       | -                                       | -   | 0.03            | (-) 0.01             | -                    | (-) 0.01             | -                                  |
| 2           | कृषि विभाग<br>(कीटनाशियों<br>का क्रय एवं<br>वितरण)      | 1986-87              | 0.82                                       | 1.68                    | -                                       | -   | 1.67            | 0.13                 | -                    | 0.13                 | 7.74                               |
| 3           | मुद्रण एवं<br>लेखन<br>(राष्ट्रीय पाठ्य<br>पुस्तक स्कीम) | 2007-08              | 17.97                                      | 21.59                   | 0.09                                    | 0.01  | 7.24            | 1.74                 | 1.43                 | 3.17                 | 14.68                              |
| 4           | खाद्य एवं<br>आपूर्ति<br>(अनाज<br>आपूर्ति स्कीम)         | 2013-14              | 6,332.83                                   | 5,886.37                | -                                       | -   | 6,494.56        | 161.73               | 386.35               | 548.08               | 9.31                               |
| 5           | परिवहन<br>विभाग<br>हरियाणा<br>रोडवेज़                   | 2010-11              | 774.86                                     | 726.80                  | 502.76                                  | 8.34  | 713.81          | (-)295.54            | 28.00                | (-)267.54            | -                                  |
| <b>कुल</b>  |   |                      | <b>7,126.48</b>                            | <b>6,636.44</b>         | <b>502.85</b>                           | <b>8.35</b>                                     | <b>7,217.31</b> | <b>(-) 131.95</b>    | <b>415.78</b>        | <b>283.83</b>        | <b>31.73</b>                       |

**परिशिष्ट 1.9**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.5; पृष्ठ 27)**

**कार्यान्वयनाधीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूलभूत संरचना परियोजनाओं के ब्यौरे**

| क्र. सं. | परियोजना का नाम   | विभाग/एजेंसी                 | अनुमानित लागत<br>(₹ करोड़ में) | संरचना<br>(बी.ओ.ओ.टी./<br>बी.ओ.टी.) | प्रदानगी की तारीख | पूर्णता की संभावित तारीख  |
|----------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1        | कुण्डली - मानेसर - पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रैस - वे का निर्माण   | एच.एस.आई.आई.डी.सी.           | 1,863.00                       | बी.ओ.टी.<br>(वार्षिकी)              | अगस्त 2015        | फरवरी 2018. कुण्डली - मानेसर सैक्षण पी.पी.पी. मोड पर निष्पादित किया जा रहा है। मानेसर - पलवल सैक्षण आइटम रेट मोड पर निष्पादित किया गया था तथा अप्रैल 2016 से यातायात के लिए खोल दिया गया है।  |
| 2        | मनोरंजन पार्क गुडगांव का निर्माण  | एच.एस.आई.आई.डी.सी.           | 230.00                         | संयुक्त उद्घम                       | 02 जून 2000       | परियोजना का 70 प्रतिशत पूर्ण किया गया। होटल ब्लॉक का 50 प्रतिशत सितंबर 2011 में परिचालनात्मक बनाया गया।   |
| 3        | मेट्रो सिकन्दरपुर से सैक्टर-56, गुडगांव तक मेट्रो लिंक का विकास   | हुडा                         | 2,143.00                       | बी.ओ.टी.                            | 1 अक्टूबर 2012    | दिसंबर 2016   |
| 4        | हरियाणा के चयनित जिला अस्पतालों में हीमोडायलिसिस का प्रावधान  | स्वास्थ्य                    | --                             | डी.बी.एफ.ओ. एंड एम.                 | -                 | एच.आई.डी.बी. की कार्यकारी समिति द्वारा आर.एफ.पी. दस्तावेज अनुमोदित किया गया।  |
| 5        | फरीदाबाद तथा गुडगांव यू.एल.बी.जे से समायुक्त फरीदाबाद क्लस्टर के लिए एकीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (संग्रहण, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एवं निपटान) का विकास | शहरी स्थानीय निकाय           | --                             | डी.बी.एफ.ओ. एंड एम.                 | -                 | 27 जनवरी 2016 को आयोजित सी.ओ.एस.आई. की बैठक में विचार किया गया तथा अनुमोदित बोलियां विभाग द्वारा आमंत्रित की जा रही हैं।  |
| 6        | मेवात जिले में पेल्ड सोल्डर सहित 2 लेन फिरोजपुर झिरका बिवान मार्ग (14.28 कि.मी.) का विकास   | पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) | 94.00                          | बी.ओ.टी.                            | -                 | सी.ओ.एस.आई. द्वारा बोली वाले दस्तावेजों के अनुमोदन के पश्चात् बोलियां आमंत्रित की गई तथा विभाग द्वारा खोली गई थी। चूंकि प्रस्तावित न्यूनतम रियायत अवधि 10 वर्ष से अधिक थी, मामला पुनः 08 अप्रैल 2016 को आयोजित बैठक में सी.ओ.एस.आई. के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था। |
| कुल      |   |                              | 4,330.00                       |                                     |                   |   |

**परिशिष्ट 2.1**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 40)

**2015 - 16 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा**

| क्र. स. | अनुदान की संख्या तथा मुख्य शीर्ष                                     | प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में) | व्यय का लघु/उप-शीर्ष  |
|---------|--|---|---|
| 1       | 04 - राजस्व<br>2245 - प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत                   | 976.04                                      | 80- सामान्य, 800-अन्य व्यय, 96-पेस्ट अटैक/लैंड स्लार्ड, बादल फटने इत्यादि के लिए नकद अनुदान   |
| 2       | 20 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण<br>2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 0.57  | 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम, 102-सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अंतर्गत पेंशन, 97- वृद्ध, शारीरिक रूप से अक्षम, परिस्थिति महिलाओं एवं विधवाओं के लिए पेंशन |
| 3       | 24 - सिंचाई  | 0.23  | 01-बहुदेशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता  |
| 4       | 2700 - मुख्य सिंचाई  | 2.73  | 02-पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता   |
| 5       |  | 0.42  | 04-लोहारू कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व   |
| 6       |  | 3.23  | 04- लोहारू कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता   |
| 7       |  | 0.17  | 04- लोहारू कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता   |
| 8       |  | 0.26  | 04- लोहारू कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता   |
| 9       |  | 0.36  | 05- जवाहर लाल नेहरू कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व   |
| 10      |  | 2.74  | 05- जवाहर लाल नेहरू कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता  |
| 11      |  | 0.14  | 05- जवाहर लाल नेहरू कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता  |
| 12      |  | 0.22  | 05- जवाहर लाल नेहरू कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता  |
| 13      |  | 1.00  | 18- गैर - वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व  |
| 14      |  | 5.70  | 80- सामान्य, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व  |
| 15      |  | 55.87                                       | 80- सामान्य, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता   |
| 16      |  | 4.67  | 80- सामान्य, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता   |
| 17      |  | 25.00                                       | 80- सामान्य, 800- अन्य व्यय, 97-रेणुका बांध परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश का हिस्सा   |
| 18      | 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय                               | 0.16  | 07- सतलुज यमुना लिंक परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व  |
| 19      |  | 0.86  | 07- सतलुज यमुना लिंक परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता   |
| 20      |  | 7.55  | 13- नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व   |
| 21      |  | 40.94                                       | 13- नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता  |
| 22      |  | 1.89  | 13- नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता  |
| 23      |  | 2.71  | 13- नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता  |
| 24      |  | 0.13  | 14-दादूपुर नलवी सिंचाई प्रोजैक्ट, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व   |
| 25      |  | 0.69  | 14- दादूपुर नलवी सिंचाई प्रोजैक्ट, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता   |

| क्र. स.    | अनुदान की संख्या तथा मुख्य शीर्ष                 | प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में) | व्यय का लघु/उप-शीर्ष   |
|------------|--|---|--|
| 26         |  | 0.56  | 15- चैनलों की लाईनिंग, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व                                     |
| 27         |  | 3.01  | 15- चैनलों की लाईनिंग, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता                                |
| 28         | 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय           | 0.14  | 15-चैनलों की लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता                                    |
| 29         |  | 0.20  | 15- चैनलों की लाईनिंग, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता                                    |
| 30         |  | 6.73  | 16- विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व          |
| 31         |  | 36.48                                       | 16- विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता     |
| 32         |  | 1.68  | 16- विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता       |
| 33         |  | 2.41  | 16- विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता         |
| 34         |  | 0.17  | 07- नाबाई के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 88-पेशनरी प्रभार      |
| 35         |  | 13.95                                       | 07- नाबाई के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व      |
| 36         |  | 88.42                                       | 07- नाबाई के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता |
| 37         |  | 5.56  | 07- नाबाई के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता   |
| 38         |  | 8.44  | 07- नाबाई के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता     |
| 39         |  | 2.26  | 19-कौशलत्या डैम, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व   |
| 40         |  | 14.27                                       | 19- कौशलत्या डैम, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता                                     |
| 41         |  | 0.90  | 19- कौशलत्या डैम, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता                                       |
| 42         |  | 1.37  | 19- कौशलत्या डैम, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता   |
| 43         |  | 0.71  | 23- राज्य में जल निकायों का विकास, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व                         |
| 44         |  | 4.50  | 23- राज्य में जल निकायों का विकास, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता                    |
| 45         |  | 0.28  | 23- राज्य में जल निकायों का विकास, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता                      |
| 46         |  | 0.43  | 23- राज्य में जल निकायों का विकास, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता                        |
| 47         |  | 0.95  | 80- सामान्य, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व   |
| 48         |  | 6.01  | 80- सामान्य, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता  |
| 49         |  | 0.38  | 80- सामान्य, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता  |
| 50         |  | 0.58  | 80- सामान्य, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता  |
| 51         | 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 0.13  | 01- बाढ़ नियंत्रण, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 88- पेशनरी प्रभार  |
| 52         |  | 7.69  | 01- बाढ़ नियंत्रण, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व   |
| 53         |  | 67.31                                       | 01- बाढ़ नियंत्रण, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता                                    |
| 54         |  | 3.13  | 01- बाढ़ नियंत्रण, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता                                      |
| 55         |  | 4.47  | 01- बाढ़ नियंत्रण, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता  |
| <b>कुल</b> |  | <b>1,417.40</b>                             |  |

## परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 41)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक थी,  
की विवरणी

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं.                 | अनुदान की संख्या तथा नाम                | मूल              | पूरक             | कुल                | वास्तविक व्यय    | बचतें            | अभ्यर्पण         |
|-------------------------|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>राजस्व (दत्तमत)</b>  |   |                  |                  |                    |                  |                  |                  |
| 1                       | 6- वित्त                                | 5,971.82         | -                | 5,971.82           | 5,469.17         | 502.65           | 502.44           |
| 2                       | 7- आयोजना एवं सार्विकी                  | 407.82           | 0.63             | 408.45             | 170.71           | 237.74           | 237.75           |
| 3                       | 8- भवन एवं सड़कें                       | 1,228.79         | -                | 1,228.79           | 1,069.61         | 159.18           | 184.35           |
| 4                       | 9- शिक्षा                               | 11,440.66        | 159.90           | 11,600.56          | 9,283.30         | 2,317.26         | 2,322.79         |
| 5                       | 13- स्वास्थ्य                           | 2,989.03         | 47.74            | 3,036.77           | 2,489.62         | 547.15           | 545.95           |
| 6                       | 15-स्थानीय शासन                         | 2,217.19         | 1,048.62         | 3,265.81           | 1,858.11         | 1,407.70         | 1,407.70         |
| 7                       | 19-एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का कल्याण | 365.19           | 291.61           | 656.80             | 333.60           | 323.20           | 323.83           |
| 8                       | 20- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण          | 3,630.57         | 0.14             | 3,630.71           | 3,418.77         | 211.94           | 212.57           |
| 9                       | 21- महिला एवं बाल विकास                 | 981.34           | 9.19             | 990.53             | 722.29           | 268.24           | 268.72           |
| 10                      | 23-खाद्य एवं आपूर्ति                    | 318.05           | 56.00            | 374.05             | 251.31           | 122.74           | 122.74           |
| 11                      | 24- सिंचाई                              | 1,717.22         | -                | 1,717.22           | 1,358.06         | 359.16           | 165.79           |
| 12                      | 27- कृषि                                | 1,240.57         | 145.50           | 1,386.07           | 1,011.88         | 374.19           | 372.79           |
| 13                      | 28-पशुपालन एवं डेरी विकास               | 666.06           | 32.96            | 699.02             | 527.14           | 171.88           | 171.81           |
| 14                      | 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास          | 2,945.76         | 1.94             | 2,947.70           | 2,132.16         | 815.54           | 833.44           |
| 15                      | 34- परिवहन                              | 2,055.27         | -                | 2,055.27           | 1,795.44         | 259.83           | 260.64           |
| 16                      | 36-गृह                                  | 2,914.36         | -                | 2,914.36           | 2,757.42         | 156.94           | 153.96           |
| 17                      | 38-जन- स्वास्थ्य और जलापूर्ति           | 1,637.33         | 168.58           | 1,805.91           | 1,654.14         | 151.77           | 173.25           |
| 18                      | 40-ऊर्जा एवं विद्युत                    | 5,676.25         | 4,716.16         | 10,392.41          | 10,247.61        | 144.80           | 122.26           |
|                         | <b>कुल</b>                              | <b>48,403.28</b> | <b>6,678.97</b>  | <b>55,082.25</b>   | <b>46,550.34</b> | <b>8,531.91</b>  | <b>8,382.78</b>  |
| <b>राजस्व (भारित)</b>   |   |                  |                  |                    |                  |                  |                  |
| 19                      | 6- वित्त                                | 9,118.75         | 699.38           | 9,818.13           | 8,574.97         | 1,243.17         | 222.79           |
|                         | <b>कुल</b>                              | <b>9,118.75</b>  | <b>699.38</b>    | <b>9,818.13</b>    | <b>8,574.97</b>  | <b>1,243.17</b>  | <b>222.79</b>    |
| <b>पूंजीगत (दत्तमत)</b> |   |                  |                  |                    |                  |                  |                  |
| 20                      | 8- भवन एवं सड़कें                       | 2,432.77         | 257.63           | 2,690.40           | 2,494.22         | 196.18           | 195.72           |
| 21                      | 14-शहरी विकास                           | 1,025.00         | -                | 1,025.00           | 218.06           | 806.94           | 808.87           |
| 22                      | 21- महिला एवं बाल विकास                 | 213.75           | -                | 213.75             | 44.92            | 168.82           | 169.20           |
| 23                      | 23-खाद्य एवं आपूर्ति                    | 9,369.37         | -                | 9,369.37           | 7,344.28         | 2,025.09         | 2,067.92         |
| 24                      | 38- जन- स्वास्थ्य और जलापूर्ति          | 1,034.22         | 124.90           | 1,159.12           | 835.42           | 323.70           | 267.21           |
| 25                      | 45- ऋण एवं अग्रिम                       | 1,366.77         | 12,328.36        | 13,695.13          | 13,250.30        | 444.83           | 636.74           |
|                         | <b>कुल</b>                              | <b>15,441.88</b> | <b>12,710.89</b> | <b>28,152.77</b>   | <b>24,187.2</b>  | <b>3,965.56</b>  | <b>4,145.66</b>  |
| <b>पूंजीगत (भारित)</b>  |   |                  |                  |                    |                  |                  |                  |
| 26                      | लोक ऋण                                  | 10,035.51        | -                | 10,035.51          | 7,214.68         | 2,820.83         | 2,820.83         |
|                         | <b>कुल</b>                              | <b>10,035.51</b> | <b>-</b>         | <b>10,035.51</b>   | <b>7,214.68</b>  | <b>2,820.83</b>  | <b>2,820.83</b>  |
|                         | <b>कुल योग</b>                          | <b>82,999.42</b> | <b>20,089.24</b> | <b>1,03,088.66</b> | <b>86,527.19</b> | <b>16,561.47</b> | <b>15,572.06</b> |

**परिशिष्ट 2.3**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 42)

उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

| क्र.<br>स.              | अनुदान की<br>संख्या तथा नाम             | मूल<br>प्रावधान  | अनुपूरक         | वास्तविक<br>व्यय | प्रावधानों<br>में से बचतें |
|-------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| <b>राजस्व (दत्तमत)</b>  |   |                  |                 |                  |                            |
| 1                       | 3-सामान्य प्रशासन                       | 201.33           | 20.92           | 197.12           | 25.13                      |
| 2                       | 5-आबकारी एवं कराधान                     | 207.79           | 2.98            | 165.29           | 45.48                      |
| 3                       | 7-आयोजना एवं सांख्यिकी                  | 407.82           | 0.63            | 170.71           | 237.74                     |
| 4                       | 9-शिक्षा                                | 11,440.66        | 159.90          | 9,283.30         | 2,317.26                   |
| 5                       | 10-तकनीकी शिक्षा                        | 464.72           | 9.00            | 380.25           | 93.47                      |
| 6                       | 11-खेल एवं युवा कल्याण                  | 265.90           | 50.00           | 231.47           | 84.43                      |
| 7                       | 13-स्वास्थ्य                            | 2,989.03         | 47.74           | 2,489.62         | 547.15                     |
| 8                       | 15-स्थानीय शासन                         | 2,217.19         | 1,048.62        | 1,858.11         | 1,407.70                   |
| 9                       | 18-औद्योगिक प्रशिक्षण                   | 241.54           | 8.50            | 219.65           | 30.39                      |
| 10                      | 19-एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का कल्याण | 365.19           | 291.61          | 333.60           | 323.20                     |
| 11                      | 21-महिला एवं बाल विकास                  | 981.34           | 9.19            | 722.29           | 268.24                     |
| 12                      | 23-खाद्य एवं आपूर्ति                    | 318.05           | 56.00           | 251.31           | 122.74                     |
| 13                      | 27-कृषि                                 | 1,240.57         | 145.50          | 1,011.88         | 374.19                     |
| 14                      | 28-पशुपालन और डेयरी विकास               | 666.06           | 32.96           | 527.14           | 171.88                     |
| 15                      | 30-वन एवं वन्य जीवन                     | 400.13           | 1.64            | 324.85           | 76.92                      |
| 16                      | 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास          | 2,945.76         | 1.94            | 2,132.16         | 815.54                     |
| 17                      | 37-निर्वाचन                             | 58.91            | 12.22           | 55.64            | 15.49                      |
| 18                      | 42-न्याय प्रशासन                        | 435.14           | 22.20           | 403.96           | 53.38                      |
| 19                      | 43-जेल                                  | 182.05           | 7.00            | 179.39           | 9.66                       |
| <b>उप-योग</b>           |   | <b>26,029.18</b> | <b>1,928.55</b> | <b>20,937.74</b> | <b>7,019.99</b>            |
| <b>राजस्व (भारित)</b>   |   |                  |                 |                  |                            |
| 20                      | 6-वित्त                                 | 9,118.75         | 699.38          | 8,574.97         | 1,243.16                   |
| <b>उप-योग</b>           |   | <b>9,118.75</b>  | <b>699.38</b>   | <b>8,574.97</b>  | <b>1,243.16</b>            |
| <b>पूंजीगत (दत्तमत)</b> |   |                  |                 |                  |                            |
| 21                      | 38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति            | 1,034.22         | 124.90          | 835.42           | 323.70                     |
| <b>उप-योग</b>           |   | <b>1,034.22</b>  | <b>124.90</b>   | <b>835.42</b>    | <b>323.70</b>              |
| <b>कुल योग</b>          |   | <b>36,182.15</b> | <b>2,752.83</b> | <b>30,348.13</b> | <b>8,586.85</b>            |

## परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 42)

प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के विवरण

| परिशिष्ट 2.4  |               |                           |   |   |               |                          |
|---------------|---------------|---------------------------|---|---|---------------|--------------------------|
| (₹ करोड़ में) |               |                           |   |   |               |                          |
| क्र. सं.      | अनुदान संख्या | विवरण                     | लेखा शीर्ष  | प्रावधान<br>आः भूल<br>एस: पूरक<br>आर: पुनर्विनियोजन | वास्तविक व्यय | फाईनल अधिकवा (+) बहत (-) |
| 1             | 1             | विधान सभा                 | 2011- संसद /स्टेट /यूटी. विधायिका<br>02- स्टेट /यूटी. विधायिका<br>101- विधानसभा<br>99- स्थापना                                      | (ओ) 10.72<br>(आर) 0.62<br>11.34                     | 9.83          | (-) 1.51                 |
| 2             | 2             | राज्यपाल तथा मंत्री परिषद | 2013- मंत्री परिषद<br>105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान  | (ओ) 82.98<br>(एस) 13.00<br>(आर) (-) 8.17<br>87.81   | 86.34         | (-) 1.47                 |
| 3             |               |                           | 2013- मंत्री परिषद<br>800- अन्य व्यय<br>99- मंत्रियों के आवासों/कार्यालयों का रख - रखाव   | (ओ) 10.02<br>(एस) 1.66<br>(आर) 0.51<br>12.19        | 13.22         | (+) 1.03                 |
| 4             | 3             | सामान्य प्रशासन           | 2051- लोक सेवा आयोग<br>103- कर्मचारी चयन आयोग<br>99- स्थापना  | (ओ) 6.29<br>(एस) 17.94<br>(आर) (-) 14.45<br>9.78    | 17.93         | (+) 8.15                 |
| 5             | 4             | राजस्व                    | 2030- स्टॉम्पस एवं पंजीकरण<br>02- स्टॉम्पस - गैर न्यायिक<br>102- स्टॉम्पस की बिक्री पर व्यय<br>99- चैकिंग स्टॉफ                     | (ओ) 4.50<br>(आर) (-) 3.74<br>0.76                   | 3.29          | (+) 2.53                 |
| 6             |               |                           | 2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत<br>02 - बाढ़, तूफान आदि<br>101- आनुग्रहिक राहत<br>97- बीज, खाद तथा कृषीय उपकरणों की आपूर्ति      | (ओ) 55.00<br>(आर) (-) 54.87<br>0.13                 | 22.09         | (+) 21.96                |
| 7             |               |                           | 2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत<br>80- सामान्य<br>800- अन्य व्यय<br>98- अग्नि पीड़ितों को राहत                                   | (ओ) 5.00<br>(आर) (-) 4.41<br>0.59                   | 10.59         | (+) 10.00                |
| 8             |               |                           | 2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत<br>80- सामान्य<br>800- अन्य व्यय<br>99- ओलावृष्टि राहत/शीत लहर/पाता राहत                         | (ओ) 60.50<br>(एस) 372.09<br>(आर) 25.83<br>458.42    | 1140.21       | (+) 681.79               |
| 9             | 6             | वित्त                     | 2049- ब्याज भुगतान<br>05- रिजर्व फंड पर ब्याज<br>101- मूल्यहास नवीकरण रिजर्व फंड में ब्याज<br>98- मूल्यहास रिजर्व फंड (मोटर परिवहन) | (ओ) 32.14<br>(आर) (-) 4.23<br>27.91                 | 32.14         | (+) 4.23                 |
| 10            | 8             | भवन एवं सड़कें            | 2059- लोक निर्माण<br>80- सामान्य<br>052- मशीनरी तथा उपकरण<br>96- मशीनरी   | (ओ) 5.00<br>(आर) (-) 2.63<br>2.37                   | 0.74          | (-) 1.63                 |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | विवरण | लेखा शीर्ष   | प्रावधान<br>ओ: मूल<br>एस: पूरक<br>आर: पुनर्विनियोजन | वास्तविक व्यय | फाईनल आधिक्य (+) बचत (-) |
|----------|---------------|-------|--|---|---------------|--------------------------|
| 11       |               |       | 2059- लोक निर्माण<br>80- सामान्य<br>799- उचंत<br>99- स्टॉक<br>99- स्टॉक को डेबिट   | (ओ) 5.50<br>(आर) 6.59<br>12.09                      | 25.51         | (+) 13.42                |
| 12       |               |       | 3054- सड़कें एवं भवन<br>01- राष्ट्रीय राजमार्ग<br>337- सड़क कार्य<br>98- हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क उपयोगकर्त्ताओं को टोल प्रभारों की राहत | (ओ) 6.00<br>(आर) (-) 4.19<br>1.81                   | 3.00          | (+) 1.19                 |
| 13       |               |       | 3054- सड़कें एवं भवन<br>04- जिला एवं अन्य सड़कें<br>337- सड़क कार्य<br>99- जिला सड़कें   | (ओ) 40.11<br>(आर) (-) 15.20<br>24.91                | 26.72         | (+) 1.81                 |
| 14       |               |       | 3054- सड़कें एवं भवन<br>80- सामान्य<br>797- रिजर्व फंड/डिपोजिट अकाउंट को/से हस्तांतरण<br>99- सी.आर.एफ. से हस्तांतरण - अन्तः लेखा हस्तांतरण                   | (ओ) 75.00<br>(आर) (-) 32.58<br>42.42                | 78.65         | (+) 36.23                |
| 15       |               |       | 4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय<br>01- कार्यालय भवन<br>051- निर्माण<br>99- जिला प्रशासन   | (ओ) 100.00<br>(आर) (-) 2.51<br>97.49                | 100.07        | (+) 2.58                 |
| 16       |               |       | 4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय<br>60- अन्य भवन<br>051- निर्माण<br>96- जेलें  | (ओ) 25.00<br>(आर) 17.95<br>42.95                    | 38.60         | (-) 4.35                 |
| 17       |               |       | 4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय<br>60- अन्य भवन<br>051- निर्माण<br>98- न्याय प्रशासन  | (ओ) 60.00<br>(आर) (-) 13.07<br>46.93                | 52.66         | (+) 5.73                 |
| 18       |               |       | 4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय<br>60- अन्य भवन<br>051- निर्माण<br>99- लोक निर्माण  | (ओ) 25.00<br>(आर) (-) 0.73<br>24.27                 | 25.77         | (+) 1.50                 |
| 19       |               |       | 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय<br>01- सामान्य शिक्षा<br>202- माध्यमिक शिक्षा<br>99- माध्यमिक स्कूल भवन                            | (ओ) 15.00<br>(आर) (-) 2.17<br>12.83                 | 14.10         | (+) 1.27                 |
| 20       |               |       | 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय<br>203- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा<br>99- कालेज भवन   | (ओ) 102.00<br>(आर) 23.31<br>125.31                  | 123.53        | (-) 1.78                 |
| 21       |               |       | 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय<br>02- तकनीकी शिक्षा<br>104- बहुतकनीकी<br>99- बहुतकनीकी भवन  | (ओ) 40.00<br>(आर) (-) 9.26<br>30.74                 | 32.16         | (+) 1.42                 |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | विवरण | लेखा शीर्ष  | प्रावधान जो: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन | वास्तविक व्यय | फाईनल आधिक्य (+) बचत (-) |
|----------|---------------|-------|---|---|---------------|--------------------------|
| 22       |               |       | 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय<br>789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान<br>98- अनुसूचित जाति विंगों के लिए प्रशिक्षण भवन  | (ओ) 15.00<br>(आर) 7.26<br>22.26             | 18.94         | (-)3.32                  |
| 23       |               |       | 4250- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय<br>800- अन्य व्यय<br>94-जौदागिक प्रशिक्षणों के विकास की मूलभूत संरचना का सुरक्षा  | (ओ) 65.00<br>(आर) (-) 14.87<br>50.13        | 53.09         | (+) 2.96                 |
| 24       |               |       | 5054- सड़कों एवं भवनों पर पूँजीगत परिव्यय<br>04- जिला एवं अन्य सड़कें<br>337- सड़क कार्य<br>49-प्रमांगास.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क<br>89- करनाल परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन    | (ओ) 38.30<br>(आर) (-) 6.97<br>31.33         | 44.53         | (+) 13.20                |
| 25       |               |       | 5054- सड़कों एवं भवनों पर पूँजीगत परिव्यय<br>04- जिला एवं अन्य सड़कें<br>337- सड़क कार्य<br>49- प्रमांगास.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क<br>90- झज्जर परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन   | (ओ) 39.00<br>(आर) (-) 7.22<br>31.78         | 45.18         | (+) 13.40                |
| 26       |               |       | 5054- सड़कों एवं भवनों पर पूँजीगत परिव्यय<br>04- जिला एवं अन्य सड़कें<br>337- सड़क कार्य<br>49- प्रमांगास.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क<br>91- सोनीपत परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन  | (ओ) 43.00<br>(आर) (-) 7.86<br>35.14         | 49.94         | (+) 14.80                |
| 27       |               |       | 5054- सड़कों एवं भवनों पर पूँजीगत परिव्यय<br>04- जिला एवं अन्य सड़कें<br>337- सड़क कार्य<br>49- प्रमांगास.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क<br>99- रोहतक परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन   | (ओ) 4.10<br>(आर) (-) 0.76<br>3.34           | 4.74          | (+) 1.40                 |
| 28       |               |       | 5054- सड़कों एवं भवनों पर पूँजीगत परिव्यय<br>04- जिला एवं अन्य सड़कें<br>337- सड़क कार्य<br>49- प्रमांगास.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क<br>93- रेवाड़ी परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन | (ओ) 13.15<br>(आर) (-) 2.41<br>10.74         | 15.28         | (+) 4.54                 |
| 29       |               |       | 5054- सड़कों एवं भवनों पर पूँजीगत परिव्यय<br>04- जिला एवं अन्य सड़कें<br>337- सड़क कार्य<br>49- प्रमांगास.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क<br>94- कैथल परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन    | (ओ) 34.30<br>(आर) (-) 6.30<br>28.00         | 39.82         | (+) 11.82                |
| 30       |               |       | 5054- सड़कों एवं भवनों पर पूँजीगत परिव्यय<br>04- जिला एवं अन्य सड़कें<br>337- सड़क कार्य<br>49- प्रमांगास.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क<br>95- हिसार परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन   | (ओ) 23.15<br>(आर) (-) 4.20<br>18.95         | 26.93         | (+) 7.98                 |
| 31       |               |       | 5054- सड़कों एवं भवनों पर पूँजीगत परिव्यय<br>04- जिला एवं अन्य सड़कें<br>337- सड़क कार्य<br>49- प्रमांगास.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क<br>96- गुडगांव परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन | (ओ) 24.65<br>(आर) (-) 4.51<br>20.14         | 28.62         | (+) 8.48                 |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | विवरण        | लेखा शीर्ष   | प्रावधान<br>ओ: मूल<br>एस: पूरक<br>आर: पुनर्विनियोजन | वास्तविक व्यय | फाईनल आधिक्य (+ ) बचत (-) |
|----------|---------------|--------------|--|---|---------------|---------------------------|
| 32       |               |              | 5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय<br>04- जिला एवं अन्य सड़कें<br>337- सड़क कार्य<br>49- प्रभागासयों के अंतर्गत ग्रामीण सड़क<br>97- चपड़ीगढ़ परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन | (ओ) 21.70<br>(आर) (-) 3.97<br>17.73                 | 25.20         | (+) 7.47                  |
| 33       |               |              | 5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय<br>04- जिला एवं अन्य सड़कें<br>337- सड़क कार्य<br>49- प्रभागासयों के अंतर्गत ग्रामीण सड़क<br>98- भिवानी परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन   | (ओ) 6.85<br>(आर) (-) 1.27<br>5.58                   | 9.49          | (+) 3.91                  |
| 34       |               |              | 5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय<br>337- सड़क कार्य<br>49- प्रभागासयों के अंतर्गत ग्रामीण सड़क<br>99- अबाला परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन                                | (ओ) 24.80<br>(आर) (-) 4.54<br>20.26                 | 27.26         | (+) 7.00                  |
| 35       |               |              | 5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय<br>337- सड़क कार्य<br>98- ग्रामीण सड़कें<br>99- राज्य स्कीम के लिए सड़कों के बाई-पासों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार               | (ओ) 323.30<br>(आर) 70.95<br>394.25                  | 391.15        | (-)3.10                   |
| 36       |               |              | 5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय<br>337- सड़क कार्य<br>99- जिला सड़कें<br>99- राज्य स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार                               | (ओ) 57.50<br>(आर) (-) 19.06<br>38.44                | 35.35         | (-)3.09                   |
| 37       | 9             | शिक्षा       | 2202- सामान्य शिक्षा<br>01- प्राथमिक शिक्षा<br>101- सरकारी प्राथमिक स्कूल<br>98- मिडल शिक्षा कक्षाएं VI से VIII<br>98- स्थापना व्यय  | (ओ) 2334.96<br>(आर) (-) 313.56<br>2021.40           | 2023.31       | (+) 1.91                  |
| 38       |               |              | 2202- सामान्य शिक्षा<br>02- माध्यमिक शिक्षा<br>109- सरकारी माध्यमिक स्कूल<br>99- अन्य स्थापना सहित टीचिंग स्टॉफ<br>98- स्थापना व्यय  | (ओ) 1537.48<br>(आर) (-) 389.40<br>1148.08           | 1150.86       | (+) 2.78                  |
| 39       | 13            | स्वास्थ्य    | 2211- परिवार कल्याण<br>101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं<br>98- उप- केंद्र   | (ओ) 116.50<br>(आर) (-) 13.50<br>103.00              | 101.44        | (-)1.56                   |
| 40       | 14            | शहरी विकास   | 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय<br>60- अन्य शहरी विकास स्कीमें<br>051- निर्माण<br>97- जन- स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए प्रोत्साहन पैकेज                                       | (ओ) 52.00<br>(आर) 24.97<br>76.97                    | 79.10         | (+) 2.13                  |
| 41       | 15            | स्थानीय शासन | 2217- शहरी विकास<br>80- सामान्य<br>192- नगर पालिकाओं/परिषदों को सहायता<br>92- नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टॉम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान                                   | (ओ) 220.00<br>(आर) (-) 106.70<br>113.30             | 114.55        | (+) 1.25                  |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | विवरण         | लेखा शीर्ष   | प्रावधान<br>जो: मूल<br>एस: पूरक<br>आर: पुनर्विनियोजन | वास्तविक व्यय | फाईनल आधिक्य (+ ) बचत (-) |
|----------|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------------------|
| 42       |               |               | 2217-शहरी विकास<br>80- सामान्य<br>800- अन्य व्यय<br>99- कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायतानुदान   | (ओ) 5.50<br>(आर) 1.00<br>6.50                        | 5.25          | (-)1.25                   |
| 43       | 23            | खाद्य आपूर्ति | 4408-खाद्य भण्डारण एवं वेयरहाउसिंग पर पूँजीगत परिव्यय<br>01-खाद्य<br>101-प्रापण एवं आपूर्ति<br>98- प्रभार्य स्थापना लागत                     | (ओ) 109.46<br>(आर) (-)46.16<br>63.30                 | 119.60        | (+)56.30                  |
| 44       |               |               | 4408-खाद्य भण्डारण एवं वेयरहाउसिंग पर पूँजीगत परिव्यय<br>01-खाद्य<br>101-प्रापण एवं आपूर्ति<br>99- अनाज आपूर्ति स्कीम                        | (ओ) 8589.91<br>(आर) (-)1587.16<br>7002.75            | 6989.28       | (-)13.47                  |
| 45       | 24            | सिंचाई        | 2700- मुख्य सिंचाई<br>01- बहु-उद्देश्य नदी प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक)<br>001- निदेशन एवं प्रशासन<br>89- विशेष राजस्व                              | (ओ) 24.78<br>(आर) (-)6.44<br>18.34                   | 0.91          | (-)17.43                  |
| 46       |               |               | 2700- मुख्य सिंचाई<br>01- बहु-उद्देश्य नदी प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक)<br>001- निदेशन एवं प्रशासन<br>91- कार्यकारी अभियंता                         | (ओ) 90.85<br>(आर) (-)17.91<br>72.94                  | 3.89          | (-)69.05                  |
| 47       |               |               | 2700- मुख्य सिंचाई<br>01- बहु-उद्देश्य नदी प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक)<br>001- निदेशन एवं प्रशासन<br>92- अधीक्षण अभियंता                           | (ओ) 3.09<br>(आर) (-)0.92<br>2.17                     | 0.17          | (-) 2.00                  |
| 48       |               |               | 2700- मुख्य सिंचाई<br>01- बहु-उद्देश्य नदी प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक)<br>101- अनुरक्षण एवं मरम्मत<br>98- अन्य अनुरक्षण व्यय<br>98-पंजाब का हिस्सा | (ओ) 2.35<br>(आर) (-)0.49<br>1.86                     | -             | (-) 1.86                  |
| 49       |               |               | 2700- मुख्य सिंचाई<br>02- पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक)<br>001- निदेशन एवं प्रशासन<br>89- विशेष राजस्व                            | (ओ) 48.18<br>(आर) (-)12.87<br>35.31                  | 4.36          | (-)30.95                  |
| 50       |               |               | 2700- मुख्य सिंचाई<br>02- पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक)<br>001- निदेशन एवं प्रशासन<br>91- कार्यकारी अभियंता                       | (ओ) 382.97<br>(आर) (-)92.43<br>290.54                | 33.49         | (-)257.05                 |
| 51       |               |               | 2700- मुख्य सिंचाई<br>02- पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक)<br>001- निदेशन एवं प्रशासन<br>92- अधीक्षण अभियंता                         | (ओ) 25.08<br>(आर) (-)7.78<br>17.30                   | 1.75          | (-)15.55                  |
| 52       |               |               | 2700- मुख्य सिंचाई<br>02- पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक)<br>101- अनुरक्षण एवं मरम्मत<br>98- अन्य अनुरक्षण व्यय                     | (ओ) 36.00<br>(आर) (-)0.23<br>35.77                   | 34.21         | (-)1.56                   |
| 53       |               |               | 2700- मुख्य सिंचाई<br>02- पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक)<br>800- अन्य व्यय<br>98-ऊर्जा प्रभार                                      | (ओ) 36.00<br>(आर) (-)3.48<br>32.52                   | 35.96         | (+)3.44                   |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | विवरण | लेखा शीर्ष  | प्रावधान<br>ओ: मूल<br>एस: पूरक<br>आर: पुनर्विनियोजन | वास्तविक व्यय | फाईनल आधिक्य (+) बचत (-) |
|----------|---------------|-------|---|---|---------------|--------------------------|
| 54       |               |       | 2700- मुख्य सिंचाई<br>18- गैर - वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं<br>001- निदेशन एवं प्रशासन<br>91- कार्यकारी अभियंता   | (ओ) 44.66<br>(आर) (-)5.04<br>39.62                  | 10.33         | (-)29.29                 |
| 55       |               |       | 2700- मुख्य सिंचाई<br>18- गैर - वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं<br>001- निदेशन एवं प्रशासन<br>92- अधीक्षण अभियंता   | (ओ) 6.15<br>(आर) (-)2.97<br>3.18                    | 0.64          | (-)2.54                  |
| 56       |               |       | 2700- मुख्य सिंचाई<br>18- गैर - वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं<br>001- निदेशन एवं प्रशासन<br>93- मुख्य अभियंता   | (ओ) 4.19<br>(आर) (-)0.24<br>3.95                    | 0.97          | (-)2.98                  |
| 57       |               |       | 2700- मुख्य सिंचाई<br>80- सामान्य<br>001- निदेशन एवं प्रशासन<br>93- मुख्य अभियंता   | (ओ) 35.21<br>(आर) (-)6.88<br>28.33                  | 6.89          | (-)21.44                 |
| 58       |               |       | 4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय<br>13- नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग s<br>789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान<br>99- पुनरुद्धार कैनाल नेटवर्क - राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के पुनरुद्धार में सुधार | (ओ) 36.60<br>(आर) (-)8.44<br>28.16                  | 3.82          | (-)24.34                 |
| 59       |               |       | 4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय<br>13- नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग s<br>800- अन्य व्यय<br>98- कैनाल का निर्माण   | (ओ) 53.40<br>(S)50.00<br>(आर) (-)52.30<br>51.10     | 58.38         | (+)7.28                  |
| 60       |               |       | 4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय<br>15- चैनलों की लाईनिंग<br>800- अन्य व्यय<br>98- बी.एम.एल. की भण्डारण क्षमता   | (ओ) 7.00<br>(आर) (-)2.43<br>4.57                    |               | (-)4.57                  |
| 61       |               |       | 4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय<br>16- विद्यमान चैनलों /डेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार<br>789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान<br>99- राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए वाटर कोर्सिस के निर्माण कार्य एवं पुनरुद्धार में सुधार      | (ओ) 30.00<br>(आर) (-)4.36<br>25.64                  | 4.79          | (-)20.85                 |
| 62       |               |       | 4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय<br>16- विद्यमान चैनलों /डेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार<br>800- अन्य व्यय<br>98- कैनाल का निर्माण  | (ओ) 30.00<br>(आर) (-)3.83<br>26.17                  | 50.63         | (+)24.46                 |
| 63       |               |       | 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय<br>06- जल के समान वितरण हेतु नई मार्ईनर<br>800- अन्य व्यय<br>97- भूमि की वार्षिकी   | (ओ) 10.00<br>(आर) (-)1.02<br>8.98                   | 17.40         | (+)8.42                  |
| 64       |               |       | 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय<br>06- जल के समान वितरण हेतु नई मार्ईनर<br>800- अन्य व्यय<br>98- कैनाल का निर्माण   | (ओ) 19.00<br>(आर) (-)12.77<br>6.23                  | 14.57         | (+)8.34                  |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | विवरण                       | लेखा शीर्ष   | प्रावधान जो: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन        | वास्तविक व्यय | फाईनल आधिक्य (+) बचत (-) |
|----------|---------------|-----------------------------|--|--|---------------|--------------------------|
| 65       |               |                             | 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय<br>07- नाबाई के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार<br>789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान<br>99- राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबाई) के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार | (ओ) 69.50<br>(आर) (-)15.35<br>54.15                | 25.38         | (-)28.77                 |
| 66       |               |                             | 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय<br>07- नाबाई के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार<br>800- अन्य व्यय<br>98-(नाबाई) कैनाल का निर्माण   | (ओ)80.50<br>(आर) (-)17.27<br>63.23                 | 94.23         | (+)31.00                 |
| 67       |               |                             | 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय<br>80- सामान्य<br>800- अन्य व्यय<br>98-न्यायालय आदेशों के अंतर्गत वृद्धित मुआवजे का भुगतान   | (ओ) 50.00<br>(R) 20.00<br>70.00                    | 65.01         | (-)4.99                  |
| 68       |               |                             | 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय<br>01- बाढ़ नियंत्रण<br>201- ड्रेनेज एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना<br>98- शहरी स्टार्ट वाटर ड्रेनेज कार्य   | (ओ) 20.00<br>(आर) (-)0.70<br>19.30                 | 15.73         | (-)3.57                  |
| 69       | 32            | ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास | 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा एवं सुर्दृगी<br>200- अन्य विविध मुआवजे एवं सुर्दृगी<br>95- देशी शराब की बिक्री पर कर के बदले में पंचायत समितियों को आवारकारी शुल्क की सुर्दृगी   | (ओ) 58.10<br>(आर) (-)0.06<br>58.04                 | 75.55         | (+)17.51                 |
| 70       | 36            | गृह                         | 2055- पुलिस<br>109- जिला पुलिस<br>99- जिला पुलिस बल  | (ओ) 2027.18<br>(आर) (-)26.38<br>2000.80            | 1997.90       | (-)2.90                  |
| 71       | 38            | जन-स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति  | 2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता<br>01- जलापूर्ति<br>101- शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम<br>99-शहरी जलापूर्ति एवं सीवरेज का अनुरक्षण<br>98-अनुरक्षण प्रभार   | (ओ) 80.00<br>(आर) 10.94<br>90.94                   | 79.31         | (-)11.63                 |
| 72       |               |                             | 2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता<br>01-जलापूर्ति<br>101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम<br>96-शहरी स्टार्ट वाटर ड्रेनेज कार्यों का प्रचालन एवं अनुरक्षण   | (ओ) 5.15<br>(आर) (-)2.40<br>2.75                   | 5.13          | (+)2.38                  |
| 73       |               |                             | 2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता<br>102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम<br>95-त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम  | (ओ) 16.82<br>(आर) (-)12.36<br>4.46                 | 5.56          | (+)1.10                  |
| 74       |               |                             | 2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता<br>102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम<br>97- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम  | (ओ) 531.52<br>(एस)122.58<br>(आर) (-)7.44<br>646.66 | 653.62        | (+)6.96                  |
| 75       |               |                             | 2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता<br>799- उचंत<br>98-विनिर्भाता उचंत<br>98- विनिर्भाता उचंत को क्रेडिट  | (ओ)3.30<br>(आर) (-)2.51<br>0.79                    | 1.89          | (+)1.10                  |
| 76       |               |                             | 4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय<br>01-जलापूर्ति<br>101-शहरी जलापूर्ति<br>99-शहरी जलापूर्ति<br>97- टी.एफ.सी. (शिवालिक तथा दक्षिणी हरियाणा)  | (ओ)<br>(एस)58.80<br>(आर) (-)21.61<br>37.19         | 29.77         | (-)7.42                  |

| क्र. सं.   | अनुदान संख्या | विवरण                             | लेखा शीर्ष   | प्रावधान औः मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन | वास्तविक व्यय   | फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)                      |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|---|
| 77         |               |                                   | 4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-जलापूर्ति<br>789- एन.आर.सी.पी. के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान<br>94- टीएफ.सी. शिवालिक तथा दक्षिणी हरियाणा के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान | (ओ) (एस) 15.18 (आर) 5.28 20.46             | 15.93           | (-)4.53                                       |
| 78         |               |                                   | 4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय<br>02- सीवरेज एवं स्वच्छता<br>101-शहरी स्वच्छता सेवाएं<br>90- राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्लान  | (ओ) 34.95 (एस) 30.00 (आर) (-) 19.13 45.82  | 37.95           | (-)7.87                                       |
| 79         |               |                                   | 4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय<br>02- सीवरेज एवं स्वच्छता<br>101-शहरी स्वच्छता सेवाएं<br>94- सीवरेज एवं स्वच्छता  | (ओ) 250.00 (आर) 34.09 284.09               | 255.09          | (-)29.00                                      |
| 80         |               |                                   | 4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय<br>02-सीवरेज एवं स्वच्छता<br>789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान<br>99-शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य निवासों को सीवरेज सुविधाएं                                    | (ओ) 9.00 (आर) 5.67 14.67                   | 6.55            | (-)8.12                                       |
| 81         | 42            | न्याय प्रशासन                     | 2014- न्याय प्रशासन<br>102- उच्च न्यायालय<br>98- स्थापना<br>98- स्थापना व्यय   | (ओ) 90.41 (एस) 3.39 (आर) 3.23 97.03        | 100.13          | (+)3.10                                       |
| 82         | 45            | राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अधिक्रम | 6401-फसलपालन हेतु ऋण<br>190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण<br>98- हरियाणा में गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने के लिए प्राइवेट शुगर मिलों को वित्तीय सहायता   | (ओ) (एस) 187.00 (आर) (-) 13.71 173.29      | 40.13           | (-)133.16                                     |
| <b>कुल</b> |               |                                   |  | <b>16752.77</b>                            | <b>17044.08</b> | <b>(+)291.31<br/>(+)1071.26<br/>(-)779.95</b> |

| सार                           | मामलों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
|-------------------------------|------------------|--------------------|
| विनियोजन पर अतिरिक्त व्यय (+) | 45               | (+) 1,071.26       |
| विनियोजन में से बचत (-)       | 37               | (-) 779.95         |
| <b>कुल</b>                    | <b>82</b>        |                    |

| ₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम के आधिक्य के मामले | मामलों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|------------------|--------------------|
| क्र.सं. 6, 11, 24, 25, 26, 29, 62 तथा 69                      | 8                | 140.57             |
| ₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम की बचत के मामले    |                  |                    |
| क्र.सं. 44, 45, 51, 57, 58, 61 तथा 71                         | 7                | 103.27             |
| <b>कुल</b>  | <b>15</b>        |                    |

| ₹ 25 करोड़ से अधिक के आधिक्य के मामले | मामलों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| क्र.सं. 8, 14, 43 तथा 66              | 4                | 805.32             |
| ₹ 25 करोड़ से अधिक के बचत के मामले    |                  |                    |
| क्र.सं. 46, 49, 50, 54, 65, 79, 82    | 7                | 577.27             |
| <b>कुल</b>                            | <b>11</b>        |                    |

**परिशिष्ट 2.5**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 43)

**मार्च 2016 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के विवरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं.               | अनुदान/संख्या  | मूल              | पूरक            | कुल प्रावधान     | वास्तविक व्यय    | बचतें/आधिक्य (-) | अभ्यर्पित राशि  |
|------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>राजस्व (दत्तमत)</b> |  |                  |                 |                  |                  |                  |                 |
| 1                      | 1 - विधान सभा  | 65.56            | 0.00            | 65.56            | 51.93            | -13.63           | 12.09           |
| 2                      | 2 - राज्यपाल तथा मंत्री परिषद                              | 106.52           | 18.36           | 124.88           | 112.44           | -12.44           | 12.01           |
| 3                      | 3 - सामान्य प्रशासन  | 201.33           | 20.92           | 222.25           | 197.12           | -25.13           | 32.56           |
| 4                      | 4 राजस्व   | 1,002.43         | 411.26          | 1,413.69         | 2,612.94         | 1,199.25         | 492.91          |
| 5                      | 5 - आबकारी एवं कराधान                                      | 207.79           | 2.98            | 210.77           | 165.29           | -45.48           | 45.99           |
| 6                      | 6 - वित्त  | 5,971.82         | 0.00            | 5,971.82         | 5,469.17         | -502.65          | 502.44          |
| 7                      | 7 - आयोजना एवं सारित्यकी                                   | 407.82           | 0.63            | 408.45           | 170.71           | -237.74          | 237.75          |
| 8                      | 8 - भवन एवं सड़कें   | 1,228.79         | 0.00            | 1,228.79         | 1,069.61         | -159.18          | 184.35          |
| 9                      | 9 - शिक्षा   | 11,440.66        | 159.90          | 11,600.56        | 9,283.30         | -2,317.26        | 2,322.79        |
| 10                     | 10 - तकनीकी शिक्षा   | 464.72           | 9.00            | 473.72           | 380.25           | -93.47           | 93.53           |
| 11                     | 11 - खेल एवं युवा कल्याण                                   | 265.90           | 50.00           | 315.90           | 231.47           | -84.43           | 84.91           |
| 12                     | 13 - स्वास्थ्य   | 2,989.03         | 47.74           | 3,036.77         | 2,489.62         | -547.15          | 545.95          |
| 13                     | 14 - शहरी विकास  | 168.39           | 0.00            | 168.39           | 105.33           | -63.06           | 63.01           |
| 14                     | 15 - स्थानीय शासन  | 2,217.19         | 1,048.62        | 3,265.81         | 1,858.11         | -1,407.70        | 1,407.70        |
| 15                     | 16 - श्रम  | 48.47            | 0.47            | 48.94            | 38.00            | -10.94           | 10.94           |
| 16                     | 17 - रोजगार  | 78.77            | 0.00            | 78.77            | 49.15            | -29.62           | 29.63           |
| 17                     | 18 - औद्योगिक प्रशिक्षण                                    | 241.54           | 8.50            | 250.04           | 219.65           | -30.39           | 31.25           |
| 18                     | 19 - एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण | 365.19           | 291.61          | 656.80           | 333.60           | -323.20          | 323.83          |
| 19                     | 20 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण                            | 3,630.57         | 0.14            | 3,630.71         | 3,418.77         | -211.94          | 212.57          |
| 20                     | 21 - महिला एवं बाल विकास                                   | 981.34           | 9.19            | 990.53           | 722.29           | -268.24          | 268.72          |
| 21                     | 23 - खाद्य एवं आपूर्ति                                     | 318.05           | 56.00           | 374.05           | 251.31           | -122.74          | 122.74          |
| 22                     | 24 - सिंचाई  | 1,717.22         | 0.00            | 1,717.22         | 1,358.06         | -359.16          | 165.79          |
| 23                     | 25 - उद्योग  | 126.21           | 0.00            | 126.21           | 55.88            | -70.33           | 70.31           |
| 24                     | 27 - कृषि  | 1,240.57         | 145.50          | 1,386.07         | 1,011.88         | -374.19          | 372.79          |
| 25                     | 28 - पशुपालन और डेयरी विकास                                | 666.06           | 32.96           | 699.02           | 527.14           | -171.88          | 171.81          |
| 26                     | 30 - वन एवं वन्य जीवन                                      | 400.13           | 1.64            | 401.77           | 324.85           | -76.92           | 76.51           |
| 27                     | 32 - ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास                           | 2,945.76         | 1.94            | 2,947.70         | 2,132.16         | -815.54          | 833.44          |
| 28                     | 33 - सहकारिता  | 217.55           | 100.02          | 317.57           | 279.09           | -38.48           | 38.47           |
| 29                     | 34 - परिवहन  | 2,055.27         | 0.00            | 2,055.27         | 1,795.44         | -259.83          | 260.64          |
| 30                     | 36 - गृह   | 2,914.36         | 0.00            | 2,914.36         | 2,757.42         | -156.94          | 154.02          |
| 31                     | 37 - निर्वाचन  | 58.91            | 12.22           | 71.13            | 55.64            | -15.49           | 15.35           |
| 32                     | 38 - जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति                             | 1,637.33         | 168.58          | 1,805.91         | 1,654.14         | -151.77          | 173.25          |
| 33                     | 39 - सूचना एवं प्रचार                                      | 120.74           | 0.00            | 120.74           | 108.18           | -12.56           | 12.57           |
| 34                     | 40 - ऊर्जा एवं विद्युत                                     | 5,676.25         | 4,716.16        | 10,392.41        | 10,247.61        | -144.80          | 122.26          |
| 35                     | 41 - इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी                   | 55.58            | 0.00            | 55.58            | 31.34            | -24.24           | 24.24           |
| 36                     | 42 - न्याय प्रशासन   | 435.14           | 22.20           | 457.34           | 403.96           | -53.38           | 52.63           |
| 37                     | 43 - जलें  | 182.05           | 7.00            | 189.05           | 179.39           | -9.66            | 10.29           |
| <b>कुल</b>             |  | <b>52,851.01</b> | <b>7,343.54</b> | <b>60,194.55</b> | <b>52,152.24</b> | <b>-8,042.31</b> | <b>9,592.04</b> |

| क्र. सं.                | अनुदान/संख्या                    | मूल              | पूरक             | कुल प्रावधान       | वास्तविक व्यय    | बचतें/आधिक्य (-)                    | अभ्यर्पित राशि   |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>राजस्व (भारित)</b>   |                                  |                  |                  |                    |                  |                                     |                  |
| 38                      | 6 - वित्त                        | 9,118.75         | 699.38           | 9,818.13           | 8,574.97         | -1,243.16                           | 222.79           |
|                         | <b>कुल</b>                       | <b>9,118.75</b>  | <b>699.38</b>    | <b>9,818.13</b>    | <b>8,574.97</b>  | <b>-1,243.16</b>                    | <b>222.79</b>    |
| <b>पूंजीगत (दत्तमत)</b> |                                  |                  |                  |                    |                  |                                     |                  |
| 39                      | 8 - भवन एवं सड़कें               | 2,432.77         | 257.63           | 2,690.40           | 2,494.22         | -196.18                             | 195.72           |
| 40                      | 9 - शिक्षा                       | 27.20            | 0.00             | 27.20              | 15.71            | -11.49                              | 11.49            |
| 41                      | 14 - शहरी विकास                  | 1,025.00         | 0.00             | 1,025.00           | 218.06           | -806.94                             | 808.87           |
| 42                      | 18 - औद्योगिक प्रशिक्षण          | 46.72            | 0.00             | 46.72              | 31.97            | -14.75                              | 14.74            |
| 43                      | 21 - महिला एवं बाल विकास         | 213.75           | 0.00             | 213.75             | 44.92            | -168.83                             | 169.20           |
| 44                      | 23-खाद्य एवं आपूर्ति             | 9,369.37         | 0.00             | 9,369.37           | 7,344.28         | -2025.09                            | 2067.92          |
| 45                      | 24 - सिंचाई                      | 550.20           | 50.00            | 600.20             | 811.20           | 211.00                              | 166.18           |
| 46                      | 28 - पशुपालन और डेयरी विकास      | 20.00            | 0.00             | 20.00              | 9.59             | -10.41                              | 10.41            |
| 47                      | 33 - सहकारिता                    | 54.95            | 61.56            | 116.51             | 88.57            | -27.94                              | 27.94            |
| 48                      | 34 - परिवहन                      | 210.85           | 0.00             | 210.85             | 131.00           | -79.85                              | 79.85            |
| 49                      | 38 - जन - स्वास्थ्य और जलापूर्ति | 1,034.22         | 124.90           | 1,159.12           | 835.42           | -323.70                             | 267.21           |
| 50                      | 45 - ऋण एवं अग्रिम               | 1,366.77         | 12,328.36        | 13,695.13          | 13,250.30        | -444.83                             | 636.74           |
|                         | <b>कुल</b>                       | <b>16,351.8</b>  | <b>12,822.45</b> | <b>29,174.25</b>   | <b>25,275.24</b> | <b>-3899.01</b>                     | <b>4456.27</b>   |
| <b>पूंजीगत (भारित)</b>  |                                  |                  |                  |                    |                  |                                     |                  |
| 51                      | लोक ऋण भारित                     | 10035.51         | 0                | 10,035.51          | 7,214.68         | -2,820.83                           | 2,820.83         |
|                         | <b>कुल</b>                       | <b>10035.51</b>  | <b>0</b>         | <b>10,035.51</b>   | <b>7,214.68</b>  | <b>-2,820.83</b>                    | <b>2,820.83</b>  |
|                         | <b>कुल योग</b>                   | <b>88,357.07</b> | <b>20,865.37</b> | <b>1,09,222.44</b> | <b>93,217.13</b> | <b>(-)14,595.06<br/>(+)1,410.25</b> | <b>17,091.93</b> |

**परिशिष्ट 2.6**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 43)**  
**वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय का वेग दर्शाने वाले ब्यौरे**  
**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं.   | अनुदान संख्या                 | लेखा शीर्ष   | वर्ष के दौरान कुल व्यय | वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय |                       | गार्च 2016 के दौरान व्यय |                       |
|------------|-------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|            |                               |  |                        | राशि                                | कुल व्यय की प्रतिशतता | राशि                     | कुल व्यय की प्रतिशतता |
| 1          | 02- राज्यपाल तथा मंत्री परिषद | 2013- मंत्री परिषद                                 | 112.44                 | 67.36                               | 59.91                 | 58.38                    | 52                    |
| 2          | 03- सामान्य प्रशासन           | 2051-लोक सेवा आयोग                                 | 25.30                  | 16.47                               | 65.10                 | 10.13                    | 40                    |
| 3          | 06- वित्त                     | 2075-विविध सामान्य सेवाएं                          | 28.49                  | 28.44                               | 99.81                 | 28.43                    | 100                   |
| 4          | 07- आयोजना एवं सारित्यकी      | 3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं                        | 154.70                 | 100.07                              | 64.68                 | 73.53                    | 48                    |
| 5          | 08- भवन एवं सड़क              | 3054- सड़कें एवं भवन                               | 818.71                 | 422.23                              | 51.57                 | 350.17                   | 43                    |
| 6          | 14-शहरी विकास                 | 4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय                 | 218.06                 | 113.7                               | 52.14                 | 85.33                    | 39                    |
| 7          | 21- महिला एवं बाल विकास       | 4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय | 44.92                  | 34.26                               | 76.27                 | 28.49                    | 63                    |
| 8          | 24- सिंचाई                    | 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय              | 439.82                 | 279.77                              | 63.61                 | 257.88                   | 59                    |
| 9          | 24- सिंचाई                    | 4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय              | 231.21                 | 152.57                              | 65.99                 | 130.7                    | 57                    |
| 10         | 24- सिंचाई                    | 2701- मध्यम सिंचाई                                 | 208.98                 | 186.16                              | 89.08                 | 181.21                   | 87                    |
| 11         | 33- सहकारिता                  | 4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय                  | 87.11                  | 68.16                               | 78.24                 | 18.48                    | 21                    |
| 12         | 37- निर्बाचन                  | 2015- निर्बाचन                                     | 55.64                  | 37.17                               | 66.8                  | 24.29                    | 44                    |
| 13         | 40- ऊर्जा एवं विद्युत         | 2801- विद्युत                                      | 10,216.5               | 5,907.18                            | 57.82                 | 4,774.18                 | 47                    |
| 14         | 40- ऊर्जा एवं विद्युत         | 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय        | 1,597.5                | 1,462.51                            | 91.55                 | 1,387.51                 | 87                    |
| <b>कुल</b> |                               |  | <b>14,239.38</b>       | <b>8,876.05</b>                     | <b>62.33</b>          | <b>7,408.71</b>          | <b>52</b>             |

**परिशिष्ट 2.7**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 44)

वर्ष 2015 - 16 के लिए भुगतान के समर्थन में वाऊचरों को प्रस्तुत न करना

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं.    | खजाने का नाम | वाऊचरों की संख्या | राशि         |
|------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1.         | अंबाला कैट   | 59                | 0.44         |
| 2.         | भिवानी       | 316               | 2.96         |
| 3.         | चण्डीगढ़     | 14                | 0.05         |
| 4.         | फरीदाबाद     | 245               | 3.38         |
| 5.         | फतेहाबाद     | 3                 | 1.47         |
| 6.         | गुडगांव      | 83                | 2.65         |
| 7.         | हिसार        | 218               | 2.80         |
| 8.         | जगाधरी       | 49                | 0.44         |
| 9.         | झज्जर        | 31                | 2.75         |
| 10.        | जींद         | 6                 | 0.03         |
| 11.        | कैथल         | 41                | 0.25         |
| 12.        | करनाल        | 288               | 3.88         |
| 13.        | कुरुक्षेत्र  | 7                 | 0.33         |
| 14.        | नारनौल       | 54                | 0.32         |
| 15.        | नूह          | 22                | 0.36         |
| 16.        | पानीपत       | 59                | 0.45         |
| 17.        | पंचकुला      | 59                | 0.24         |
| 18.        | रेवाड़ी      | 119               | 0.91         |
| 19.        | रोहतक        | 79                | 0.68         |
| 20.        | सिरसा        | 41                | 1.53         |
| 21.        | सोनीपत       | 73                | 0.53         |
| <b>कुल</b> |              | <b>1,866</b>      | <b>26.45</b> |

**परिशिष्ट 2.8**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (i); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के विवरण जिनमें वास्तविक व्यय संशोधित आउटले से बीस प्रतिशत या इससे अधिक बढ़ गया

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग                       | स्कीम  | अनुमानित आउटले | संशोधित आऊटले | वास्तविक व्यय | संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता |
|----------|-----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 1.       | कृषि                        | अनाजों का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भण्डारण   | 5.50           | 4.00          | 5.50          | 138                                |
| 2.       | सामुदायिक विकास             | सी.सी. गलियों का फुटपाथ  | 20.00          | 9.60          | 19.41         | 202                                |
| 3.       | पंचायतें                    | पी.आर.आईज के लिए वैट पर सरचार्ज  | 206.62         | 169.42        | 206.62        | 122                                |
| 4.       | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी    | विज्ञान प्रसिद्धीकरण/उन्नयन कार्यक्रम  | 1.00           | 1.00          | 1.49          | 149                                |
| 5.       | माध्यमिक शिक्षा             | बुक बैंक   | 3.50           | 1.50          | 2.29          | 153                                |
| 6.       | उच्चतर शिक्षा               | निदेशालय में कालेज में महिला सैल की स्थापना करना एवं छात्राओं के लिए शैक्षणिक एवं भ्रमण टूर  | 1.00           | 0.50          | 0.65          | 130                                |
| 7.       |                             | छात्रों के लिए शैक्षणिक एवं भ्रमण टूर  | 1.00           | 0.50          | 0.68          | 136                                |
| 8.       |                             | नए कार्य तथा चालू कालेजों/होस्टल भवनों का निर्माण और सरकारी कालेजों एवं होस्टलों का अनुरक्षण | 102.00         | 102.00        | 127.23        | 125                                |
| 9.       | खेल                         | राज्य खेल परिषद्   | 5.00           | 0.10          | 4.52          | 4520                               |
| 10.      | जन-स्वास्थ्य अभियानिकी      | ग्रामीण: इंदिरा गांधी पेयजल आपूर्ति  | 10.00          | 8.25          | 9.86          | 120                                |
| 11.      |                             | शहरी: सीवरेज एवं स्वच्छता  | 250.00         | 175.30        | 215.06        | 123                                |
| 12.      | पुलिस                       | पुलिस स्टेशनों का निर्माण/प्रमुख निर्माण कार्य   | 95.67          | 94.45         | 134.78        | 143                                |
| 13.      | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए राज्य स्तरीय परियोजना/गृह, रोहतक (सिरतार)              | 3.25           | 2.00          | 2.57          | 128                                |
| कुल      |                             |  | 704.54         | 568.62        | 730.66        | 128.50                             |

### परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (ii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित आउटले में प्रावधान किए गए परंतु संशोधित अनुमानों में वापस लिए गए

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग              | स्कीम   | अनुमोदित आउटले | संशोधित आउटले | वास्तविक व्यय |
|----------|--------------------|---|----------------|---------------|---------------|
| 1.       | कृषि               | कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन   | 3.55           | --            | --            |
| 2.       | कृषि               | कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन   | 10.00          | --            | --            |
| 3.       | बागवानी            | लघु सिंचाई/स्टेनेबल कृषि पर राष्ट्रीय मिशन  | 58.80          | --            | --            |
| 4.       | बागवानी            | राष्ट्रीय बागवानी मिशन (सी.एस.एस.)  | 26.00          | --            | --            |
| 5.       | बागवानी            | चिकित्सीय पौधों पर मिशन सहित जायुष पर राष्ट्रीय मिशन (100)  | 3.00           | --            | --            |
| 6.       | वन                 | राज्य वन विकास एजेंसी (रा.व.वि.ए.) द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं वानिकी/वनीकरण गतिविधियां (100)                 | 20.00          | --            | --            |
| 7.       | ग्रामीण विकास      | सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)   | 75.00          | --            | --            |
| 8.       | सामुदायिक विकास    | निर्मल ग्राम पुरुस्कार  | 1.00           | --            | --            |
| 9.       | नवीकरण योग्य ऊर्जा | ग्रीन एनर्जी एवं ऊर्जा संरक्षण निधि   | 7.04           | --            | --            |
| 10.      | नवीकरण योग्य ऊर्जा | ग्रामीण क्षेत्र के लिए एस.पी.वी. स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम   | 1.00           | --            | --            |
| 11.      | नवीकरण योग्य ऊर्जा | विकोंट्रीकृत सोलर पावर पैक/प्लांट का डैमोस्ट्रेटिंग एप्लीकेशन (ऑफ ग्रिड सोलर पावर पैक)                        | 4.35           | --            | --            |
| 12.      | उद्योग             | हैंडलूम क्लॉथ की बिक्री पर हैंडलूम एजेंसियों द्वारा दी गई 10 प्रतिशत की दर पर एक बार छूट की प्रतिपूर्ति (100) | 2.00           | --            | --            |
| 13.      | नागर विमानन        | प्रशिक्षक/आधुनिक प्रशिक्षक एयरक्राफ्ट का प्राप्त  | 2.00           | --            | --            |
| 14.      | माध्यमिक शिक्षा    | किसान आदर्श विद्यालय की स्थापना करना  | 3.18           | --            | --            |
| 15.      | माध्यमिक शिक्षा    | डा. राधा कृष्ण लैब स्कूल की स्थापना करना  | 2.52           | --            | --            |
| 16.      | माध्यमिक शिक्षा    | शिक्षक प्रशिक्षण एवं युवा शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास के लिए सहायता  | 13.00          | --            | --            |
| 17.      | माध्यमिक शिक्षा    | बेहतरी के मापदण्ड के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 माडल स्कूलों की स्थापना करना                                  | 10.00          | --            | --            |
| 18.      | उच्चतर शिक्षा      | निदेशालय के प्रिंसीपलों, लैक्चररों/कर्मचारियों, लिपिकवर्गीय संवर्ग एवं सहायक स्टॉफ का मानव संसाधन विकास       | 1.00           | --            | --            |
| 19.      | कला एवं संस्कृति   | भवन पुरातत्व  | 20.00          | --            | --            |
| 20.      | तकनीकी शिक्षा      | निफ्ट परियोजना हेतु   | 15.00          | --            | --            |
| 21.      | तकनीकी शिक्षा      | किलोहर्ड, सोनीपत में आई.आई.टी. की स्थापना   | 10.00          | --            | --            |

| क्र. सं. | विभाग                                | स्कीम  | अनुमोदित आउटले | संशोधित आउटले | वास्तविक व्यय |
|----------|--------------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 22.      | स्वास्थ्य                            | गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करना (अरोग्य कोष) (अनुसूचित जाति के लिए) | 1.00           | --            | --            |
| 23.      | आयुष                                 | पट्टीकारा गांव, नारनौल में नए सरकारी आयुर्वैदिक कालेज / अस्पताल खोलना / स्थापन                             | 5.20           | --            | --            |
| 24.      | जन स्वास्थ्य अभियानिकी               | कार्यालय भवन / आवासों का निर्माण   | 5.00           | --            | --            |
| 25.      | नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)     | अध्ययन करने के लिए   | 1.00           | --            | --            |
| 26.      | नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)     | वाई.एम.सी.ए. चौक फारीदाबाद से बल्लभगढ़ तक मैट्रो विस्तार   | 27.50          | --            | --            |
| 27.      | नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)     | द्वारका से इफको चौक, गुडगांव तक मैट्रो लिंक  | 50.00          | --            | --            |
| 28.      | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता          | वृद्धों तथा अस्क्रितों के लिए घर (रेवाड़ी)   | 1.00           | --            | --            |
| 29.      | महिला एवं बाल कल्याण                 | रेप पीड़ित के लिए वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवाओं की स्कीम (100)  | 2.00           | --            | --            |
| 30.      | लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)        | रोजगार भवन   | 1.40           | --            | --            |
| 31.      | पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण | ओ.बी.सी. बालकों एवं बालिकाओं के लिए होस्टल का निर्माण  | 2.50           | --            | --            |
| 32.      | पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण | बी.सी. एवं अल्प संख्यकों के लिए आवास वित्त स्कीम   | 1.70           | --            | --            |
|          |                                      | कुल  | 386.74         |               |               |

### परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग                                    | स्कीम   | अनुमानित आउटले | संशोधित आउटले |
|----------|--|---|----------------|---------------|
| 1.       | भू - अभिलेख                              | राष्ट्रीय भू - अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम - भू - अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (100)                   | 2.69           | 0.20          |
| 2.       | पंचायतें                                 | राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना (रा.गां.पं.स.यो.)  | 66.50          | 40.00         |
| 3.       | सिंचाई                                   | हांसी ब्रांच के साथ बी.एम.एल. की लिंकिंग  | 1.00           | 0.50          |
| 4.       |  | कैनाल हाईड्रोलोजी प्रोजैक्ट का निर्माण  | 4.70           | 0.10          |
| 5.       |  | त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)   | 13.50          | 0.02          |
| 6.       | उद्योग                                   | डी.आई.सी./क्यू.एम.सी./एच.टी.सी./आई.डी.सी./निदेशालय कार्यालय परिसरों का निर्माण, उन्नयन तथा अनुरक्षण | 7.40           | 4.00          |
| 7.       | इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी      | राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान  | 24.00          | 12.00         |
| 8.       | लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क)                 | मशीनरी एवं उपकरण  | 4.00           | 0.01          |
| 9.       | उच्चतर शिक्षा                            | राज्य में शिक्षा सिटी (एज्यूसेट) की स्थापना   | 1.00           | 0.10          |
| 10.      | खेल                                      | पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (प.यु.क्री.खे.अ.)/ राजीव गांधी खेल अभियान (सी.एस.एस.)             | 20.00          | 4.00          |
| 11.      | स्वास्थ्य                                | सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का सुदृढ़ीकरण  | 1.40           | 0.10          |
| 12.      | शहरी स्थानीय निकाय                       | शहरी सोलिड वेस्ट प्रबंधन  | 55.00          | 16.50         |
| 13.      | पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण     | बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (लड़कों के लिए) (50:50)   | 3.00           | 0.48          |
| 14.      |  | अनुसूचित जातियों की 50 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में एस.पी.वी. स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (100)      | 5.00           | 1.00          |
| 15.      | श्रम                                     | फरीदाबाद में लेबर कोर्ट काम्पलैक्स के लिए प्लाट की खरीद   | 2.00           | 0.10          |
| 16.      | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता              | पूंजीगत   | 9.00           | 1.00          |
| 17.      |  | अल्प संख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक स्कालरशिप (100)                   | 6.80           | 1.60          |
| 18.      | महिला एवं बाल विकास                      | स्वैच्छिक सैक्टर का सुदृढ़ीकरण  | 1.00           | 0.50          |
| 19.      |  | राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन (सी.एस.एस.)  | 1.05           | 0.01          |
| 20.      | औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा | स्किल विकास मिशन  | 3.00           | 0.58          |
| कुल      |  |   | 232.04         | 82.80         |

## परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iv); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग                                    | स्कीम  | अनुमानित आउटले | संशोधित आउटले |
|----------|--|--|----------------|---------------|
| 1.       | सहकारिता                                 | विपणन सहकारिताओं की शेयर पूँजी को सरकारी अंशदान (100)  | 1.00           | 1.00          |
| 2.       | नवीकरण योग्य ऊर्जा                       | अनुसूचित जाति परिवारों के इदिरा आवास योजना निवासियों के लिए शिक्षादीप स्कीम/सोलर सिस्टम                                      | 1.50           | 1.50          |
| 3.       | उद्योग                                   | निर्यात के लिए मूलभूत संरचना विकास हेतु राज्य को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.) (100)  | 30.00          | 30.00         |
| 4.       | प्राथमिक शिक्षा                          | स्कूलों में स्वच्छ एवं स्वस्थ शिक्षण पर्यावरण प्रदान करना  | 2.00           | 2.00          |
| 5.       | माध्यमिक शिक्षा                          | सरकारी विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहन   | 2.00           | 2.00          |
| 6.       | तकनीकी शिक्षा                            | एस.सी. छात्रों को मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति  | 1.00           | 1.00          |
| 7.       | तकनीकी शिक्षा                            | बहुतकनीकियों में महिला छात्रावासों का निर्माण (100)  | 5.00           | 5.00          |
| 8.       | खेल                                      | मूलभूत संरचना स्कीम (100)  | 5.00           | 5.00          |
| 9.       | पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण     | ओ.बी.सी. बालकों एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण   | 2.50           | 2.50          |
| 10.      | पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण     | पारंपरिक स्कीमों जैसे डेयरी, सूअर पालन तथा अन्य स्कीमों के लिए सबसीडी (100)  | 7.95           | 7.95          |
| 11.      | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता              | निदेशालय के संस्थान के प्लाट की खरीद/भवन का निर्माण  | 1.00           | 1.00          |
| 12.      | औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा | आई.टी.आई.ज में सत्कार शिक्षा (100)   | 1.10           | 1.10          |
| 13.      | अन्य सामान्य सेवाएं                      | न्यायिक प्रशासन<br>सी.एस.एस. का केन्द्रीय हिस्सा<br>ii) ग्राम न्यायालयों सहित न्यायिक के लिए मूलभूत संरचना सुविधाओं का विकास | 5.00           | 5.00          |
| 14.      | अन्य सामान्य सेवाएं                      | गृह<br>अन्य<br>सिविल डिफेंस की रिवैमिंग (100)  | 2.45           | 2.45          |
| कुल      |  |  | 67.50          | 67.50         |

### परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (v); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जहां बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं.   | विभाग                                    | स्कीम  | अनुमोदित आउटले | संशोधित आउटले | व्यय          | अनुमोदित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता |
|------------|--|--|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 1.         | कृषि                                     | कृषीय विस्तारण मूलभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण   | 4.00           | 4.05          | 2.52          | 63                                  |
| 2.         | कृषि                                     | पोषित कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (50:50)   | 1.00           | 1.50          | 0.58          | 58                                  |
| 3.         | कृषि                                     | मृदा स्वास्थ्य कार्डस स्कीम (75:25)  | 1.00           | 3.06          | 0.38          | 38                                  |
| 4.         | सहकारिता                                 | मुख्य मंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन  | 30.00          | 23.70         | 23.18         | 77                                  |
| 5.         | ग्रामीण विकास                            | इंदिरा आवास योजना (इ.आ.यो.) (60:40)  | 240.00         | 240.50        | 144.61        | 60                                  |
| 6.         | भू - अभिलेख                              | राष्ट्रीय भू - अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (रा.भू.अ.आ.का.) सर्वेक्षण / पुनः सर्वेक्षण तथा आधुनिक रिकार्ड रूप | 5.99           | 22.50         | 1.46          | 24                                  |
| 7.         | खेल                                      | खेल उपकरण  | 10.00          | 10.10         | 0.20          | 2                                   |
| 8.         | खेल                                      | मोती लाल नेहरू खेल स्कूल, राई में पूंजीगत निर्माण कार्य  | 10.15          | 14.00         | 4.15          | 41                                  |
| 9.         | चिकित्सा शिक्षा                          | मुख्य मंत्री मुफ्त इलाज योजना (नई स्कीम)   | 25.99          | 26.34         | 19.18         | 74                                  |
| 10.        | आयुष                                     | जिला आयुर्वेदिक कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण   | 1.40           | 1.64          | 0.54          | 39                                  |
| 11.        | औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा | अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को स्किल ट्रेनिंग  | 20.00          | 22.80         | 15.47         | 77                                  |
| <b>कुल</b> |  |  | <b>349.53</b>  | <b>370.19</b> | <b>212.27</b> | <b>61</b>                           |

## परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (vi); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित आऊटले के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग का नाम      | विकास के उप-शीर्ष   | अनुमोदित आउटले | संशोधित आउटले | वास्तविक व्यय | संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता |
|----------|-------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 1        | कृषि              | प्रोमोशन ऑफ स्टेनेबल स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव्स   | 6.00           | 3.00          | 0.96          | 32                                 |
| 2        | कृषि              | मृदा में सूक्ष्म पोषक कमी का प्रबंध करना  | 3.00           | 0.50          | 0.18          | 36                                 |
| 3        | कृषि              | किसानों को भूमि एवं जल परीक्षण सेवाएं प्रदान करना   | 1.20           | 0.60          | 0.42          | 70                                 |
| 4        | कृषि              | कृषि इनपुट्स पर गुणवत्ता नियंत्रण   | 3.50           | 2.14          | 1.67          | 78                                 |
| 5        | कृषि              | हरियाणा किसान आयोग  | 2.50           | 1.61          | 1.03          | 64                                 |
| 6        | कृषि              | अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों के समूह तथा किसानों को सबसिडी पर इंस्ट्रीमेंट्स/मशीनरी प्रदान करने की स्कीम | 4.50           | 2.00          | 1.38          | 69                                 |
| 7        | कृषि              | जल बचत प्रौद्योगिकी पर सहायता प्रदान करना   | 10.00          | 9.95          | 7.07          | 71                                 |
| 8        | कृषि              | कृषीय मैकेनीकरण का उप-मिशन (75:25)  | 6.00           | 3.45          | 0.17          | 5                                  |
| 9        | कृषि              | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन  | 60.00          | 40.00         | 19.24         | 48                                 |
| 10       | बागवानी           | बागवानी निदेशालय की स्थापना   | 3.20           | 1.50          | 0.99          | 66                                 |
| 11       | बागवानी           | बागवानी बायो-प्रौद्योगिकी   | 3.30           | 1.65          | 1.15          | 70                                 |
| 12       | पशुपालन एवं डेयरी | आर.आई.डी.एफ. (नाबाई) के अंतर्गत राज्य में पशु चिकित्सा मूलभूत संरचना का निर्माण /पुनर्निर्माण               | 35.50          | 15.00         | 9.59          | 64                                 |
| 13       | पशुपालन एवं डेयरी | बिमारियों के नियंत्रण हेतु राज्य को सहायता की स्कीम   | 4.00           | 2.05          | 0.63          | 31                                 |
| 14       | मत्स्य पालन       | पूंजीगत परिव्यय - कार्यालय भवन  | 1.85           | 1.35          | 0.09          | 7                                  |
| 15       | वन                | एकीकृत वन प्रबंधन स्कीम/एकीकृत वन संरक्षण   | 3.60           | 1.95          | 1.23          | 63                                 |
| 16       | वन                | राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन (75:25))  | 25.00          | 10.80         | 2.89          | 27                                 |
| 17       | सहकारिता          | सहकारिता विभाग का कंप्यूटरीकरण  | 2.50           | 1.50          | 0.30          | 20                                 |
| 18       | सहकारिता          | अनुसूचित जाति तथा सामान्य निम्न श्रेणी सोसाइटियों को सहायता   | 1.50           | 0.50          | 0.31          | 62                                 |
| 19       | सहकारिता          | शहरी आवास स्कीम के अंतर्गत मकानों के निर्माण हेतु ऋण  | 4.00           | 3.00          | 1.80          | 60                                 |
| 20       | ग्रामीण विकास     | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)   | 33.00          | 6.00          | 0.63          | 11                                 |
| 21       | भू- अभिलेख        | लघु सिचाई सार्विकी का वैज्ञानिक पुनर्गठन मुख्यालय स्टाफ - आई.टी. तथा स्थापना व्यय (100)                     | 1.00           | 0.22          | 0.17          | 77                                 |
| 22       | सामुदायिक विकास   | चौपाल का निर्माण /मरम्मत सबसिडी स्कीम (अनुसूचित जाति)   | 1.00           | 0.50          | 0.19          | 38                                 |

| क्र. सं. | विभाग का नाम              | विकास के उप-शीर्ष   | अनुमोदित आउटले | संशोधित आउटले | वास्तविक व्यय | संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता |
|----------|---------------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 23       | सामुदायिक विकास           | एच.आर.डी.ए./ग्रामीण आवास स्कीम को सहायता की स्कीम                                     | 200.00         | 150.00        | 94.74         | 63                                 |
| 24       | पंचायतें                  | राजस्व अर्जन स्कीम  | 2.00           | 1.00          | 0.58          | 58                                 |
| 25       | पंचायतें                  | मिलान अनुदान स्कीम  | 2.50           | 2.00          | 1.54          | 77                                 |
| 26       | पंचायतें                  | राज्य वित्त आयोग अनुदान   | 285.24         | 263.89        | 150.00        | 57                                 |
| 27       | सिंचाई                    | दादूपुर नलवी सिंचाई स्कीम   | 6.50           | 2.00          | 1.19          | 60                                 |
| 28       | सिंचाई                    | जल के सामान वितरण हेतु नई माइनरों का निर्माण  | 32.00          | 15.00         | 11.39         | 77                                 |
| 29       | सिंचाई                    | संस्थागत सुदृढ़ीकरण   | 25.30          | 20.30         | 8.54          | 42                                 |
| 30       | सिंचाई                    | राज्य में जल निकायों का विकास   | 20.00          | 10.00         | 6.92          | 69                                 |
| 31       | उद्योग                    | एम.एस.एम.ई. क्लस्टर विकास कार्यक्रम   | 6.00           | 1.60          | 0.60          | 38                                 |
| 32       | उद्योग                    | खाद्य संसाधन पर राष्ट्रीय मिशन  | 16.00          | 8.00          | 0.03          | 0                                  |
| 33       | खान एवं भू-विज्ञान        | खदानों एवं खनिजों का विकास  | 1.20           | 0.59          | 0.25          | 42                                 |
| 34       | लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क)  | आवास स्कीम जेलें  | 30.00          | 15.00         | 11.67         | 78                                 |
| 35       | सड़क परिवहन               | कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण   | 1.00           | 0.50          | 0.35          | 71                                 |
| 36       | डी.ई.एस.ए.                | राज्य स्तर पर प्लानिंग मशीनरी का सुदृढ़ीकरण   | 2.00           | 0.47          | 0.36          | 76                                 |
| 37       | विकेंद्रीकृत /जिला आयोजना | जिला योजना  | 372.50         | 211.48        | 143.89        | 68                                 |
| 38       | प्राथमिक शिक्षा           | बी.पी.एल. विद्यार्थियों (I-VIII) के लिए मासिक छात्रवृत्ति                             | 25.00          | 19.00         | 9.43          | 50                                 |
| 39       | प्राथमिक शिक्षा           | शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन   | 150.00         | 97.42         | 75.94         | 78                                 |
| 40       | प्राथमिक शिक्षा           | सर्व शिक्षा अभियान  | 855.50         | 655.00        | 457.11        | 70                                 |
| 41       | माध्यमिक शिक्षा           | प्रशासनिक स्टाफ - डी.ई.पी.ओ. मेवात तथा पलवल कार्यालयों के लिए वेतन                    | 6.96           | 2.28          | 1.80          | 79                                 |
| 42       | माध्यमिक शिक्षा           | एस.सी.एस.पी. स्कीमों के आपरेटरों को मानदेय  | 2.00           | 1.75          | 0.60          | 34                                 |
| 43       | माध्यमिक शिक्षा           | शिक्षा एवं प्रशिक्षण के ब्लॉक संस्थान की स्थापना (बी.आई.ई.टीज)                        | 7.63           | 3.76          | 2.98          | 79                                 |
| 44       | माध्यमिक शिक्षा           | राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा अहंता फ्रेमवर्क  | 48.00          | 34.60         | 26.63         | 77                                 |
| 45       | उच्चतर शिक्षा             | सरकारी कालेजों में पुस्ताकलय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण                                     | 2.50           | 2.30          | 1.56          | 68                                 |
| 46       | उच्चतर शिक्षा             | हिसार तथा नूह (मेवात) में नई गर्लज एन.सी.सी. बटलियन बनाना                             | 1.10           | 1.00          | 0.47          | 47                                 |
| 47       | कला एवं संस्कृति          | जोनल म्यूजियम की स्थापना  | 1.63           | 0.85          | 0.22          | 26                                 |
| 48       | खेल                       | मानव संसाधन विकास   | 31.12          | 27.75         | 19.81         | 71                                 |
| 49       | चिकित्सा शिक्षा           | महाराजा अग्रसेन चिकित्सा अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, अगरोहा (हिसार) को सहायता अनुदान | 62.00          | 49.00         | 34.00         | 69                                 |
| 50       | चिकित्सा शिक्षा           | कार्यालय निदेशक, अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा, हरियाणा की स्थापना                     | 3.80           | 3.41          | 2.62          | 77                                 |
| 51       | स्वास्थ्य                 | सिविल सर्जनों के लिए जिला स्टॉफ की निरंतरता   | 6.80           | 5.61          | 3.61          | 64                                 |

| क्र. सं. | विभाग का नाम   | विकास के उप - शीर्ष   | अनुमोदित आउटले | संशोधित आउटले | वास्तविक व्यय | संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता |
|----------|--|---|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 52       | स्वास्थ्य  | रैफरल हास्पिटलस   | 24.20          | 18.45         | 14.34         | 78                                 |
| 53       | स्वास्थ्य  | अनुसूचित जातियों के लिए जननी सुरक्षा स्कीम  | 15.90          | 8.00          | 6.11          | 76                                 |
| 54       | स्वास्थ्य  | मलेरिया   | 10.00          | 9.50          | 7.05          | 74                                 |
| 55       | स्वास्थ्य  | निदेशालय स्तर तथा जिला स्तर पर कंप्यूटर कक्ष (आईटी.)  | 3.50           | 1.32          | 0.64          | 48                                 |
| 56       | आयुष   | राष्ट्रीय आयुष मिशन   | 21.00          | 19.00         | 10.89         | 57                                 |
| 57       | जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी   | शहरी: विशेष घटक उप - प्लान  | 14.00          | 7.44          | 5.70          | 77                                 |
| 58       | जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी   | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम   | 305.00         | 170.00        | 135.46        | 80                                 |
| 59       | पुलिस  | पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय स्कीम  | 22.80          | 17.73         | 10.50         | 59                                 |
| 60       | शहरी स्थानीय निकाय   | नगर पालिकाओं/परिषदों को गैर न्यायिक स्टॉप्स पेपर की बिक्री पर 2 प्रतिशत कमीशन का भुगतान         | 220.00         | 195.00        | 113.30        | 58                                 |
| 61       | शहरी स्थानीय निकाय   | राज्य के एम.सी.जे. में चौपालों/सामुदायिक कोंड्रों के अपग्रेडेशन की स्कीम (मुख्यमंत्री की पोषणा) | 100.00         | 2.00          | 0.08          | 4                                  |
| 62       | शहरी स्थानीय निकाय   | राजीव गांधी आवास योजना (75:25)  | 66.65          | 58.00         | 3.62          | 6                                  |
| 63       | लोक संपर्क   | मॉस कम्प्यूनिकेशन में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण  | 1.70           | 0.87          | 0.64          | 74                                 |
| 64       | श्रम   | निराश्रित एवं प्रवासी बाल श्रमिक का पुनर्वास  | 1.20           | 0.77          | 0.61          | 79                                 |
| 65       | श्रम   | श्रम विभाग का कंप्यूटरीकरण (आईटी.)  | 2.15           | 2.13          | 0.90          | 42                                 |
| 66       | सामाजिक न्याय  | आम आदमी बीमा योजना  | 18.50          | 4.00          | 3.09          | 77                                 |
| 67       | एवं अधिकारिता  | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम (100)   | 14.80          | 9.00          | 6.37          | 71                                 |
| 68       | महिला एवं बाल कल्याण   | पूरक पोषण कार्यक्रम (आई.सी.डी.एस. में)  | 224.00         | 194.00        | 121.99        | 63                                 |
| 69       | औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक  | राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई (एस.पी.आई.यू.) तथा मीडिया इंस्ट्रूक्शनल सिस्टम                  | 3.00           | 2.00          | 1.48          | 74                                 |
| 70       | शिक्षा   | आई.टी.आई.ज का एक्सीलैस सैटरों में उन्नयन  | 8.00           | 6.55          | 0.51          | 8                                  |
| 71       | खाद्य एवं आपूर्ति  | एंड टू एंड कंप्यूटराईजेशन   | 162.00         | 7.06          | 4.03          | 57                                 |
| 72       | अन्य सामान्य सेवाएं  | एकीकृत वित्त एवं मानव संसाधन प्रबंध   | 5.00           | 3.00          | 0.45          | 15                                 |
| 73       | पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण                                     | एस.सी./बी.सी. विधवाओं/परित्यक्त महिलाओं/कन्याओं को सिलाई प्रशिक्षण तथा नए कल्याण कोंद्र खोलना   | 1.10           | 0.82          | 0.56          | 68                                 |
| 74       | अनुसूचित जाति तथा अनअधिसूचित जनजातियों के लिए डॉ. अम्बेडकर हाऊसिंग स्कीम | 40.00   | 10.00          | 6.57          | 66            |                                    |
| 75       | कुल  | 3,706.93  | 2,461.47       | 1,575.81      | 64            |                                    |

### परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (vii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए अनुमोदित आउटले तथा संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु किया गया व्यय रखे गए प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग               | स्कीम  | अनुमोदित / संशोधित आउटले | वास्तविक व्यय | आउटले से व्यय की प्रतिशतता |
|----------|---------------------|--|--------------------------|---------------|----------------------------|
| 1.       | कृषि                | वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन, गुणवत्ता शहद, प्रो - एग्री एंड नॉन - एग्री लेबर्ज                                 | 3.50                     | 1.16          | 33                         |
| 2.       | कृषि                | बायो गैस प्लाटों की स्थापना (100)  | 3.00                     | 0.88          | 29                         |
| 3.       | वन                  | वन भवन एवं संचार   | 5.00                     | 3.48          | 70                         |
| 4.       | वन                  | राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारणों का विकास   | 3.90                     | 1.30          | 33                         |
| 5.       | सहकारिता            | सहकारी क्रेडिट संस्थानों को शेयर पूँजी (एल.टी.ओ. फंड)  | 30.00                    | 21.18         | 71                         |
| 6.       | सहकारिता            | अनुसूचित जाति के सदस्यों को ब्याज सबसिडी   | 1.00                     | 0.43          | 43                         |
| 7.       | सहकारिता            | शहरी सहकारी बैंकों को शेयर पूँजी   | 1.50                     | 1.13          | 75                         |
| 8.       | सहकारिता            | लेबर फैडरेशन को शेयर पूँजी   | 1.00                     | 0.75          | 75                         |
| 9.       | सहकारिता            | हाऊस फैडरेशन को शेयर पूँजी   | 2.00                     | 1.50          | 75                         |
| 10.      | सहकारिता            | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को शेयर पूँजी (100)                           | 5.00                     | 0.87          | 17                         |
| 11.      | ग्रामीण विकास       | एकीकृत वाटर शैड प्रबंध कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) (90:10)   | 55.50                    | 21.02         | 38                         |
| 12.      | ग्रामीण विकास       | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) (90:10)                                       | 268.00                   | 201.09        | 75                         |
| 13.      | सामुदायिक विकास     | स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण/निर्मल भारत अभियान/पूर्ण स्वच्छता अभियान)  | 200.00                   | 55.05         | 28                         |
| 14.      | मेवात विकास बोर्ड   | मेवात विकास एजेंसी (परियोजना प्रबंध)   | 1.65                     | 1.01          | 61                         |
| 15.      | मेवात विकास बोर्ड   | सामुदायिक निर्माण कार्य  | 8.57                     | 0.63          | 7                          |
| 16.      | शिवालिक विकास बोर्ड | वाटरशैड प्रबंधन  | 16.00                    | 6.11          | 38                         |
| 17.      | सिंचाई              | बी.एम.एल. की क्षमता का पुनरुद्धार  | 7.00                     | 4.57          | 65                         |
| 18.      | उद्योग              | नई औद्योगिक इकाइयों को बैट/बिक्री कर के अंतर्गत कर का रिफंड/बिक्री कर के बदले में ब्याज मुक्त ऋण की अनुमति | 20.00                    | 12.60         | 63                         |
| 19.      | नागर विमानन         | राज्य में एयरोड्रोमज, एयर - स्ट्रीप्स एवं अन्य विमानन भवनों का निर्माण एवं विकास                           | 3.00                     | 0.84          | 28                         |

| क्र. सं. | विभाग                    | स्कीम   | अनुमोदित / संशोधित आउटले | वास्तविक व्यय | आउटले से व्यय की प्रतिशतता |
|----------|--------------------------|---|--------------------------|---------------|----------------------------|
| 20.      | लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क) | सूचना प्रौद्योगिकी  | 2.50                     | 0.38          | 15                         |
| 21.      | लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क) | एन.सी.आर. लोन   | 250.00                   | 169.66        | 68                         |
| 22.      | लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क) | सी.आर.एफ. से ट्रांसफर - इंटर एकाउंट ट्रांसफर (100)  | 75.00                    | 42.42         | 57                         |
| 23.      | सड़क परिवहन              | रेगुलेटरी विंग तथा रोड सेफ्टी प्रोग्राम का कंप्यूटरीकरण   | 2.10                     | 0.99          | 47                         |
| 24.      | विज्ञान एवं पौद्योगिकी   | हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज स्कीम   | 6.00                     | 2.90          | 48                         |
| 25.      | पर्यटन                   | पर्यटन को बढ़ावा / ऐतिहासिक स्मारकों का प्रदीपन   | 1.20                     | 0.95          | 79                         |
| 26.      | पर्यटन                   | डेस्टीनेशनज एंड सर्किट्स का मूलभूत विकास  | 10.00                    | 0.91          | 9                          |
| 27.      | प्राथमिक शिक्षा          | मिडल कक्षा में बेहतर छात्रों के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति   | 1.20                     | 0.63          | 53                         |
| 28.      | प्राथमिक शिक्षा          | सभी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों (I से VIII) के लिए मासिक छात्रवृत्ति  | 210.00                   | 147.38        | 70                         |
| 29.      | प्राथमिक शिक्षा          | अनुसूचित जाति विद्यार्थियों (I से VIII) के लिए नकद पुरस्कार   | 85.00                    | 66.98         | 79                         |
| 30.      | माध्यमिक शिक्षा          | शिक्षक कल्याण निधि  | 1.00                     | 0.23          | 23                         |
| 31.      | माध्यमिक शिक्षा          | बेहतरी के लिए शिक्षा प्रोत्साहन (ई.ई.ई.) उच्च / वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति  | 3.00                     | 1.48          | 49                         |
| 32.      | माध्यमिक शिक्षा          | कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी बी.पी.एल. विद्यार्थियों के लिए मासिक छात्रवृत्ति  | 12.00                    | 6.90          | 58                         |
| 33.      | माध्यमिक शिक्षा          | कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी बी.सी.-ए विद्यार्थियों के लिए मासिक छात्रवृत्ति   | 50.00                    | 36.54         | 73                         |
| 34.      | माध्यमिक शिक्षा          | मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्य प्रोत्साहन योजना (स्कूल सौंदर्यकरण अवार्ड स्कीम)  | 1.71                     | 1.00          | 58                         |
| 35.      | माध्यमिक शिक्षा          | निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन   | 5.00                     | 3.62          | 72                         |
| 36.      | माध्यमिक शिक्षा          | स्कूलों में खेल उपकरणों का प्रावधान तथा खेल के मैदानों का विकास   | 5.00                     | 2.97          | 59                         |
| 37.      | माध्यमिक शिक्षा          | वरिष्ठ माध्यमिक / उच्च स्कूल में पृथक गर्ल्ज टाईलेट्स / हैंड पम्प का निर्माण (नावार्ड)  | 27.20                    | 15.71         | 58                         |
| 38.      | उच्च शिक्षा              | सरकारी कालेजों का सुदृढ़ीकरण तथा उन्हें बेहतरी के क्षेत्रों में परिवर्तन करना और सरकारी स्कूलों में विषय के रूप में कंप्यूटर शिक्षा का आरंभ एवं अन्य गतिविधियां | 2.50                     | 2.00          | 80                         |
| 39.      | उच्च शिक्षा              | छात्राओं के सशक्तिकरण निदेशालय में कालेज में विमेन सैल की स्थापना   | 1.00                     | 0.67          | 67                         |
| 40.      | उच्च शिक्षा              | विद्यार्थियों का मानव संसाधन विकास (पढ़ाई के साथ कमाई)  | 1.40                     | 0.88          | 63                         |

| क्र. सं. | विभाग                      | स्कीम   | अनुमोदित / संशोधित आउटले | वास्तविक व्यय | आउटले से व्यय की प्रतिशतता |
|----------|----------------------------|---|--------------------------|---------------|----------------------------|
| 41.      | उच्च शिक्षा                | प्रयोगशालाओं का संवर्धन                                     | 1.50                     | 1.03          | 69                         |
| 42.      | उच्च शिक्षा                | सरकारी कालेजों में खेल गतिविधियां                           | 1.00                     | 0.48          | 48                         |
| 43.      | उच्च शिक्षा                | छात्रवृत्तियां  | 1.70                     | 1.13          | 66                         |
| 44.      | उच्च शिक्षा                | राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एन.एस.एस.) (100)                      | 1.00                     | 0.09          | 9                          |
| 45.      | तकनीकी शिक्षा              | तकनीकी शिक्षा परियोजना फेस - IV                             | 25.00                    | 13.50         | 54                         |
| 46.      | तकनीकी शिक्षा              | एकीकृत दक्षता विकास स्कीम                                   | 5.76                     | 1.44          | 25                         |
| 47.      | तकनीकी शिक्षा              | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को फीस की प्रतिपूर्ति        | 5.00                     | 0.06          | 1                          |
| 48.      | तकनीकी शिक्षा              | बहुतकनीक के माध्यम से सामुदायिक विकास                       | 2.00                     | 1.10          | 55                         |
| 49.      | खेल                        | खेल स्कीम का विस्तृत प्रचार                                 | 1.30                     | 0.77          | 59                         |
| 50.      | खेल                        | खेल अवार्ड एवं प्रोत्साहन स्कीम                             | 1.50                     | 0.75          | 50                         |
| 51.      | खेल                        | अनुसूचित जातियों के लिए मूलभूत संरचना स्कीम                 | 13.00                    | 4.81          | 37                         |
| 52.      | खेल                        | पंचायती युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पी.वाइ.के.के.ए.) (100) | 14.28                    | 0.88          | 6                          |
| 53.      | स्वास्थ्य                  | अस्पतालों में स्वतंत्र फीडर लाइनें प्रदान करना              | 2.50                     | 1.68          | 67                         |
| 54.      | स्वास्थ्य                  | अस्पतालों के लिए दवाओं की खरीद                              | 40.90                    | 24.01         | 59                         |
| 55.      | स्वास्थ्य                  | अस्पताल का सुधार एवं विस्तार (मशीनरी एवं उपकरण की खरीद)     | 45.00                    | 28.94         | 64                         |
| 56.      | स्वास्थ्य                  | उपकरण की मरम्मत/ए.एम.सी./सी.एम.सी.                          | 5.00                     | 2.99          | 60                         |
| 57.      | जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी | यमुना एक्शन प्लान फेस - I                                   | 2.00                     | 0.80          | 40                         |
| 58.      | जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी | आई.ई.सी. गतिविधियां सूचना - शिक्षा संचार शेयरिंग            | 1.80                     | 0.77          | 43                         |
| 59.      | आवास                       | सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण (वित्त विभाग)          | 1.00                     | 0.09          | 9                          |
| 60.      | श्रम                       | फरीदाबाद, गुडगांव में लेवर कांप्लैक्स का निर्माण            | 7.50                     | 3.38          | 45                         |
| 61.      | महिला एवं बाल विकास        | एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम                               | 5.13                     | 3.02          | 59                         |
| 62.      | महिला एवं बाल विकास        | हरियाणा बाल कल्याण परिषद्                                   | 14.00                    | 6.50          | 46                         |
| 63.      | महिला एवं बाल विकास        | आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण नाबार्ड ऋण                    | 103.62                   | 26.93         | 26                         |
| 64.      | महिला एवं बाल विकास        | जे.जे. अधिनियम के अंतर्गत रिमांड/आबज्जरवेशन होमस का निर्माण | 7.00                     | 5.25          | 75                         |

| क्र. सं.   | विभाग                                    | स्कीम   | अनुमोदित / संशोधित आउटले | वास्तविक व्यय   | आउटले से व्यय की प्रतिशतता |
|------------|--|---|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| 65.        | महिला एवं बाल विकास                      | बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम (100)  | 8.00                     | 3.85            | 48                         |
| 66.        | महिला एवं बाल विकास                      | किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.) - सबला   | 19.00                    | 11.29           | 59                         |
| 67.        | महिला एवं बाल विकास                      | इदिरा गांधी मानृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एस.वाई.) (75:25)   | 3.35                     | 1.99            | 59                         |
| 68.        | औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा | दक्षता विकास अभियान (100)   | 6.00                     | 1.25            | 21                         |
| 69.        | औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा | विशेष केन्द्रीय सहायता प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन करना (100) | 5.00                     | 0.22            | 4                          |
| 70.        | लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)            | न्यायपालिका की मुलभूत सुविधाओं का विकास (न्याय प्रशासन) (75:25)   | 30.00                    | 23.40           | 78                         |
| 71.        | लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)            | एम.एल.ए. फ्लैट्स  | 7.00                     | 4.51            | 64                         |
| 72.        | अन्य सामान्य सेवाएं                      | मुख्यालय स्टॉफ - आई.टी.   | 1.50                     | 0.61            | 41                         |
| 73.        | अन्य सामान्य सेवाएं                      | ट्रेजरी स्टॉफ - स्थापना व्यय  | 2.00                     | 1.34            | 67                         |
| 74.        | अन्य सामान्य सेवाएं                      | आबकारी एवं कराधान   | 34.79                    | 10.86           | 31                         |
| <b>कुल</b> |  |   | <b>1,813.56</b>          | <b>1,030.52</b> | <b>57</b>                  |

**परिशिष्ट 2.15**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (viii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम व्यय किया गया था

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं.   | विभाग                       | स्कीम  | अनुमानित आउटले | संशोधित आऊटले | वास्तविक व्यय | संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता |
|------------|-----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 1.         | कृषि                        | के विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रम  | -              | 1.84          | 0.41          | 22                                 |
| 2.         | कृषि                        | राज्य विस्तार को सहायता  | -              | 8.47          | 5.48          | 65                                 |
| 3.         | पशुपालन एवं डेयरी           | पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण हेतु स्कीम (एस.सी.एस.पी.)                                 | -              | 2.59          | 0.40          | 15                                 |
| 4.         | पशुपालन एवं डेयरी           | पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु स्कीम (100)                                | -              | 2.00          | 1.48          | 74                                 |
| 5.         | पशुपालन एवं डेयरी           | डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय प्लान   | -              | 9.70          | 4.69          | 48                                 |
| 6.         | नवीकरण योग्य ऊर्जा          | गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उन्नयन   | -              | 37.54         | 0.91          | 2                                  |
| 7.         | उच्चतर शिक्षा               | सरकारी कालेजों में शिक्षक एवं शिष्य तथा सहायक स्टॉफ और मुख्यालय स्टॉफ का मानव संसाधन विकास | -              | 1.00          | 0.66          | 66                                 |
| 8.         | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी   | शहरी शिवालिक एवं दक्षिण हरियाणा (टी.एफ.सी.)  | -              | 58.80         | 37.19         | 63                                 |
| 9.         | एस.सी. एवं बी.सी. का कल्याण | बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (लड़कियों के लिए) (100)                                    | -              | 4.00          | 2.00          | 50                                 |
| 10.        | खाद्य एवं आपूर्ति           | दाल रोटी स्कीम   | -              | 154.00        | 101.10        | 66                                 |
| <b>कुल</b> |                             |  |                | <b>279.94</b> | <b>154.32</b> | <b>55</b>                          |

## परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (ix); पृष्ठ 48)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु परंतु व्यय, संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग                    | स्कीम  | अनुमानित आउटले | संशोधित आऊटले | वास्तविक व्यय | संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता |
|----------|--------------------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 1.       | कृषि                     | राष्ट्रीय तिलहन एवं ऊयल पाम मिशन   | 4.00           | 20.48         | 5.92          | 29                                 |
| 2.       | कृषि                     | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)   | 250.00         | 375.00        | 241.76        | 64                                 |
| 3.       | बागवानी                  | राष्ट्रीय बागवानी मिशन (85:15)   | 104.00         | 130.00        | 86.96         | 67                                 |
| 4.       | बागवानी                  | लघु सिंचाई   | 5.00           | 59.00         | 40.87         | 69                                 |
| 5.       | पशुपालन एवं डेयरी        | कंजरवेशन एक्ट स्कीम - देशी पशु का विकास  | 1.00           | 3.50          | 2.27          | 65                                 |
| 6.       | पशुपालन एवं डेयरी        | पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु स्कीम (सी.एस.एस.)  | 2.50           | 10.37         | 4.58          | 44                                 |
| 7.       | सहकारिता                 | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना को शेर पूंजी (100)  | 12.71          | 25.26         | 12.71         | 50                                 |
| 8.       | सामुदायिक विकास          | ग्राम पंचायत / जिला परिषद् भवन सहित नए ब्लॉक ऑफिस भवन का निर्माण   | 5.00           | 15.00         | 5.85          | 39                                 |
| 9.       | पंचायतें                 | ग्राम स्कीम में विशेष विकास कार्य (एस.एफ.सी.)  | 73.50          | 132.05        | 73.50         | 56                                 |
| 10.      | लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क) | आवास स्कीम - न्यायिक मूलभूत संरचना का विकास (आवासीय)   | 50.00          | 53.35         | 40.22         | 75                                 |
| 11.      | माध्यमिक शिक्षा          | पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भवनों का निर्माण (जी.एच.एस./जी.एस.एस. स्कूलों के लिए प्रमुख कार्य) | 15.00          | 21.30         | 12.83         | 60                                 |
| 12.      | प्राथमिक शिक्षा          | प्राथमिक शिक्षा का कंप्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग   | 1.80           | 2.35          | 1.83          | 78                                 |
| 13.      | प्राथमिक शिक्षा          | अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं को मुफ्त साईकिल की प्रदानगी  | 2.00           | 8.00          | 5.04          | 63                                 |
| 14.      | माध्यमिक शिक्षा          | सरकारी उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में डिपूल डैस्क का प्रावधान  | 10.00          | 25.00         | 17.11         | 68                                 |
| 15.      | माध्यमिक शिक्षा          | सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी स्कीम (स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन)  | 30.00          | 142.17        | 91.48         | 64                                 |
| 16.      | माध्यमिक शिक्षा          | साक्षर भारत  | 18.90          | 35.00         | 25.46         | 73                                 |

| क्र. सं. | विभाग                                | स्कीम   | अनुमानित आउटले | संशोधित आऊटले | वास्तविक व्यय | संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता |
|----------|--------------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 17.      | स्वास्थ्य                            | राष्ट्रीय एड्स एवं एस.टी.डी. नियंत्रण कार्यक्रम (100)   | 16.00          | 30.00         | 20.68         | 69                                 |
| 18.      | स्वास्थ्य                            | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन  | 467.00         | 497.00        | 382.64        | 77                                 |
| 19.      | जन स्वास्थ्य अभियानिकी               | राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम   | 35.70          | 77.70         | 45.82         | 59                                 |
| 20.      | पुलिस                                | कार्यालय भवन/भूमि   | 24.33          | 137.88        | 92.87         | 67                                 |
| 21.      | शहरी स्थानीय निकाय                   | स्वच्छ भारत मिशन  | 1.00           | 149.96        | 83.37         | 56                                 |
| 22.      | शहरी स्थानीय निकाय                   | स्मार्ट सिटी  | 1.00           | 6.00          | 4.00          | 67                                 |
| 23.      | शहरी स्थानीय निकाय                   | नव शहरी नवीकरण मिशन/ जे.एन.एन.यू.आर.एम.   | 1.40           | 262.00        | 92.60         | 35                                 |
| 24.      | खाद्य एवं आपूर्ति                    | गोदाम का निर्माण  | 20.00          | 30.00         | 20.00         | 67                                 |
| 25.      | पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण | अनुमूलित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम ओ.बी.सी. विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम | 22.44          | 278.50        | 63.08         | 23                                 |
| 26.      |                                      |   | 2.50           | 30.00         | 5.94          | 20                                 |
| कुल      |                                      |   | 1,176.78       | 2,556.87      | 1,479.39      | 58                                 |

## परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (x); पृष्ठ 48)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग का नाम                         | स्कीम   | अनुमानित आउटले | संशोधित आऊटले |
|----------|--------------------------------------|---|----------------|---------------|
| 1        | ग्रामीण विकास                        | प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना   | -              | 1.20          |
| 2        | ग्रामीण विकास                        | सांसद आदर्श ग्राम योजना   | -              | 1.00          |
| 3        | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी            | मेवात (टी.एफ.सी.)   | -              | 1.02          |
| 4        | एस.सी. तथा एस.टी. का कल्याण          | बी.सी. विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम  | -              | 6.00          |
| 5        | एस.सी. तथा एस.टी. का कल्याण          | अनुसूचित जाति के लिए विविध क्षेत्र दक्षता विकास कार्यक्रम   | -              | 11.00         |
| 6        | एस.सी. तथा एस.टी. का कल्याण          | अनुसूचित जातियों एवं अन्यों का मूलभूत संरचना विकास  | -              | 1.20          |
| 7        | अन्य सामान्य सेवाएं                  | अनुकूल कार्य स्थिति हेतु खजानों/उप-खजानों में मौतिक मूलभूत संरचना                                     | -              | 2.00          |
| 8        | विद्युत                              | हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को ऋण  | -              | 409.68        |
| 9        | पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण | 9वीं एवं 10वीं कक्षाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम (100) | -              | 33.00         |
| कुल      |                                      |   | -              | 466.10        |

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों बढ़ाया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग का नाम       | स्कीम                               | अनुमानित आउटले | संशोधित आऊटले |
|----------|--------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 1        | तकनीकी शिक्षा      | विद्यमान बहुतकनीकीयों का आधुनिकीकरण | 3.00           | 10.00         |
| 2        | शहरी स्थानीय निकाय | राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (75:25)  | 33.35          | 60.00         |
| कुल      |                    |                                     | 36.35          | 70.00         |

### परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (iii); पृष्ठ 48)

2015 - 16 के दौरान अनुदान संख्या 23 (खाद्य एवं आपूर्ति) के अंतर्गत मासिक/तिमाही व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | स्कीम नाम  | वर्ष के दौरान कुल व्यय | वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय |                       | अंतिम माह     |           |
|----------|--|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|
|          |  |                        | राशि                               | कुल व्यय की प्रतिशतता | राशि          | प्रतिशत   |
| 1        | टी.पी.डी.एस. आपरेशनज का एंड टू एंड कंप्यूटरिकरण (2408-01-001-91) | 4.03                   | 2.16                               | 54                    | 1.45          | 36        |
| 2        | उपभोक्ता कल्याण निधि से व्यय (3456-104-99)                       | 8.38                   | 3.12                               | 37                    | 3.07          | 37        |
| 3        | पूंजी पर व्यय (4408-01-101-97)                                   | 207.76                 | 207.76                             | 100                   | 207.76        | 100       |
| 4        | गोदामों का निर्माण (4408-02-101-99)                              | 7.65                   | 7.65                               | 100                   | 7.65          | 100       |
| 5        | गोदामों का निर्माण (4408-02-101-99)                              | 20.00                  | 4.40                               | 22                    | 4.40          | 22        |
|          | <b>कुल</b>   | <b>247.82</b>          | <b>225.09</b>                      | <b>91</b>             | <b>224.33</b> | <b>91</b> |

## परिशिष्ट 2.19

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (iv); पृष्ठ 48)

पिछले तीन वर्षों की सत्रत बचतों से संबंधित शीर्ष - वार विवरण

(₹ करोड़ में)

| लेखा शीर्ष        | लेखा शीर्ष वार विवरण         | वर्ष    | कुल बजट  | व्यय     | बचत      | बचतों की प्रतिशतता |
|-------------------|------------------------------|---------|----------|----------|----------|--------------------|
| 2408-01-001-93    | दाल रोटी स्कीम               | 2013-14 | 108.00   | 84.60    | 23.40    | 22                 |
|                   |                              | 2014-15 | 162.00   | 112.98   | 49.02    | 30                 |
|                   |                              | 2015-16 | 162.00   | 101.10   | 60.90    | 38                 |
| 2408-01-001-94-99 | सूचना प्रौद्योगिकी           | 2013-14 | 109.07   | 0.12     | 108.95   | 100                |
|                   |                              | 2014-15 | 64.62    | 1.73     | 62.89    | 97                 |
|                   |                              | 2015-16 | 12.50    | 0.02     | 12.48    | 100                |
| 2408-01-001-96    | जिला फोरमज                   | 2013-14 | 16.69    | 10.58    | 6.11     | 37                 |
|                   |                              | 2014-15 | 14.27    | 12.15    | 2.12     | 15                 |
|                   |                              | 2015-16 | 15.57    | 12.73    | 2.84     | 18                 |
| 2408-01-001-98    | फील्ड स्टॉफ                  | 2013-14 | 107.33   | 70.70    | 36.63    | 34                 |
|                   |                              | 2014-15 | 110.05   | 58.62    | 51.43    | 47                 |
|                   |                              | 2015-16 | 155.50   | 110.43   | 45.07    | 29                 |
| 3456-104-99       | उपभोक्ता कल्याण निधि से व्यय | 2013-14 | 10.38    | 2.81     | 7.57     | 73                 |
|                   |                              | 2014-15 | 0.37     | 0.22     | 0.15     | 41                 |
|                   |                              | 2015-16 | 10.61    | 8.38     | 2.23     | 21                 |
| 4408-01-101-97    | पूँजी पर व्यय                | 2013-14 | 500.00   | 386.35   | 113.65   | 23                 |
|                   |                              | 2014-15 | 575.00   | 229.88   | 345.12   | 60                 |
|                   |                              | 2015-16 | 600.00   | 207.76   | 392.24   | 65                 |
| 4408-01-101-99    | अनाज आपूर्ति स्कीम           | 2013-14 | 7,549.79 | 4,827.46 | 2,722.33 | 36                 |
|                   |                              | 2014-15 | 7,948.44 | 5,236.89 | 2,711.55 | 34                 |
|                   |                              | 2015-16 | 8,589.91 | 6,989.28 | 1,600.63 | 19                 |
| 4408-02-101-99    | गोदामों का निर्माण           | 2013-14 | 30.00    | 11.33    | 18.67    | 62                 |
|                   |                              | 2014-15 | 50.00    | 5.82     | 44.18    | 88                 |
|                   |                              | 2015-16 | 50.00    | 7.64     | 42.36    | 85                 |

**परिशिष्ट 2.20**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (ii); पृष्ठ 49)

**वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में व्यय के वेग के गामले**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | स्कीम नाम  | वर्ष के दौरान कुल व्यय | वर्ष की अतिम तिमाही के दौरान व्यय |                       | अंतिम माह |
|----------|--|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|
|          |  |                        | राशि                              | कुल व्यय की प्रतिशतता |           |
| 1        | एस.बी. 99 एकीकृत बेकार भूमि विकास प्रबंध परियोजना  | 36.40                  | 36.40                             | 100                   | 15.18     |
| 2        | एस.बी. 99 एस.जी.एस.वाई. सहित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम                                  | 4.25                   | 2.71                              | 64                    | 2.71      |
| 3        | एस.बी. 99 अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्णज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम                   | 3.85                   | 2.31                              | 60                    | 2.31      |
| 4        | एस.बी. 97 डी.आर.डी.ए. प्रशासन  | 15.57                  | 15.00                             | 96                    | 0         |
| 5        | एस.बी. 96 जिला तथा ब्लॉक स्टॉफ (भारित)   | 1.12                   | 1.12                              | 100                   | 0         |
| 6        | एस.बी. 98 हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी की स्थापना                                | 1.14                   | 0.57                              | 50                    | 0         |
| 7        | एस.बी. 82 पी.आर.आई. के लिए वैट पर सरचार्ज  | 169.42                 | 169.42                            | 100                   | 0         |
| 8        | एस.बी. 83 राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर ग्रामीण गांवों में विशेष विकास कार्यों के लिए स्कीम | 66.15                  | 66.15                             | 100                   | 0         |
| 9        | एस.बी. 89 राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थान को सहायता अनुदान                | 150.00                 | 150.00                            | 100                   | 0         |
| 10       | एस.बी. 93 विकास कार्यों के लिए मैचिंग सहायतानुदान (सरकारी हिस्सा)                            | 1.54                   | 1.54                              | 100                   | 0         |
| 11       | एस.बी. 95 विकास कार्यों के लिए मैचिंग सहायतानुदान (जनता का हिस्सा)                           | 1.36                   | 1.36                              | 100                   | 0         |
| 12       | एस.बी. 89 सी.सी. स्ट्रीट के पेवमेंट की स्कीम   | 14.82                  | 14.82                             | 100                   | 0         |
| 13       | एस.बी. 92 सामान्य श्रेणी की चौपालों के निर्माण हेतु सबसिडी                                   | 0.14                   | 0.14                              | 100                   | 0         |
| 14       | एस.बी. 93 पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम                        | 39.29                  | 31.49                             | 80                    | 31.49     |
| 15       | एस.बी. 94 पिछड़े वर्गों की चौपालों के निर्माण हेतु सबसिडी                                    | 0.13                   | 0.13                              | 100                   | 0         |
| 16       | एस.बी. 96 ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम   | 1.79                   | 1.79                              | 100                   | 0         |
| 17       | एस.बी. 97 पंचायत/जिला परिषद् भवन एवं राज्य पंचायत भवन सहित नए ब्लॉक कार्यालय भवन का निर्माण  | 5.85                   | 5.85                              | 100                   | 0         |
| 18       | एस.बी. 98 गैर-सरकारी राज्य/जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन                                    | 0.92                   | 0.88                              | 96                    | 0         |
| 19       | एस.बी. 99 पंचायत समितियों को समेकन विकास अनुदान  | 0.06                   | 0.04                              | 67                    | 0.04      |
| 20       | एस.बी. 98 प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना  | 1.20                   | 1.20                              | 100                   | 0         |

| क्र. सं. | स्कीम नाम  | वर्ष के दौरान कुल व्यय | वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय |                       | अंतिम माह |
|----------|--|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
|          |  |                        | राशि                               | कुल व्यय की प्रतिशतता |           |
| 21       | एस.बी. 99 विधायक आदर्श ग्राम योजना   | 0.03                   | 0.03                               | 100                   | 0         |
| 22       | एस.बी. 98 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान                                       | 419.28                 | 209.64                             | 50                    | 0         |
| 23       | एस.बी. 85 अनुसूचित जातियों के लिए पंचायती राज संस्थान हेतु वैट पर सरचार्ज की स्कीम                             | 37.20                  | 37.20                              | 100                   | 0         |
| 24       | एस.बी. 86 राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुसूचित जातियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विशेष विकास कार्य         | 7.35                   | 7.35                               | 100                   | 0         |
| 25       | एस.बी. 88 माहात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना   | 54.98                  | 54.98                              | 100                   | 0         |
| 26       | एस.बी. 90 सी.सी. स्ट्रीट के पेवमैंट की स्कीम   | 4.59                   | 4.59                               | 100                   | 0         |
| 27       | एस.बी. 91 हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता की स्कीम   | 94.74                  | 94.74                              | 100                   | 0         |
| 28       | एस.बी. 94 मुख्यमंत्री अनुसूचित निर्मल बस्ती योजना  | 54.00                  | 54.00                              | 100                   | 0         |
| 29       | एस.बी. 96 अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम की स्कीम   | 97.02                  | 97.02                              | 100                   | 0         |
| 30       | एस.बी. 97 अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन चौपाल के निर्माण की स्कीम  | 0.19                   | 0.19                               | 100                   | 0         |
| 31       | एस.बी. 98 अनुसूचित जातियों के लिए पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता की स्कीम                | 15.76                  | 13.37                              | 85                    | 0         |
| 32       | एस.बी. 96 अनुसूचित जातियों के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम की स्कीम                            | 0.74                   | 0.74                               | 100                   | 0         |
| 33       | एस.बी. 99 भूमिधारण कर के बदले में पंचायत समितियों को मुआवजा  | 0.14                   | 0.07                               | 50                    | 0.06      |
| 34       | एस.बी. 94 भारत में निर्मित विदेशी शराब की बिक्री पर कर के बदले में पंचायत समितियों को आबकारी शुल्क की प्रदानगी | 34.45                  | 10.85                              | 31                    | 10.85     |
| 35       | एस.बी. 95 देशी शराब की बिक्री पर कर के बदले में पंचायत समितियों को आबकारी शुल्क की प्रदानगी                    | 75.55                  | 34.20                              | 45                    | 34.20     |
| 36       | एस.बी. 96 भारत में निर्मित विदेशी शराब पर चुंगी के बदले में स्थानीय निकायों को आबकारी शुल्क की प्रदानगी        | 124.25                 | 44.39                              | 36                    | 44.39     |
| 37       | एस.बी. 97 रम एवं जिन सहित देशी शराब पर चुंगी के बदले में स्थानीय निकायों को आबकारी शुल्क की प्रदानगी           | 58.50                  | 23.03                              | 39                    | 23.03     |
| 38       | एस.बी. 98 व्यवसाय कर के समाप्त हेतु मुआवजा   | 0.09                   | 0.04                               | 44                    | 0.04      |
| 39       | एस.बी. 99 जिला बोर्ड को उत्तर भारतीय नौदार्ट अधिनियम के अंतर्गत नौदार्टों से आय की हानि हेतु मुआवजा            | 0.17                   | 0.12                               | 71                    | 0.12      |
| कुल      |  | 1,594.03               | 1,189.47                           | 75                    | 164.42    |

## परिशिष्ट 2.21

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iii); पृष्ठ 49)

### पिछले तीन वर्षों की सतत् बचतों से संबंधित शीर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

| लेखा शीर्ष  | वर्ष    | कुल बजट  | व्यय     | बचत    | बचत का प्रतिशत |
|---|---------|----------|----------|--------|----------------|
| एस.जी.एस.वाई. सहित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2501-06-101-99-99)             | 2015-16 | 600.00   | 425.37   | 174.63 | 29             |
|   | 2014-15 | 750.00   | 50.00    | 700.00 | 93             |
|   | 2013-14 | 750.00   | 128.10   | 621.90 | 83             |
| अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्णज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम (2501-06-789-99) | 2015-16 | 600.00   | 385.36   | 214.64 | 36             |
|   | 2014-15 | 750.00   | 13.84    | 736.16 | 98             |
|   | 2013-14 | 750.00   | 128.10   | 621.90 | 83             |
| डी.इ.ब्ल्यू.सी.आर.ए. स्कीम (2501-06-800-98)                                       | 2015-16 | 300.00   | 183.12   | 116.88 | 39             |
|   | 2014-15 | 200.00   | 151.33   | 48.67  | 24             |
|   | 2013-14 | 400.00   | 181.73   | 218.27 | 55             |
| मुख्यालय में मानीटरिंग सैल: स्थापना व्यय (2501-06-800-99-98)                      | 2015-16 | 40.00    | 29.56    | 10.44  | 26             |
|   | 2014-15 | 33.85    | 23.83    | 10.02  | 30             |
|   | 2013-14 | 45.00    | 32.73    | 12.27  | 27             |
| स्थापना प्रभार - मुख्यालय (2505-01-702-99)  | 2015-16 | 55.00    | 45.80    | 9.20   | 17             |
|   | 2014-15 | 50.00    | 35.85    | 14.15  | 28             |
|   | 2013-14 | 45.00    | 39.79    | 5.21   | 12             |
| स्थापना व्यय (मुख्यालय स्टॉफ) (2515-001-98-98)                                    | 2015-16 | 498.00   | 388.97   | 109.03 | 22             |
|   | 2014-15 | 493.00   | 402.13   | 90.87  | 18             |
|   | 2013-14 | 392.20   | 304.38   | 87.82  | 22             |
| जिला स्टॉफ (पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में प्रभार) (2515-001-99-95)            | 2015-16 | 1,329.00 | 1,054.65 | 274.35 | 21             |
|   | 2014-15 | 1,044.00 | 979.52   | 64.48  | 6              |
|   | 2013-14 | 963.50   | 873.92   | 89.58  | 9              |
| स्थापना व्यय (मुख्यालय स्टॉफ) (2515-001-99-98)                                    | 2015-16 | 506.15   | 446.70   | 59.45  | 12             |
|   | 2014-15 | 468.00   | 420.48   | 47.52  | 10             |
|   | 2013-14 | 440.00   | 380.12   | 59.88  | 14             |
| राज्य सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र, नीलोखेड़ी (2515-003-98-99)                | 2015-16 | 226.25   | 150.90   | 75.35  | 33             |
|   | 2014-15 | 208.00   | 156.86   | 51.14  | 25             |
|   | 2013-14 | 150.58   | 134.21   | 16.37  | 11             |
| विकास कार्यों के लिए मैचिंग सहायतानुदान (सरकारी हिस्सा) (2515-101-93)             | 2015-16 | 250.00   | 154.32   | 95.68  | 38             |
|   | 2014-15 | 200.00   | 109.27   | 90.73  | 45             |
|   | 2013-14 | 524.00   | 206.19   | 317.81 | 61             |
| विकास कार्यों के लिए मैचिंग सहायतानुदान (जनता का हिस्सा) (2515-101-95)            | 2015-16 | 200.00   | 136.00   | 64.00  | 32             |
|   | 2014-15 | 150.00   | 77.39    | 72.61  | 48             |
|   | 2013-14 | 500.00   | 142.63   | 357.37 | 71             |
| पिछड़े वर्गों की चौपालों के निर्माण हेतु सबसिडी (2515-102-94)                     | 2015-16 | 30.00    | 12.55    | 17.45  | 58             |
|   | 2014-15 | 1.00     | 0.40     | 0.60   | 60             |
|   | 2013-14 | 30.00    | 7.20     | 22.80  | 76             |
| पंचायत समितियों को समेकन विकास अनुदान (2515-102-99)                               | 2015-16 | 9.92     | 6.42     | 3.50   | 35             |
|   | 2014-15 | 9.92     | 8.36     | 1.56   | 16             |
|   | 2013-14 | 2.02     | 0        | 2.02   | 100            |
| अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन चौपाल के निर्माण हेतु स्कीम (2515-789-97)           | 2015-16 | 100.00   | 18.64    | 81.36  | 81             |
|   | 2014-15 | 1.00     | 0.70     | 0.30   | 30             |
|   | 2013-14 | 100.00   | 22.70    | 77.30  | 77             |
| भूमि धारण कर के बदले में पंचायत समितियों को मुआवजा (3604-101-99)                  | 2015-16 | 20.00    | 13.72    | 6.28   | 31             |
|   | 2014-15 | 20.00    | 16.92    | 3.08   | 15             |
|   | 2013-14 | 20.00    | 17.51    | 2.49   | 12             |
| व्यवसाय कर के समाप्त हेतु मुआवजा (3604-200-98)                                    | 2015-16 | 12.00    | 9.29     | 2.71   | 23             |
|   | 2014-15 | 12.00    | 10.64    | 1.36   | 11             |
|   | 2013-14 | 12.00    | 10.63    | 1.37   | 11             |

## परिशिष्ट 2.22

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iv); पृष्ठ 49)

## अधिक अभ्यर्पणों से संबंधित शीर्ष - वार विवरण

(₹ करोड़ में)

| लेखा शीर्ष  | मूल बजट       | पूरक        | पुनर्विनियोजन | कुल           | व्यय          | अधिक      |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| स्थापना प्रभार - मुख्यालय<br>(2505-01-702-99)   | 0.55          | 0.00        | -0.10         | 0.45          | 0.46          | 0.01      |
| पंचायती राज लोक निर्माण परिमंडल<br>(2515-001-98-94)   | 61.85         | 0.00        | -7.47         | 54.38         | 54.38         | 0.00      |
| जिला एवं ब्लॉक (2515-001-98-96)   | 128.85        | 0.00        | -16.03        | 112.82        | 112.95        | 0.13      |
| हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी<br>की स्थापना (2515-003-98-98)                               | 0.60          | 1.91        | -1.41         | 1.10          | 1.14          | 0.04      |
| पंचायत समितियों के लेखाओं के रख - रखाव<br>की स्कीम (2515-197-99)                                      | 23.00         | 0.00        | 0.47          | 23.47         | 23.48         | 0.01      |
| अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार सृजन<br>कार्यक्रम हेतु स्कीम (2515-789-96)                             | 100.00        | 0.00        | -3.28         | 96.72         | 97.02         | 0.30      |
| देशी शराब की बिक्री पर कर के बदले में<br>पंचायत समितियों को आबकारी शुल्क की<br>प्रदानगी (3604-200-95) | 58.10         | 0.00        | -0.06         | 58.04         | 75.55         | 17.51     |
| <b>कुल</b>  | <b>372.95</b> | <b>1.91</b> | <b>-27.88</b> | <b>346.98</b> | <b>364.98</b> | <b>18</b> |

**परिशिष्ट 2.23**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (v); पृष्ठ 49)

स्कीमों के विवरण जहां मूल बजट प्रदान किया गया था लेकिन पुनर्विनियोजन द्वारा वापस ले लिया गया

(₹ करोड़ में)

| मुख्य शीर्ष   | मूल बजट       | पुनर्विनियोजन  | कुल      | व्यय     |
|---|---------------|----------------|----------|----------|
| 2505-01-702-88-99<br>राष्ट्रीय विकास योजना/पिछ़ा क्षेत्र अनुदान निधि  | 26.40         | -26.40         | 0        | 0        |
| 2505-01-789-99<br>अनुसूचित जातियों के लिए पिछ़ा क्षेत्र अनुदान निधि हेतु स्कीम  | 6.60          | -6.60          | 0        | 0        |
| 2505-02-789-99<br>अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम   | 53.60         | -53.60         | 0        | 0        |
| 2515-101-81<br>राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आर.जी.पी.एस.ए.)   | 66.50         | -66.50         | 0        | 0        |
| 2515-102-84<br>निर्मल ग्राम पुरस्कार  | 1.00          | -1.00          | 0        | 0        |
| 2515-102-90<br>हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की सहायता स्कीम  | 10.00         | -10.00         | 0        | 0        |
| 2515-196-98<br>13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर जिला परिषदों को सहायता अनुदान   | 41.92         | -41.92         | 0        | 0        |
| 2515-197-98<br>13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायत समितियों को सहायता अनुदान  | 62.89         | -62.89         | 0        | 0        |
| 2515-789-87<br>तीसरे राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को सहायता अनुदान  | 21.35         | -21.35         | 0        | 0        |
| 2553-101-99<br>(एम.पी.एल.ए.डी.एस.) दिशानिर्देशों के अंतर्गत कवर किए जाने वाले विभिन्न सैकटरों के अंतर्गत कार्य का कार्यान्वयन | 75.00         | -75.00         | 0        | 0        |
| <b>कुल</b>  | <b>365.26</b> | <b>-365.26</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**परिशिष्ट 3.1**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 51)**

31 मार्च 2016 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण - पत्रों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | शीर्ष का नाम                             | वर्ष    | कुल प्रदत्त अनुदान |          | देय उपयोगिता प्रमाण - पत्र |          | प्राप्त उपयोगिता प्रमाण - पत्र |         | बकाया उपयोगिता प्रमाण - पत्र |          |
|----------|--|---------|--------------------|----------|----------------------------|----------|--------------------------------|---------|------------------------------|----------|
|          |  |         | मदें               | राशि     | मदें                       | राशि     | मदें                           | राशि    | मदें                         | राशि     |
| 1        | उद्योग (2852)                            | 2011-12 | 13                 | 6.77     | 4                          | 0.55     | 2                              | 0.52    | 2                            | 0.03     |
|          |  | 2012-13 | 32                 | 10.77    | 4                          | 0.51     | 2                              | 0.50    | 2                            | 0.01     |
|          |  | 2013-14 | 49                 | 20.04    | 7                          | 9.32     | 1                              | 0.85    | 6                            | 8.47     |
|          |  | 2014-15 | 184                | 39.39    | 184                        | 39.39    | 172                            | 26.47   | 12                           | 12.92    |
| 2        | पुलिस (2055)                             | 2014-15 | 4                  | 68.00    | 4                          | 68.00    | --                             | --      | 4                            | 68.00    |
| 3        | वानिकी एवं वन्यजीव (2406)                | 2014-15 | 1                  | 11.00    | 1                          | 11.00    | --                             | --      | 1                            | 11.00    |
| 4        | पशुपालन (2403)                           | 2014-15 | 18                 | 81.55    | 18                         | 81.55    | 12                             | 79.43   | 6                            | 2.12     |
| 5        | ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत (2810)          | 2014-15 | 4                  | 1.00     | 4                          | 1.00     | 3                              | 0.90    | 1                            | 0.10     |
| 6        | सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (2235)         | 2013-14 | 15                 | 10.75    | 1                          | 3.49     | --                             | --      | 1                            | 3.49     |
|          |  | 2014-15 | 33                 | 43.71    | 33                         | 43.71    | 10                             | 13.58   | 23                           | 30.13    |
| 7        | तकनीकी शिक्षा (2203)                     | 2014-15 | 85                 | 250.42   | 85                         | 250.42   | 78                             | 237.98  | 7                            | 12.44    |
| 8        | खेल एवं युवा सेवाएं (2204)               | 2014-15 | 349                | 61.91    | 349                        | 61.91    | 292                            | 52.77   | 57                           | 9.14     |
| 9        | सामान्य शिक्षा (2202)                    | 2011-12 | 204                | 465.95   | 67                         | 126.35   | 65                             | 126.31  | 2                            | 0.04     |
|          |  | 2012-13 | 274                | 897.69   | 66                         | 375.95   | 62                             | 310.52  | 4                            | 65.43    |
|          |  | 2014-15 | 739                | 1382.54  | 739                        | 1382.90  | 726                            | 1349.17 | 13                           | 33.73    |
| 10       | ग्रामीण विकास (2505 एवं 2515)            | 2008-09 | 248                | 432.97   | 10                         | 2.67     | 8                              | 2.27    | 2                            | 0.40     |
|          |  | 2009-10 | 205                | 399.73   | 15                         | 107.48   | 4                              | 8.58    | 11                           | 98.90    |
|          |  | 2010-11 | 221                | 315.62   | 31                         | 78.27    | 18                             | 26.69   | 13                           | 51.58    |
|          |  | 2011-12 | 442                | 808.23   | 133                        | 390.71   | 24                             | 74.88   | 109                          | 315.83   |
|          |  | 2012-13 | 401                | 961.89   | 261                        | 572.04   | 75                             | 114.37  | 186                          | 457.67   |
|          |  | 2013-14 | 410                | 1,353.50 | 334                        | 929.64   | 119                            | 141.26  | 215                          | 788.38   |
|          |  | 2014-15 | 4036               | 1,525.02 | 4036                       | 1525.02  | 3666                           | 306.76  | 370                          | 1218.26  |
| 11       | विशेष प्रोग्राम एवं ग्रामीण विकास (2501) | 2011-12 | 188                | 21.75    | 13                         | 2.81     | 12                             | 2.70    | 1                            | 0.11     |
|          |  | 2012-13 | 145                | 15.88    | 41                         | 4.54     | 30                             | 3.15    | 11                           | 1.39     |
|          |  | 2013-14 | 67                 | 8.93     | 15                         | 5.10     | 10                             | 2.09    | 5                            | 3.01     |
|          |  | 2014-15 | 79                 | 52.04    | 79                         | 52.04    | 77                             | 43.70   | 2                            | 8.34     |
| 12       | शहरी विकास (2217)                        | 2011-12 | 64                 | 894.67   | 4                          | 12.53    | 0                              | 0.00    | 4                            | 12.53    |
|          |  | 2012-13 | 96                 | 1,274.01 | 60                         | 906.39   | 7                              | 38.17   | 53                           | 868.22   |
|          |  | 2013-14 | 73                 | 1,120.80 | 57                         | 1,060.70 | 9                              | 56.69   | 48                           | 1,004.01 |
|          |  | 2014-15 | 87                 | 1,115.43 | 87                         | 1,115.43 | 13                             | 126.80  | 74                           | 988.63   |

| क्र. सं. | शीर्ष का नाम                   | वर्ष    | कुल प्रदत्त अनुदान |           | देय उपयोगिता प्रमाण - पत्र |          | प्राप्त उपयोगिता प्रमाण - पत्र |          | बकाया उपयोगिता प्रमाण - पत्र |          |
|----------|--------------------------------|---------|--------------------|-----------|----------------------------|----------|--------------------------------|----------|------------------------------|----------|
|          |                                |         | मदें               | राशि      | मदें                       | राशि     | मदें                           | राशि     | मदें                         | राशि     |
| 13       | सहकारिता (2425)                | 2014-15 | 15                 | 151.71    | 15                         | 151.71   | 13                             | 137.59   | 2                            | 14.12    |
| 14       | फसल पालन (2401)                | 2014-15 | 7                  | 107.78    | 7                          | 107.78   | 1                              | 0.02     | 6                            | 107.76   |
| 15       | ग्रामीण एवं लघु उद्योग (2851)  | 2014-15 | 30                 | 67.67     | 30                         | 67.67    | 26                             | 44.34    | 4                            | 23.33    |
| 16       | मछली पालन (2405)               | 2014-15 | 42                 | 2.16      | 42                         | 2.16     | 37                             | 2.08     | 5                            | 0.09     |
| 17       | अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (3425) | 2012-13 | 28                 | 17.41     | 3                          | 10.85    | 2                              | 0.35     | 1                            | 10.50    |
|          |                                | 2013-14 | 23                 | 18.11     | 4                          | 12.70    | 3                              | 2.22     | 1                            | 10.48    |
|          |                                | 2014-15 | 35                 | 10.07     | 35                         | 10.07    | 33                             | 8.19     | 2                            | 1.88     |
| 18       | सूचना एवं प्रचार (2220)        | 2012-13 | 18                 | 5.61      | 6                          | 2.20     | 5                              | 0.70     | 1                            | 1.50     |
|          |                                | 2013-14 | 14                 | 10.02     | 14                         | 10.02    | 7                              | 3.47     | 7                            | 6.55     |
|          |                                | 2014-15 | 23                 | 15.89     | 23                         | 15.89    | 7                              | 3.63     | 16                           | 12.26    |
| 19       | इकोलोजी एवं पर्यावरण (3435)    | 2012-13 | 6                  | 1.22      | 6                          | 1.22     | --                             | 0.00     | 6                            | 1.22     |
|          |                                | 2013-14 | 5                  | 1.17      | 5                          | 1.17     | --                             | 0.00     | 5                            | 1.17     |
|          |                                | 2014-15 | 12                 | 2.17      | 12                         | 2.17     | --                             | 0.00     | 12                           | 2.17     |
| कुल      |                                |         | 9,024              | 14,062.92 | 6,944                      | 9,617.03 | 5,631                          | 3,349.69 | 1,313                        | 6,267.34 |

**परिशिष्ट 3.2**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 52)**

**निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शानेवाली विवरणी**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | निकाय/प्राधिकरण का नाम                               | वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे  | प्राप्त अनुदान   |
|----------|--|--|--|
|          | <b>सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय</b>               |  |  |
| 1.       | एम.पी.एन. कालेज, मुलाना (अम्बाला)                    | 2007-08<br>2008-09<br>2009-10<br>2010-11<br>2011-12<br>2012-13<br>2013-14<br>2014-15 | 0.67<br>0.61<br>1.05<br>1.81<br>1.75<br>2.25<br>2.04<br>2.18 |
| 2.       | डी.ए.वी. महाविद्यालय, नेनोला अम्बाला                 | 2012-13<br>2013-14<br>2014-15  | 1.16<br>1.00<br>0.91   |
| 3.       | एस.एम.लुबाना खालसा कन्या महाविद्यालय, बराड़ा, अंबाला | 2012-13<br>2013-14<br>2014-15  | 1.86<br>1.87<br>2.41   |
| 4.       | एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर                      | 2013-14<br>2014-15   | 6.57<br>7.51   |
| 5.       | गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, यमुनानगर                | 2009-10<br>2010-11<br>2011-12<br>2012-13<br>2013-14<br>2014-15                       | 5.36<br>5.32<br>8.34<br>7.64<br>7.84<br>8.76                 |
| 6.       | महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी                  | 2009-10<br>2011-12<br>2012-13<br>2013-14<br>2014-15                                  | 0.70<br>1.43<br>1.58<br>1.88<br>1.80                         |
| 7.       | डी.ए.वी. महाविद्यालय, पुंडरी (कैथल)                  | 2013-14<br>2014-15   | 1.42<br>1.50   |
| 8.       | सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय फतेहपुर पुंडरी (कैथल)    | 2013-14<br>2014-15   | 2.46<br>2.90   |

| क्र. सं. | निकाय/प्राधिकरण का नाम                            | वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे                            | प्राप्त अनुदान                               |
|----------|---|--|--|
| 9.       | बी.ए.आर. जनता महाविद्यालय, कौल, कैथल              | 2010-11<br>2011-12<br>2012-13<br>2013-14                       | 1.79<br>2.22<br>2.00<br>1.93                 |
| 10.      | डी.ए.वी. महाविद्यालय, चीका, कैथल                  | 2013-14  | 2.42   |
| 11.      | सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढां ढडवान, कैथल      | 2013-14<br>2014-15   | 2.51<br>2.52                                 |
| 12.      | आई.जी. महिला महाविद्यालय, कैथल                    | 2013-14<br>2014-15   | 1.20<br>1.28                                 |
| 13.      | हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद                     | 2009-10<br>2010-11<br>2011-12<br>2012-13<br>2013-14<br>2014-15 | 2.00<br>2.12<br>2.52<br>2.59<br>2.37<br>2.42 |
| 14.      | आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद, कुरुक्षेत्र       | 2012-13<br>2013-14<br>2014-15                                  | 3.09<br>3.30<br>3.30                         |
| 15.      | आई.जी. नेशनल महाविद्यालय, लाडवा, कुरुक्षेत्र      | 2010-11<br>2011-12<br>2012-13<br>2013-14<br>2014-15            | 2.75<br>3.91<br>2.66<br>2.38<br>3.24         |
| 16.      | एम.एन. महाविद्यालय, शाहबाद, कुरुक्षेत्र           | 2014-15  | 1.97   |
| 17.      | सी.एम.के. नेशनल कन्या महाविद्यालय, सिरसा          | 2012-13<br>2013-14<br>2014-15                                  | 2.58<br>2.52<br>2.72                         |
| 18.      | एम.पी. कन्या महाविद्यालय, मंडी डबवाली, सिरसा      | 2014-15  | 1.94   |
| 19.      | बी.एस.के. शिक्षा महाविद्यालय, मंडी डबवाली (सिरसा) | 2011-12<br>2012-13<br>2013-14<br>2014-15                       | 0.39<br>0.61<br>0.55<br>0.67                 |
| 20.      | डी.एन. महाविद्यालय, हिसार                         | 2009-10<br>2010-11<br>2011-12<br>2012-13<br>2013-14<br>2014-15 | 5.02<br>5.52<br>7.33<br>6.59<br>6.39<br>6.37 |
| 21.      | एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी                   | 2013-14<br>2014-15   | 1.15<br>1.58                                 |

| क्र. सं. | निकाय/प्राधिकरण का नाम                          | वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे                            | प्राप्त अनुदान                               |
|----------|---|--|--|
| 22.      | सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत                    | 2009-10<br>2010-11<br>2011-12<br>2012-13<br>2013-14<br>2014-15 | 2.28<br>2.38<br>3.86<br>3.72<br>3.70<br>4.05 |
| 23.      | हिंदू महाविद्यालय, सोनीपत                       | 2014-15  | 4.02   |
| 24.      | टी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत               | 2014-15  | 0.57   |
| 25.      | कन्या महाविद्यालय, खरखोदा (सोनीपत)              | 2012-13<br>2013-14   | 1.28<br>1.53                                 |
| 26.      | टी.आर. कन्या महाविद्यालय, सोनीपत                | 2011-12<br>2012-13<br>2013-14<br>2014-15                       | 1.14<br>1.23<br>1.30<br>1.65                 |
| 27.      | गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत             | 2011-12<br>2012-13<br>2013-14                                  | 4.87<br>5.03<br>5.33                         |
| 28.      | एस.पी. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी              | 2009-10<br>2010-11<br>2011-12<br>2012-13<br>2013-14            | 0.48<br>0.77<br>0.85<br>0.70<br>0.62         |
| 29.      | अहीर महाविद्यालय, रेवाड़ी                       | 2014-15  | 3.54   |
| 30.      | डी.ए.वी. महाविद्यालय, करनाल                     | 2014-15  | 2.26   |
| 31.      | के.वी.ए.डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, करनाल       | 2010-11<br>2011-12<br>2012-13<br>2013-14<br>2014-15            | 2.89<br>4.55<br>3.64<br>3.95<br>4.26         |
| 32.      | गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, करनाल              | 2013-14<br>2014-15   | 1.97<br>1.35                                 |
| 33.      | दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल                    | 2012-13<br>2013-14<br>2014-15                                  | 5.38<br>6.41<br>6.22                         |
| 34.      | डा. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, करनाल | 2014-15  | 0.46   |
| 35.      | वाई.एम. डिग्री महाविद्यालय, नूह                 | 2010-11<br>2011-12<br>2012-13<br>2013-14<br>2014-15            | 1.18<br>1.44<br>1.71<br>1.55<br>1.72         |

| क्र. सं. | निकाय/प्राधिकरण का नाम                           | वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे | प्राप्त अनुदान |
|----------|--|-------------------------------------|----------------|
| 36.      | आर.एस.एल. शिक्षा महाविद्यालय, सिंधरावाली गुडगांव | 2012-13                             | 1.20           |
|          |  | 2013-14                             | 1.00           |
|          |  | 2014-15                             | 1.50           |
| 37.      | जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल                | 2010-11                             | 3.87           |
|          |  | 2011-12                             | 4.29           |
|          |  | 2012-13                             | 4.51           |
|          |  | 2013-14                             | 4.43           |
|          |  | 2014-15                             | 5.65           |
| 38.      | सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल                  | 2013-14                             | 2.03           |
|          |  | 2014-15                             | 2.06           |
| 39.      | डॉ.ए.वी. सेंटेनरी महाविद्यालय, फरीदाबाद          | 2010-11                             | 3.07           |
|          |  | 2011-12                             | 2.77           |
|          |  | 2012-13                             | 2.79           |
| 40.      | अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़, फरीदाबाद          | 2013-14                             | 3.34           |
|          |  | 2014-15                             | 3.99           |
| 41.      | गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालखवा, पानीपत         | 2010-11                             | 0.86           |
|          |  | 2011-12                             | 1.04           |
|          |  | 2012-13                             | 0.52           |
|          |  | 2013-14                             | 0.72           |
|          |  | 2014-15                             | 1.03           |
| 42.      | आई.बी. महाविद्यालय, पानीपत                       | 2009-10                             | 2.55           |
|          |  | 2010-11                             | 4.17           |
|          |  | 2011-12                             | 4.33           |
|          |  | 2012-13                             | 4.27           |
|          |  | 2013-14                             | 4.13           |
|          |  | 2014-15                             | 3.98           |
| 43.      | वैश्य कन्या महाविद्यालय, समालखवा (पानीपत)        | 2006-07                             | 0.28           |
|          |  | 2007-08                             | 0.38           |
|          |  | 2008-09                             | 0.40           |
|          |  | 2009-10                             | 0.68           |
|          |  | 2010-11                             | 0.81           |
|          |  | 2011-12                             | 0.38           |
|          |  | 2012-13                             | 0.69           |
|          |  | 2013-14                             | 1.18           |
|          |  | 2014-15                             | 1.50           |
|          |  |                                     |                |
| 44.      | सी.आर शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक                  | 2014-15                             | 1.27           |
| 45.      | जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक                 | 2014-15                             | 0.96           |
| 46.      | वैश्य महाविद्यालय, रोहतक                         | 2014-15                             | 3.90           |
| 47.      | वैश्य कन्या महाविद्यालय, रोहतक                   | 2012-13                             | 3.18           |
|          |  | 2013-14                             | 3.18           |
|          |  | 2014-15                             | 3.39           |

| क्र. सं. | निकाय/प्राधिकरण का नाम                                  | वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे                                       | प्राप्त अनुदान                                       |
|----------|---|---|--|
| 48.      | श्री एल.एन. हिंदू महाविद्यालय, रोहतक                    | 2009-10<br>2013-14  | 2.17<br>2.35   |
| 49.      | आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी                         | 2013-14   | 4.00   |
| 50.      | महिला महाविद्यालय, जोड़ु कलां भिवानी                    | 2010-11<br>2011-12<br>2012-13<br>2013-14<br>2014-15                       | 0.30<br>0.51<br>0.36<br>0.78<br>0.83                 |
| 51.      | एम.ए. महिला महाविद्यालय, झज्जर                          | 2007-08<br>2008-09<br>2009-10<br>2010-11<br>2011-12<br>2012-13<br>2014-15 | 0.67<br>0.78<br>1.56<br>1.73<br>1.84<br>1.59<br>2.44 |
| 52.      | सेठ जय प्रकाश बहुतकनीकी, दामला, यमुनानगर                | 2013-14<br>2014-15  | 0.04<br>0.25   |
| 53.      | छोटू राम बहुतकनीकी, रोहतक                               | 2013-14<br>2014-15  | 1.46<br>1.78   |
| 54.      | जी.एम.एन महाविद्यालय, अंबाला कैट                        | 2014-15   | 4.11   |
| 55.      | आर्य महाविद्यालय, पानीपत                                | 2014-15   | 4.37   |
| 56.      | सी.आर. किसान महाविद्यालय, जीद                           | 2014-15   | 3.75   |
| 57.      | एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना                        | 2014-15   | 1.08   |
| 58.      | एम.एल.एन. महाविद्यालय, रादौर                            | 2014-15   | 1.80   |
| 59.      | डी.ए.वी. महाविद्यालय, साढ़ौरा                           | 2014-15   | 1.97   |
| 60.      | भगवान परसुराम महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र                  | 2014-15   | 3.51   |
| 61.      | डी.ए.वी. महाविद्यालय, पेहोचा                            | 2014-15   | 3.62   |
| 62.      | आर.के.एस.डी. महाविद्यालय, कैथल                          | 2014-15   | 5.46   |
| 63.      | गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा              | 2014-15   | 1.64   |
| 64.      | सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिंसार                       | 2014-15   | 5.66   |
| 65.      | एफ.सी. महाविद्यालय महिलाओं का हिसार                     | 2014-15   | 3.65   |
| 66.      | हिंदू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत                         | 2014-15   | 5.62   |
| 67.      | वैश्य महाविद्यालय, भिवानी                               | 2014-15   | 4.45   |
| 68.      | ए.पी.जे. सरसवती के.एम.वी., चरखी दादरी                   | 2014-15   | 0.95   |
| 69.      | बी.एल.जे. सुईवाला महाविद्यालय, तोषाम                    | 2014-15   | 1.80   |
| 70.      | निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह मैमोरियल महाविद्यालय, सोहाना | 2014-15   | 2.26   |

| क्र. सं. | निकाय/प्राधिकरण का नाम   | वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे | प्राप्त अनुदान |
|----------|--|-------------------------------------|----------------|
| 71.      | वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़                        | 2014-15                             | 1.37           |
| 72.      | के.एल.पी. महाविद्यालय, रेवाड़ी                                 | 2014-15                             | 6.39           |
| 73.      | डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, कोसली (रेवाड़ी)                    | 2014-15                             | 0.25           |
| 74.      | आखिल भारतीय जाट हीरोज मैमोरियल महाविद्यालय, रोहतक              | 2014-15                             | 9.30           |
| 75.      | वैश्य शिक्षा का महाविद्यालय, रोहतक                             | 2014-15                             | 0.66           |
| 76.      | एस.जे.के. महाविद्यालय, कलानौर                                  | 2014-15                             | 2.23           |
| 77.      | एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक                            | 2014-15                             | 3.15           |
| 78.      | एस.डी. महाविद्यालय, अंबाला कैट                                 | 2014-15                             | 6.48           |
| 79.      | एस.एन.आर.एल. जय राम कन्या महाविद्यालय, लोहर माजरा, कुरुक्षेत्र | 2014-15                             | 0.71           |
| 80.      | कन्या महाविद्यालय, खरखोदा (सोनीपत)                             | 2012-13<br>2013-14                  | 1.28<br>1.53   |
| 81.      | के.एल. मेहता डी.एन. महाविद्यालय, (महिला), फरीदाबाद             | 2013-14                             | 3.72           |
| 82.      | डी.ए.वी. महाविद्यालय, अंबाला शहर                               | 2014-15                             | 6.51           |
| 83.      | बी.पी.एस. खानपुर कलां (सोनीपत)                                 | 2014-15                             | 0.32           |
| कुल      |  |                                     | <b>532.16</b>  |

**परिशिष्ट 3.3**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 52)**

**स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी**

| क्र. सं. | निकाय का नाम  | नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि   | वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए | वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए | वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए | वर्ष जिसके लिए लेखे देय है | लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2016 तक) |
|----------|---|--|--------------------------|---|---|----------------------------|--|
| 1.       | हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़                     | 2012-13 से 2016-17   | 2014-15                  | 2011-12                                       | 2011-12   | --                         | --   |
| 2.       | हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़   | 2013-14 से 2017-18   | 2014-15                  | 2014-15                                       | 2008-09   | -                          | -  |
| 3.       | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला                                       | 2012-13 से 2016-17   | 2013-14                  | 2013-14                                       | 2012-13   | 2014-15                    | एक वर्ष  |
| 4.       | हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकुला  | 2009-10 से 2013-14   | 2013-14                  | 2013-14                                       | 2011-12   | --                         | --   |
| 5.       | हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला                                     | 2015-16 से 2019-20   | 2014-15                  | 2014-15                                       | 2013-14   | --                         | --   |
| 6.       | हरियाणा वकफ बोर्ड, अम्बाला छावनी  | 2013-14 से 2017-18   | 2014-15                  | 2014-15                                       | प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं                                    | --                         | --   |
| 7.       | हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़                              | कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए. जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है। | 2013-14                  | 2013-14                                       | 2013-14   | 2014-15                    | एक वर्ष  |
| 8.       | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी   | -सम-   | 2013-14                  | 2013-14                                       | -   | 2014-15                    | एक वर्ष  |
| 9.       | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद | -सम-   | 2013-14                  | 2013-14                                       | -   | 2014-15                    | एक वर्ष  |
| 10.      | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद | -सम-   | 2013-14                  | 2013-14                                       | -   | 2014-15                    | एक वर्ष  |

| क्र. सं. | निकाय का नाम  | निम्नले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि  | वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए | वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए | वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए | वर्ष जिसके लिए लेखे देय है | लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2016 तक) |
|----------|---|---|--------------------------|---|---|----------------------------|--|
| 11.      | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुडगांव  | कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है। | 2012-13                  | 2012-13                                       | -   | 2013-14 से 2014-15         | दो वर्ष  |
| 12.      | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर    | -सम-  | -                        | -   | -   | 1996-97 से 2014-15         | 19 वर्ष  |
| 13.      | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल     | -सम-  | 2013-14                  | 2013-14                                       | -   | 2014-15                    | एक वर्ष  |
| 14.      | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला  | -सम-  | 2014-15                  | 2014-15                                       | -   | -                          | -  |
| 15.      | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत   | -सम-  | 2010-11                  | 2010-11                                       | -   | 2011-12 से 2014-15         | चार वर्ष   |
| 16.      | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवड़ी   | -सम-  | 2013-14                  | 2013-14                                       | -   | 2014-15                    | एक वर्ष  |
| 17.      | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक    | -सम-  | 2014-15                  | 2014-15                                       | -   | -                          | -  |
| 18.      | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत   | -सम-  | 2013-14                  | 2007-08                                       | -   | 2014-15                    | एक वर्ष  |
| 19.      | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर | -सम-  | 2014-15                  | 2011-12                                       | -   | -                          | -  |
| 20.      | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार    | -सम-  | 2013-14                  | 2013-14                                       | -   | 2014-15                    | एक वर्ष  |

| क्र. सं. | निकाय का नाम  | नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि  | वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए | वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए | वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए | वर्ष जिसके लिए लेखे देय है | लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2016 तक) |
|----------|---|---|--------------------------|---|---|----------------------------|--|
| 21.      | मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल      | कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है। | 2014-15                  | 2013-14                                       | -   | -                          | -  |
| 22.      | मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा       | -सम-  | 2013-14                  | 2013-14                                       | -   | 2014-15                    | एक वर्ष  |
| 23.      | मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला     | -सम-  | 2014-15                  | 2013-14                                       | -   | -                          | -  |
| 24.      | मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जीद         | -सम-  | 2014-15                  | 2014-15                                       | -   | -                          | -  |
| 25.      | मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल       | -सम-  | 2007-08                  | 2007-08                                       | -   | 2008-09 से 2014-15         | सात वर्ष   |
| 26.      | मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र | -सम-  | 2014-15                  | 2014-15                                       | -   | -                          | -  |
| 27.      | मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात       | -सम-  | 2014-15                  | 2014-15                                       | -   | -                          | -  |
| 28.      | मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पलवल        | -सम-  | 2012-13                  | 2012-13                                       | -   | 2013-14 से 2014-15         | दो वर्ष  |
| 29.      | हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़                      | -सम-  | 2013-14                  | 2013-14                                       | 2008-09   | 2014-15                    | एक वर्ष  |

**परिशिष्ट 3.4**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 53)**

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

| क्र. सं.   | विभाग               | विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम | तक लेखे अन्तिमकृत किए गए | पिछले अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में) | लेखाओं को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण                                  |
|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|---|
| 1.         | कृषि                | बीज डिपो स्कीम <sup>1</sup>         | 1988-89                  | -  | 1988 - 89 के पश्चात् कोई लेखे तैयार नहीं किए गए हैं।                                  |
| 2.         | कृषि                | पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण      | 1986-87                  | -  | विभाग द्वारा 1986 - 87 के पश्चात् पीड़कनाशी/खरपतवारनाशक का कोई क्रय नहीं किया गया था। |
| 3.         | मुद्रण एवं स्टेशनरी | राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम        | 2007-08                  | 17.97  | -   |
| 4.         | खाद्य एवं आपूर्ति   | अनाज आपूर्ति स्कीम                  | 2013-14                  | 6,332.83   | -   |
| 5.         | परिवहन              | हरियाणा रोडवेज                      | 2010-11                  | 774.86   | स्टॉफ की कमी के कारण विलम्ब हुआ   |
| <b>कुल</b> |                     |                                     |                          | <b>7,125.66</b>                                      |   |

<sup>1</sup> ये स्कीमें 1986 - 87 (पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984 - 85 (बीज डीपो स्कीम) से बंद हैं।

**परिशिष्ट 3.5**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 54)**

दुरुपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2016 को लम्बित थी, के मामलों  
का विभाग - वार / अवधि - वार विघटन

(कोष्ठक में आंकड़े इंगित करते हैं ₹ लाख में)

| क्र.<br>सं. | विभाग का नाम     | 5 वर्षों<br>तक        | 5 से 10<br>वर्ष       | 10 से 15<br>वर्ष      | 15 से<br>20 वर्ष<br>तक | 20 से<br>25 वर्ष<br>तक | 25 वर्ष<br>तथा<br>अधिक | कुल                     |
|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1           | पशुपालन          | -                     | -                     | 1<br>(6.50)           | -                      | -                      | -                      | 1<br>(6.50)             |
| 2           | शिक्षा           | 1<br>(0.50)           | 2<br>(0.92)           | 5<br>(2.59)           | 1<br>(0.26)            | 2<br>(1.12)            | 3<br>(1.41)            | 14<br>(6.80)            |
| 3           | लोक सम्पर्क      | 1<br>(4.23)           | 1<br>(4.23)           | -                     | -                      | -                      | -                      | 2<br>(8.46)             |
| 4           | वन विभाग         | -                     | -                     | -                     | 4<br>(6.70)            | 2<br>(0.71)            | 6<br>(1.11)            | 12<br>(8.52)            |
| 5           | चिकित्सा         | -                     | -                     | 3<br>(2.18)           | -                      | 3<br>(13.42)           | -                      | 6<br>(15.60)            |
| 6           | तकनीकी शिक्षा    | -                     | -                     | 4<br>(16.94)          | -                      | -                      | 1<br>(0.02)            | 5<br>(16.96)            |
| 7           | राजस्व           | -                     | -                     | 1<br>(9.28)           | -                      | -                      | -                      | 1<br>(9.28)             |
| 8           | पुलिस            | 1<br>(13.99)          | -                     | 1<br>(3.79)           | -                      | -                      | -                      | 2<br>(17.78)            |
| 9           | सामाजिक कल्याण   | 3<br>(8.63)           | -                     | -                     | -                      | -                      | -                      | 3<br>(8.63)             |
| 10          | परिवहन           | -                     | -                     | -                     | 1<br>(3.17)            | -                      | 1<br>(0.60)            | 2<br>(3.77)             |
| 11          | विकास एवं पंचायत | -                     | 1<br>(0.00)           | -                     | -                      | -                      | -                      | 1<br>(0.00)             |
| 12          | जन - स्वास्थ्य   | 4<br>(3.97)           | 3<br>(16.11)          | -                     | -                      | -                      | -                      | 7<br>(20.08)            |
| 13          | सिंचाई           | 2<br>(0.00)           | 11<br>(6.09)          | 9<br>(2.16)           | 5<br>(0.48)            | 7<br>(0.25)            | 15<br>(2.07)           | 49<br>(11.05)           |
| <b>कुल</b>  |                  | <b>12<br/>(31.32)</b> | <b>18<br/>(27.35)</b> | <b>24<br/>(43.44)</b> | <b>11<br/>(10.61)</b>  | <b>14<br/>(15.50)</b>  | <b>26<br/>(5.21)</b>   | <b>105<br/>(133.43)</b> |

अर्थात् ₹ 1.33 करोड़

**परिशिष्ट 3.6**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 54)**

सरकारी सामग्री की चोरी तथा दुरुपयोग/हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार ब्यौरे

(₹ लाख में)

| विभाग का नाम     | चोरी के मामले    |              | सरकारी सामग्री का दुरुपयोग/हानि |              | योग              |               |
|------------------|------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------|---------------|
|                  | मामलों की संख्या | राशि         | मामलों की संख्या                | राशि         | मामलों की संख्या | राशि          |
| पशुपालन          | 1                | 6.5          | 0                               | 0            | 1                | 6.50          |
| शिक्षा           | 11               | 5.39         | 3                               | 1.41         | 14               | 6.80          |
| लोक सम्पर्क      | 2                | 8.46         | 0                               | 0            | 2                | 8.46          |
| वन विभाग         | 0                | 0            | 12                              | 8.52         | 12               | 8.52          |
| चिकित्सा         | 1                | 0.01         | 5                               | 15.59        | 6                | 15.60         |
| तकनीकी शिक्षा    | 5                | 16.96        | 0                               | 0            | 5                | 16.96         |
| राजस्व विभाग     | 0                | 0            | 1                               | 9.28         | 1                | 9.28          |
| परिवहन विभाग     | 0                | 0            | 2                               | 3.77         | 2                | 3.77          |
| पुलिस            | 0                | 0            | 2                               | 17.78        | 2                | 17.78         |
| समाज कल्याण      | 3                | 8.63         | 0                               | 0            | 3                | 8.63          |
| विकास एवं पंचायत | 1                | 0            | 0                               | 0            | 1                | 0.00          |
| जन - स्वास्थ्य   | 5                | 11.97        | 2                               | 8.11         | 7                | 20.08         |
| सिंचाई           | 37               | 10.5         | 12                              | 0.55         | 49               | 11.05         |
| <b>कुल</b>       | <b>66</b>        | <b>68.42</b> | <b>39</b>                       | <b>65.01</b> | <b>105</b>       | <b>133.43</b> |

अर्थात् ₹ 1.33 करोड़